लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 25 जुलाई, 1969/3 श्रावण, 1891 (शक)
No. 5, Friday, July 25, 1969/ Sravana 3, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अमरीकी अन्तरिक्ष यात्रियों की चन्द्रमा से वापसी	Return of U. S. Astronants from Moon	1—2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
121. सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त पी० टी० ओ० रियायतों में संशोधन की मांग	Demand for revision of PTO concession to Government Employees ..	2—7
122. श्रीमती शाहजहां बेगम को पेंशन	Pension to Shrimati Shahjahan Begum	7—9
123. पुरी के शंकराचार्य पर मुकदमा	Case against Shankaracharya of Puri	9—14
124. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	Central Industrial Security Force	14—17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
125. प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Administrative Reforms Commission	17—18
126. राष्ट्रीय गान का अनादर	Disrespect to National Song	18
127. पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल को मिलाकर एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण	Formation of a separate independent Nation comprising of East and West Bengal	18—19

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
128. तेलंगाना आन्दोलन के नेताओं को बातचीत के लिए निमंत्रण	Invitation to leaders of Telengana Agitation for talks ..	19
129. सरकार द्वारा डाक्टर धर्म तेजा के जयन्ती शिपिंग कम्पनी के अंशों को अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of shares of Dr. Dharma Teja of Jayanti Shipping Co. ..	20
130. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद के हल के लिये पाटस्कर फार्मूला	Pataskar Formula for solution of Maharashtra Mysore Border Dispute	20—21
131. पर्यटकों के व्यय सम्बन्धी नीतियों पर पुनर्विचार	Review of policies relating to Tourists Cost	21
132. भारत के विदेश व्यापार पर लागू भाड़े की दरें	Freight Structure Applicable to India's overseas Trade	21—22
133. भारत/हांगकांग/जापान के माल पर भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Freight Rates on India/Hongkong/Japan Cargo ..	22
134. रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड की स्थापना	Establishment of a Central Road Board on lines of Railway Board	22—23
135. नियोजन और कर्मचारी के सम्बन्धों के बारे में विधान	Legislation Re : Employers Employees Relationship	23
136. केरल भूमि सुधार विधेयक	Kerala Land Reforms Bill ..	23—24
137. राज्य सरकारों का स्थायित्व	Stability of State Governments	24
138. तेलंगाना का आधिक्य राजस्व	Telengana Surplus	25
139. सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में नियम	Rules Re : Reinstatement of Government Employees ..	25
140. नक्सलवादी लोगों की गतिविधियां	Activities of Naxalites ..	26
141. केन्द्रीय भाषा संस्था	Central institute of Languages ..	26—27
142. बेकार इंजीनियरों तथा तकनीकी स्नातकों को कृषि सहकारी समितियां बनाने के लिये सुविधायें	Facilities to unemployed engineers and technological graduates to form agricultural cooperatives ..	27

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
143. एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद	Acquiring of Jumbo Jets by Air India	28
144. अकुशल सरकारी कर्मचारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति	Premature retirement of inefficient Government employees	28—29
145. आंध्र प्रदेश में सरकारी भाषा	Official language in Andhra State	29—30
146. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	National Loan Scholarship Scheme	30—31
147. नक्सलवादियों की गतिविधियां	Naxalite Activities	31
148. शिकार पर्यटन के लिये वन्य पशुओं के संरक्षण की सुविधायें	Preservation of wild life facilities for Shikar Tourism	31—32
149. नई दिल्ली में जर्मनी के एक दम्पति के साथ धोखा	German couple cheated in New Delhi	32
150. जयपुर संग्रहालय में चोरी का मामला	Jaipur Museum Theft case	32—33
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
801. संयुक्त पर्यटन प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करना	Setting up of a joint Tourism Management Machinery	33—34
802. उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा गहन अध्ययन के बाद डी० सी० 9-40 विमानों की खरीद	Purchase of DC 9-40 Aircraft after exhaustive study by Highly qualified persons	34
803. माल ले जाने के लिये इण्डियन एयर लाइंस के मार्गों पर अपर्याप्त व्यवस्था	Lack of space on IA Routes for Carriage of Cargo ..	34—35
804. इण्डियन एयर लाइन्स के लिये नये विमान	New Aircraft for Indian Airlines	35
805. इंजीनियरों में बेरोजगारी	Unemployment of Engineers	36
806. चीनी दूतावास द्वारा माओ वादी साहित्य का वितरण	Distribution of Literature by Chinese Embassy	36
807. कालेजों में प्राध्यापकों तथा सहायक प्रोफेसरों के वेतनमान में एकरूपता	Uniformity in Pay scales of lecturers and Assistant Professors in Colleges ..	36—37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
808. 5 मई, 1969 को राष्ट्रीय शोक के दिन कार्यालयों का खोला जाना तथा कार्यालयों से कर्मचारियों की उस दिन की अनुपस्थिति को नियमित किया जाना	Opening of Offices on 5th May, 1969 day of National Mourning and regularisation of absence of staff from offices on that day ..	37—38
809. इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन में हड़ताल	Strikes in IAC ..	38—39
811. बम्बई में एक भव्य होटल खोलने के लिये ओबराय होटल्स और शेराटन होटल समूह के बीच करार	Agreement between Oberai Hotels and Sheraton Group of Hotels to start Luxury Hotel at Bombay	39—41
812. इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्ति	Passengers Travelled by Indian Airlines ..	41
813. लाटरी चलाने के बारे में केन्द्र सरकार का प्रस्ताव	Proposal of Central Government for Starting a Lottery	42
814. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of District Judges ..	42
815. मंत्रियों के पर्वतीय स्थलों के दौरे	Visit to Hill Stations by Ministers	42
816. सीमा सुरक्षा दल को डाकू विरोधी कार्यवाही सौंपना	Enlisting of Anti-dacoity measures to Border Security Forecs	43
817. पारादीप पत्तन	Paradeep Port	43
818. विदेशों में हिन्दी का अध्यापन	Teaching of Hindi in Foreign countries ..	44
819. बिड़ला समूह की कम्पनियों के मामलों की जांच	Enquiry into Affairs of Birla Group of Companies	45
820. खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये कालेज शिक्षा	College education for the children of Government Employees in Mining Areas	45
821. भारतीय कृषि सेवा	Indian Agricultural Services	46
822. विद्यार्थियों की स्थिति	Condition of Students	46
823. उत्तर बिहार में विमान सेवा	Linking of North Bihar with AIR Service..	46—47
824. विदेशों से खरीदे गये जहाज	Ships purchased from Abroad	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
825. अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के सम्मेलन	Convention held by International Voluntary Organisations	47—48
826. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Study Group of National Shipping Board	48
827. फ्रांस के साथ सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग	Cultural, Technical and Scientific Cooperation with France	48—49
828. राज्यों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन	State Education Secretaries Conference	49—53
829. अन्तर्देशीय नौवहन सम्बन्धी समिति	Committee on Inland Water Transport	53—54
830. इंण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद के निर्णय का स्थगित किया जाना	Postponement of Decision to Purchase Aircrafts by IAC	54—55
831. सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Government Employees	55
832. आनन्द मार्ग	Anand Marg	56
833. केरल में मल्लापुरम जिले की स्थापना	Formation of Malapuram District in Kerala	56—57
834. दिल्ली के कालेजों में विद्यार्थियों का दाखिला	Admission of Students in Colleges of Delhi..	57—58
835. श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये नक्सलवादी	Naxalites killed in Srikakulam (Andhra Pradesh) in an encounter with Police ..	58—59
836. अपराधों के शिकार लोगों को मुआवजा	Compensation to Victims of Crime	59
837. केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी रूप देना	Statutory basis of Central Vigilance Commission	59—60
838. चण्डीगढ़ के बारे में निर्णय	Decision over Chandigarh ..	60
839. केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में हस्तक्षेप	Central Government's Intervention in Kerala	60—61

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
840. इंण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा किराये में वृद्धि	Increase in Fare by IAC	61
841. गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर गीता की प्रतियों का वितरण	Distribution of copies of Gita on the occasion of Gandhi Centenary Celebrations	61—62
842. साम्प्रदायिक दंगों को रोकना	Prevention of Communal Disturbances	62
843. विद्यार्थियों में जातिवाद आदि की भावनाओं को समाप्त करना	Mitigation of feelings of Casteism etc. among Students	63—64
844. विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों का निष्कासन	Deportation of Foreign Christian Missionaries	64
845. आपराधिक कानून और समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on Criminal Law and Contemporary Social Changes	65
846. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में नियुक्तियां	C.S.I.R. Appointments	66
847. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	Banaras Hindu University Enquiry Committee's Report	66
848. विद्रोही नागा लोगों द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by Naga Hostiles	66—67
849. केन्द्र राज्य सम्बन्धों का पुनः समायोजन	Readjustment of Centre-State relations	67
850. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच	C.B.I. Enquiry against Central Government Officers ..	67—68
851. दिल्ली में छात्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Students Representatives in Delhi	68—69
852. दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले कालेजों के शासी निकायों की गठन सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन	Change in Procedure regarding formation of Governing Bodies of colleges run by Delhi Administration ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
853. परिवहन विकास परिषद्	Transport Development Council	69—71
854. दिल्ली में एक जनसंघ के कार्यकर्ता की हत्या	Murder of a Jan Sangh Worker in Delhi ..	71—72
855. श्रीनगर के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में राष्ट्रीय झन्डे का उतारा जाना	Pulling down of National Flag at Regional Engineering College, Srinagar ..	72—73
856. लाजपत नगर थाने में मृत्यु	Death in Lajpat Nagar Police Station	73—74
857. संसद् सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के गठन में परिवर्तन	Changes in the Formation of Informal Consultative Committees of Members of Parliament ..	74—75
858. मई, 1969 में ऊटकमण्ड में हुई राज्य विधायकों की विचार गोष्ठी	Orientation Seminar of State Legislators held at Ootacamund in May, 1969	75
859. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा	Indian Medical and Health Service	75—76
860. जापान में बनाये जा रहे टैंकरों की क्षमता	Capacity of Tankers being built in Japan ..	76
861. चौथी योजना में दिल्ली परिवहन उपक्रम के बारे में प्रस्ताव	Fourth Plan Proposals re. DTU	76
862. ईसाई धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti National Activities of Christian Missionaries	76—77
863. कांडला पत्तन पर यातायात में गिरावट	Fall in Traffic at Kandla Port	77—78
864. समान कार्य के लिये समान वेतन	Equal Pay for Equal Work	78
865. राजकीय सड़क परिवहन निगम के लिये पूंजी अंशदान	Contribution to the Capital of State Road Transport Corporation ..	78—79
866. दिल्ली के लिये एक पुलिस आयुक्त नियुक्त करना	Appointment of Commissioner of Police for Delhi	79
867. पर्यटकों को और अधिक सुविधायें देने के बारे में सुझाव	Suggestion to provide more comforts to Tourists ..	79—80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
868. नौवहन समन्वय तथा चार्टरिंग संस्था के सदस्यों को बदलना	Overhauling of Shipping Coordination and Charting Organisation	80
869. विश्वविद्यालय के मामलों में विद्यार्थियों का भाग लेना	Students' Participation in University Affairs ..	80—81
870. पश्चिम बंगाल में तीसरे साम्यवादी दल की स्थापना	Formation of a Third Communist Party in West Bengal ..	81
871. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये स्वायत्तशासी निगम	Autonomous Corporation for International Airports ..	81—82
872. नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites	82—83
873. कलाकृतियों का बाहर जाना	Outflow of Art Pieces	83—84
874. श्री उपाध्याय की हत्या	Murder of Shri Din Dayal Upadhyay	84
875. नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites	85—86
876. हरयाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against Haryana Chief Minister ..	86
877. संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery	86—87
878. केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Central Secretariat Service	87
879. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति	Review Committee on National Council and Educational Research and Training	87
880. दिल्ली में छात्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Students Representatives in Delhi ..	88
881. डिफेंस सर्विस पब्लिक स्कूल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियंत्रण के अधीन लाना	Transfer of Control of Defence Service Public School under Central Board Secondary Education	89
882. पब्लिक स्कूलों में सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of Senior Cambridge Scheme in Public Schools ..	89—90
884. विज्ञान तथा गणित की शिक्षा हिन्दी में देना	Teaching of Science and Mathematics in Hindi ..	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
885. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अवकाश की अवधि में वृद्धि	Extension of leave to West Bengal Governor	90—91
886. शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर सीधी भर्ती	Educational Qualification as basis of Direct Recruitment	91
887. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees ..	92
888. नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Shipping and Transport Ministry ..	92
889. गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Gorakhpur District	92—93
890. विमानों के क्रय के बारे में इंडियन एयर लाइन्स के अधिकारियों पर अनुचित दबाव	Undue influence on the Officials of IAC Re : Purchase of Aircraft	93
891. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा आयात की गई केरेवेल विमानों की बैटरियां	Caravelle Batteries Imported by IAC ..	93—94
892. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	95
893. कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों से प्राचीन सिक्कों की चोरी	Theft of Ancient Coins from certain Important Museums	95—96
894. विजय नगर कालीन संग्रहालय का निर्माण	Construction of Vijayanagar period Museum ..	96
895. शिक्षा नीति	Education Policy ..	97—98
896. केरल में कोवलाम पुलिन (बीच) का विकास	Development of Kovalam Beach in Kerala..	98
897. कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने की स्थापना	Setting up of Second Ship-building Yard at Cochin	98—99
898. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवावधि का बढ़ाया जाना	Extension of Service given to Central Government Employees ..	99—100

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
899. सहायक अधीक्षकों के पदों के लिये 1959 में हुई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण बचे हुये उम्मीदवारों को नियुक्त करना	Absorption of left over candidates of 1959 limited Departmental Competitive Examination for the post of Assistant Superintendents ..	100
900. केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Kerala Chief Minister's Statement ..	101
901. संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल अध्यापकों की शिकायत	Grievances of School Teachers Union Territories ..	101
902. दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन	Revision of Grades of Delhi Teachers ..	102
903. नई दिल्ली में पर्यटन स्थलों का विकास	Development of Tourist spots in environs of New Delhi ..	102
904. तेलंगाना आन्दोलन तथा बंगाल बन्द के कारण हुई हानि	Losses suffered on account of Telengana Agitation and Bengal Bandh ..	102—103
905. भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना	Abolition of Privy Purses and Privileges of Ruler of Erstwhile States ..	103—104
906. गृह-कार्य मंत्री का संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार-विमर्श	Home Minister's Discussions with Chief Ministers and Administrators of Union Territories	104
907. केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के लिये एक अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन	Setting up of Inter-State Council for Centre-State Relations ..	104—105
908. भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Tribes to IAS ..	105
909. अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की नियुक्ति	Recruitment of Scheduled Tribes to All India and Central Services	106
910. इम्फाल के निकट ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा स्थापित कालिज	College opened by Christian Missionaries near Imphal ..	106—107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
911. सेनाओं की गतिविधियों पर निगरानी	Watch over activities of senas	107
912. राष्ट्रीय युवक मण्डल	National Youth Board ..	107
913. दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन	All India Conference of Students held in Delhi ..	108
914. तेलंगाना आन्दोलन	Telengana Agitation ..	108—110
915. कर्मचारियों द्वारा धरना	Squating by Employees ..	110—111
917. चण्डीगढ़ में किराया नियंत्रण	Regulation of Rents in Chandigarh ..	111
918. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore Boundary Dispute ..	112
919. सेक्टर 2 रामाकृष्णपुरम को कल्याण संस्था के लेखे में अनियमिततायें	Irregularities in Accounts of Welfare Association of Sector II R. K. Puram, New Delhi ..	112—113
920. प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Administrative Reforms Commission Chairman's Statement	113
921. मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission in Madhya Pradesh ..	113—114
922. बाल भवनों की स्थापना	Establishment of Bal Bhavan	114
923. पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का पुनर्वितरण	Re : allocation of Staff due to Punjab Reorganisation ..	114—115
924. काशी विद्यापीठ वाराणसी	Kashi Vidyapith Varanasi	115
925. एक संसत्सदस्य के विरुद्ध कुर्की का वारंट	Attachment Warrant against an M. P. ..	115
926. मनेर, पटना स्थित मकबरे से सोने के गुम्बद की चोरी	Theft of Gold Dome from Tomb at Maner, Patna ..	116
927. एन० आई० एस० प्रशिक्षकों को रोजगार	Employment to NIS Coaches ..	116
928. खेल कूद विकास कार्यक्रम	Programme for Development of sports ..	116—117
929. कलकत्ते में पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposals to Attract Tourist Traffic to Calcutta ..	117—118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
930. व्यवसायिक सरकारी सेवाओं के संगठन की बैठक	Conference of Organisation of Professional Government Service	118
931. नये होटलों के निर्माण कार्य के लिये उचित स्थानों की व्यवस्था	Provision of suitables sites for construction of New Hotels ..	118
932. अपर डिवीजन लिपिक वर्ग की परीक्षा का बहिष्कार	Boycott of Upper Division Clerks Grade Examination ..	119
933. केन्द्रीय सेवाओं में कोटे के आधार पर भर्ती	Recruitment to Central Services on Quota Basis ..	119—120
934. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on strike by Central Government Employees	120
935. स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा धरना	Dharna by Freedom Fighters ..	120—121
936. बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी बीमा	Unemployed Insurance for Unemployed educated persons ..	121
937. सैनिक विज्ञान, खेलकूद जैसे अनिवार्य विषयों का प्राइमरी स्तर से आरम्भ किया जाना	Introduction of compulsory subjects like military Science, sports from Primary stage ..	121—122
938. छोटे मन्त्रिमण्डलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	ARC Recommendation Re : Smaller Cabinets ..	122
939. विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के बारे में कार्यक्रम	Programme Re : development of qualities of leadership among students ..	123
940. चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों, नदी पत्तनों और शुष्क पत्तनों की स्थापना	Establishment of minor sea ports, river ports and dry ports during Fourth Plan	124
941. चौथी योजना में छोटे, मध्यम और बड़े बन्दरगाहों की स्थापना	Establishment of minor, medium and major ports during Fourth Plan ..	124—125
942. छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये कार्यक्रम	Programme for development of minor ports ..	125—126

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

943. मृत्यु दण्ड समाप्त करना	Abolition of capital punishment ..	126—127
944. लड़कों तथा लड़कियों के लिये शिक्षा	Education for boys and girls	127
945. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	Free and compulsory education	127
947. राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों की मांग	Demand for more financial and administrative powers by States ..	128
948. इलाहाबाद में एक हरिजन नेता की हत्या	Murder of a Harijan Leader in Allahabad ..	128
949. राष्ट्रीय शोक दिवस (5 मई, 1969) पर स्कूल/कालेज खोलना	Opening of Schools/Colleges on National Mourning Day (5-5-69) ..	129
950. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की मई, 1969 में हड़ताल	Strike by Employees of IAC during May, 1969 ..	129—131
951. मद्यनिषेध को समाप्त किया जाना	Scrapping of prohibition ..	131
952. पर्यटन विभाग का उपेक्षापूर्ण रवैया	Indifferent attitude of Tourist Department ..	131
953. गांधी जी की विचारधारा के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं	Research projects on Gandhian thoughts ..	132
954. विदेशों में प्रोफेसर तथा लेक्चरार	Professor and Lecturers in Foreign Countries	132
955. भारत में विज्ञान की उत्पत्ति	Origin of Science in India ..	132—133
956. युवकों की प्रवृत्तियों को बदलना	Changing tendency of Youths ..	133—134
957. नये पर्यटक केन्द्रों की स्थापना	Setting up of new tourist centres ..	134
958. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायकों के रिक्त स्थान	Vacancies of research assistants in commission for scientific and technical terminology ..	134
959. हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	Officers on deputation to Himachal Pradesh	135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
960. विद्यार्थियों के लिये अन्तर्राज्यीय शिविरों का आयोजन	Convening of Inter-State Camps for Students	.. 135—136
961. विश्वविद्यालयों में परीक्षा तथा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Introduction of automation for Examination and evaluation work in Universities	.. 136
962. दिल्ली से काठमाण्डू तथा * कलकत्ता से काठमाण्डू मार्ग पर विमान किराया	Air fare on Delhi-Kathmandu and Calcutta-Kathmandu Routes	.. 136—137
963. दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां	Statues of leader in Delhi	.. 137—138
964. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees who participated in 19th September 1968 strike	.. 138
965. राजनैतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बन्दियों जैसा व्यवहार	Treatment of political Party Leaders and workers as Political Prisoners	.. 138—139
966. नई दिल्ली में धारा 144	Section 144 in New Delhi	.. 139
967. आसफी इमामबाड़ा, लखनऊ से ऐतिहासिक अवशेषों की चोरी	Theft of Historical Relics from Asfi Imambara in Lucknow	.. 139
968. दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Parliament Session in the South	140
969. गुरपुर नदी की एक सहायक नदी पर पुल	Bridge on a Tributary of Gurpur River	.. 140
970. राष्ट्रीय राजपथों के लिये आवश्यक पुलों का निर्माण	Construction of Bridges which are Missing links in National Highways	.. 141
971. राज्य परिवहन पर लगी पूंजी पर लाभ	Return on Capital on the Investment of State Transport	.. 141—142
972. दिल्ली में कालेजों की प्रबन्ध समितियों के सदस्यों की नामजदगी	Nomination of Members to Managing Committees of Colleges in Delhi	142

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

973.	शिमोगा जिले में ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा	Protection of Historical Monuments Shimoga District ..	143
974.	मध्य प्रदेश में हड़तालियों की बहाली	Reinstatement of Strikers in Madhya Pradesh ..	144
975.	छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य	Separate Chhatisgarh State ..	143—144
976.	बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देना	Employment of Unemployed Engineers ..	144
977.	मध्य प्रदेश में आसेरगढ़ किला	Asergarh Fort (M.P.) ..	144—145
978.	सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी	Border Security Force Personnel	145
979.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को बढ़ाना	Extension of probationary Period of Central Government Employees ..	145
980.	लद्दाखी बौद्ध	Ladakh Buddhists	146
981.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students of SC and ST and other Minority Communities ..	146
982.	सिन्धु लिपि का पढ़ा जाना	Deciphering of Indus script ..	146—148
983.	कांडला बन्दरगाह का विकास	Development of Kanadla Port ..	148—149
984.	दिल्ली में नेताजी संग्रहालय	Netaji Museum in Delhi	149
985.	मनीपुर सरकार के कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Manipur Government Employees	149
986.	इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centre at Imphal	150
987.	मनीपुर के प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों में गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained non-Matriculate Teachers of Manipur Elementary Schools ..	150—151
988.	पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध मुकदमा	Case against Sankaracharya of Puri	151

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

989. गोहाटी में अम्बारी में पुरा-तत्वीय वस्तुओं का पाया जाना	Archaeological Findings at Ambari in Gauhati	.. 151—152
990. अमरीका का इण्डो-बर्मा पायनियर मिशन	Indo Burma Pioneer Mission of America	.. 152
991. श्री के० एस० संस्कृत विश्व-विद्यालय, दरभंगा का पुनर्गठन	Reorganisation of Shri K. S. Sanskrit University, Darbhanga	152
992. विवेकानन्द शिला स्मारक परियोजना, कन्याकुमारी	Vivekananda Rock Memorial Project, Kanyakumari	153
993. गुजरात के बन्दरगाहों में जमी मिट्टी निकालना	Silting in the ports of Gujarat	.. 153
994. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को तंग न किये जाने के बारे में राष्ट्रपति से अपील	Appeal to the President for End of Victimisation of 19th September, 1968 Strikers	154
995. गृह-मंत्री की काश्मीर यात्रा	Home Minister's visit to Kashmir	.. 154—155
996. राष्ट्रीय एकता परिषद्	National Integration Council	155
997. पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बम बनाने का कारखाना	Bomb Factory in 24 Parganas, West Bengal	.. 155—156
998. गुरुनानक साहिब की 500 वीं वर्षगांठ समारोह	Quincentenary of Guru Nanak Sahib	.. 156
999. दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा संसद् द्वारा विचार तथा पारित किये जाने के लिये भेजे गये विधेयक	Bills sent by Delhi Metropolitan Council for consideration and passing by Parliament	.. 156—157
1000. दिल्ली के अध्यापकों को आवास और चिकित्सा की सुविधायें	Housing and Medical facilities to Delhi Teachers	157
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण हुई तबाही	Havoc caused by floods in Brahmaputra	.. 158—162

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shankar Sharma	.. 158—160
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	.. 158—162
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 162—170
खेलकूद के स्तर में गिरावट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1742 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 1742 re: Deterioration in standard of sports	.. 170
सभा का कार्य	Business of the House	.. 170—174
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	.. 174—175
(एक) इण्डियनस्कूल आफ माइन्स धनबाद की सामान्य परिषद्	General Council of Indian School of Mines, Dhanbad	.. 174
(दो) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	National Shipping Board	.. 175
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
37वां प्रतिवेदन	Thirty-seventh Report	.. 175
विधेयक पुरःस्थापित किये गये—	Bills Introduced—	
(एक) पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक, और	Punjab Legislative Council (Abolition) Bill, and	.. 175—176
(दो) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill	.. 176
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Central Sales Tax (Amendment) Ordinance	.. 176
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक पुरःस्थापित	Banking companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Bills— Introduced	.. 176—185
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance	.. 185
अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव	Motion for modification of All India Services (Conduct) Rules	.. 185—186
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	.. 185—186
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills Resolutions	.. 186
50वां प्रतिवेदन	Fiftieth Report	.. 186

विधेयक पुरःस्थापित किये गये—	Bills Introduced—	
(1) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन 1969 विधेयक (धारा 2,3 आदि का संशोधन)—	The Untouchability (Offence) Amendment Bill, 1969 (Amendment of sections 2, 3 etc.) by	186
श्री मधु लिमये द्वारा	Shri Madhu Limaye	186
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (भाग दस अनुच्छेद 244क और 371ख का संशोधन)—	The Consitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Part X articles 244-A and 371-B) by	187
श्री मधु लिमये द्वारा	Shri Madhu Limaye	187
(3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापकों द्वारा भाग लेना), विधेयक 1969—	The Central Universities (Teachers Participation) Bill, 1969 by ..	187
श्री मधु लिमये द्वारा	Shri Madhu Limaye	187
(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 (नई धारा 12क का रखा जाना और धारा 14 का संशोधन)—	The University Grants Commission (Amendment) Bill, 1969 (Insertion of new section 12-A and Amendment of Section 14) by	187
श्री मधु मिलये द्वारा	Shri Madhu Limaye	187
(5) तेलगांना (मतसंग्रह) विधेयक, 1969—	The Telengana (Opinion Poll) Bill, 1969 by	188
श्री एम० नारायण रेड्डी द्वारा	Shri M. Narayana Reddy	188
(6) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भर्ती विधेयक, 1969—	The Central Government Employees Recruitment Bill, 1969 by	188
श्री महाराज सिंह भारती द्वारा	Shri Maharaj Singh Bharati	188
(7) धूम्रपान से हानियां (विज्ञापन) विधेयक, 1969—	The Smoking Hazards (Advertisement) Bill, 1969 by	189
श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा	Shri George Fernandes	189
(8) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1969 (नई धारा 62 क आदि का रखा जाना)—	The Indian Railways (Amendment) Bill, 1969 (Insertion of new section 62-A etc.) by	189
श्री जार्ज फरनेंडीज द्वारा	Shri George Fernandes	189
(9) सीमा आयोग विधेयक, 1969—	The Boundary Commission Bill, 1969 by ..	189—191
श्री नाथ पाई द्वारा	Shri Nath Pai	191

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 359 का हटाया जाना)—	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Omission of Article 359) by ..	191
श्री नाथ पाई द्वारा	Shri Nath Pai ..	191
श्री जार्ज फरनेंडीज के आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (संशोधन) विधेयक के बारे में	Re. All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill by Shir George Fernandes ..	189
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी का आय-कर (संशोधन) विधेयक— वापिस लिया गया	Income Tax (Amendment) Bill by Shri S. S. Kothari—Withdrawn	192
व्यय विनियमन और भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक श्री हुमांयून कबिर द्वारा-अस्वीकृत हुआ	Regulation of Expenditure and Eradication of Corruption Bill by Shri Humayun Kabir—Negatived	204
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	192
श्री हुमायूंन कबिर	Shri Humayun Kabir	192
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ..	196
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	196—197
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi ..	197
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	197
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	197
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	198
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	198
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza ..	198—199
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	199
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh ..	199
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	199
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	200
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	200
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	200—203

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 87ख का हटाया जाना)—श्री नारायण रेड्डी द्वारा	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Omission of section 87-B) by Shri M. N. Reddy	..	204
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider		204
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy		204
आधे घन्टे की चर्चा—	Half an hour discussion—		
पश्चिम बंगाल में बोद्रा में छिद्रण कार्य	Oil drilling at Bodra in West Bengal	..	205
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	205—207
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	..	207—209 211—212

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 जुलाई, 1969/3 श्रावण, 1891 (शक)
Friday, July 25, 1969/ Sravana 3, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अमरीकी अन्तरिक्ष यात्रियों की चन्द्रमा से वापसी

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Three astronants have returned back to earth today. It is a matter of great pleasure. Therefore, the House should express its happiness and the astronants should be Congratulated for this.

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले दिन हमने करतलध्वनि से हर्ष प्रकट किया था और प्रार्थना की थी कि वे सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आयें । दो अन्तरिक्ष यात्रियों की यह महान सफलता हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है और हम आज विश्वव्यापी प्रसन्नता के भागीदार हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : तीन अन्तरिक्ष यात्री ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस विषय में मैं सम्पूर्ण सदन की मनोभावना व्यक्त कर रहा हूं ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : They have returned to the earth, Let us also....

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : They have returned to thc earth. I feel, that it will be batter if the Hon. Members belonging to Jana Sangh and Swatantra Party are sent on the moon.

Shri Randhir Singh : Mr. Deputy Speaker, will you not serve us sweets ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। यह एक ऐसा अवसर है, जिसे मनाना चाहिए, और कहीं-कहीं स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। ऐसा करना ठीक है ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी इस महान सफलता की महत्ता को समझे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand for Revision of P. T. O. Concession to Government Employees

*121. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government Servants have from time to time, been demanding that the provisions relating to grant of P. T. O. to them should be revised in such a manner that they may get this concession once in a year and they should be reimbursed for the first 400 kilometres also ;

(b) if so, whether Government would consider these demands ;

(c) whether it is also a fact that the Railway employees get many passes and P. T. Os. every year ;

(d) if so, the reasons for not making this facility available to other Government employees ; and

(e) whether Government would take action to do away with this discrimination ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को नियमित छुट्टी पर अपनी ड्यूटी के स्थान से अपने मूल निवास-स्थान को जाने के लिए प्रथम 400 किलोमीटर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) के लिए किराये की सारी लागत वहन करनी पड़ती है और शेष फासले के लिये सारे वास्तविक किराये की सरकार प्रतिपूर्ति कर देती है। यह रियायत दो वर्षों की अवधि में केवल एक बार स्वीकार्य है। उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी का मूल निवास-स्थान उसके मुख्यालय से 400 किलोमीटर (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) या उससे कम फासले पर स्थित है तो सरकारी कर्मचारी को प्रथम 400 किलोमीटर या 160 किलोमीटर, जैसी भी स्थिति हो, के लिये सरकार द्वारा किराये की प्रतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता। विद्यमान योजना कर्मचारियों की ओर से संयुक्त परामर्श व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद में रखे गये प्रस्ताव पर विचार के पश्चात प्रस्तुत की गई उदार योजना है और इसमें आगे कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(2) निःशुल्क रेल पास तथा पी० टी० ओ० कुछ शर्तों के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों को दिये जाते हैं। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता बरतने के आधार पर इस रियायत को अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi: This question, which concerns all the employees working in the length and breadth of the country is very important, but the statement, which the Hon. Minister has laid on the Table of the House, is not only dry but also baseless and no sympathy has been shown in it for the employees. The King must be sympathetic towards his employees like their parents, but no such feelings have been shown in this statement. The poor employees have put forward this demand for P. T. O, with a view that they have to go to their home town once a year. So far as their wages are concerned, these were revised for the first time in 1947 and then in 1957. After that their wages have not been revised till today when the value of the rupee has gone down to one fifth of its value and prices have gone up to such an extent that every employee is under debit today. In such a position that the employees request for sympathy and help, not for their pockets, but that they have to go to their home town with their families to see their old fathers and mothers once a year. I want to know whether Government will consider the question of revising pay of its employees and will a Commission be appointed for that purpose keeping in view the prices having gone up and the value of the rupee having comedown in case Government is not prepared to agree to the demand of the employees for grant of P. T. O.?

श्री के० एस० रामास्वामी: इसका निर्णय अभी हाल ही में, संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के द्वारा 1967 में किया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है वर्ष में एक बार पी० टी० ओ० की मांग की गई थी, राष्ट्रीय परिषद में इस पर विचार किया गया और ऐसा अनुभव किया गया कि इस समय जो रियायतें दी जा रही हैं उनसे अधिक नहीं दी सकतीं। इस बात का निर्णय लिया था कि 400 किलोमीटर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर के पश्चात् समस्त किराये की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यहां तक कि प्रथम वेतन आयोग के द्वारा दी गई पी० टी० ओ० की पूरी रियायत को द्वितीय वेतन आयोग ने उसका प्रत्यावर्तन करना नहीं चाहा।

Shri Om Prakash Tyagi: I have asked whether Government would appoint third Pay Commission in order to revise the pay, in case the damand for giving P. T. O. is not acceptable to the Government.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): As the Deputy Minister has stated J. C. M. and the Second Pay Commission gave their recommendations after considering the matter of rise in prices and the decreasing value of rupee, and we gave our decision on the basis of their recommendations.

Shri Om Prakash Tyagi: The Hon. Minister has stated in his statement that free Railway Passes and P. T. Os., under certain conditions, are admissible to employees in the Railways. I want that equal treatment should be given to all Central Government employees, and if equal treatment is not extended to the employees and there remains disparity, there will definitely be discontentment amongst them. I want to know to those 'Certain Conditions' under which Government issues free passes and P. T. Os. to the Railway employees and why the Government is not prepared to give the same facilities to other Government employees.

श्री के० एस० रामास्वामी : रेलवे कर्मचारियों को वे रियायतें रेलवे द्वारा दी जा रही थीं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा इसे मान्यता दी गई है । द्वितीय वेतन आयोग ने इस मामले पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि इन रियायतों को घटाकर अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई रियायतों के समान कर दिया जाए परन्तु रेलवे प्रशासन इस पर सहमत नहीं हुआ । विद्यमान आर्थिक स्थिति के तंग होने के कारण एवं मितव्ययता की आवश्यकता को देखते हुए सरकार समझती है कि इस रियायत को अब और आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है ।

Shri Om Prakash Tyagi : Are you satisfied with the reply? The Hon. Minister has not mentioned those reasons and conditions on the basis of which railway passes and P. T. Os. are given to the Railway employees.

Shri Vidya Charan Shukla : If the Hon. Member listens the reply he will not require to stand in his seat frequently. The Deputy Minister has said two things, one in the matter of 'international convention' and secondly in the matter of inception of the railways and from that time this rule has been enacted. On the basis of these two particular things this catagorisation has been made, the Hon. Deputy Minister has told you those conditions. It is for the Hon. Member to agree to them or not.

Shri Om Prakash Tyagi : You will have to give those facilities to other catagories of employees also which are being given to one catagory of employees.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सारे देश के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पी० टी० ओ० की रियायतों की कुल राशि के आंकड़ों की कोई गणना की है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कार्य स्थान एवं निवास-स्थान एक ही जगह हैं । सहस्त्रों कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते, उनका स्थाई निवास-स्थान भी दिल्ली में है और वे कार्य भी दिल्ली में ही करते, हैं । विद्यमान समय में वे पी० टी० ओ० की रियायत के हकदार नहीं हैं । इससे पूर्व वर्ष में एक बार अथवा दो वर्ष में एक बार एक कर्मचारी को उसके परिवार को विश्राम एवं मनोरंजन हेतु पी० टी० ओ० की रियायत दी गई थी । मूल विचार यह था । स्वतः सहस्त्रों कर्मचारियों को जिनका कार्य-स्थान एवं निवास-स्थान एक ही जगह है, इस रियायत से बंचित कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न भी उठा था, और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी । क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी क्योंकि जिस मूल उद्देश्य के लिये इसकी स्वीकृति की गई थी, वह उद्देश्य यही था ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने उत्तर दिया है संयुक्त सलाहकार व्यवस्था ने इन सब बातों पर विचार किया था और इस पर भली प्रकार से विचार करने के पश्चात ही यह निर्णय किया जो इस समय लागू हो रहा है । हम पहले ही बता चुके हैं कि

हमने समय-समय इस पर विचार किया है और हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि इन वर्तमान अनुदेशों का पुनरीक्षण किया जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मेरा प्रश्न था कि हड़ताल के पश्चात संयुक्त सलाहकार व्यवस्था अब छिन्न हो गई है । इस संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में पहले ही 27 सरकारी पिट्ठू हैं जो सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहते । जब तक सम्पूर्ण संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को पुनः जीवित नहीं किया जायेगा इसका कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए श्रीमान, मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय उन कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करें, जिनके कार्य करने और निवास करने का स्थान एक जगह है, कि यदि वे वर्ष अथवा दो वर्ष में एक बार अपने परिवार के सहित विश्राम एवं मनोरंजन हेतु जाएं तो उनको भी यह रियायत दी जाए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने कहा है कि हमने इन सब बातों पर विचार किया है यह सम्भव नहीं है कि इस समय हम अपने निर्णय का पुनरीक्षण करें ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : पा० शत्यरंजी के उत्तर से क्या यह समझा जाए कि इस बात का अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है तथा क्या यह भी समझा जाए कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था इस मामले पर समय-समय पर विचार करेगी और सरकार का इस ओर उदार दृष्टिकोण रहेगा ।

श्री के० एस० रामास्वामी : नये अधिनियम के अन्तर्गत जो स्थाई व्यवस्था होगी वह इस मामले पर समय-समय पर विचार करेगी ।

श्री म० ला० सोन्धी : क्या मंत्री जी ने कभी यह सोचा है कि सार्वजनिक कल्याण के लिये सरकार जो कुछ करती है, चाहे वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण है अथवा कोई अन्य उपाय, जनता क्यों ऐसा सोचती है कि सरकार के उस कार्य में कुछ कमी रह गई है ? मेरे विचार से कारण यह है जब अपने कर्मचारियों की समस्या होती है तो सरकार उनको धमकी देती है । यदि उनको धमकी देना ही है । यहां प्रश्न 400 किलोमीटर का है । संसार में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी आंतरिक दूरी केवल 400 किलोमीटर ही है । सरकार वास्तव में कर्मचारियों को कोई रियायत नहीं देना चाहती और यह कोई रियायत है भी नहीं । इन कर्मचारियों का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि 2 वर्ष कार्य करने के बाद उन्हें इस लोकतंत्र में उन अवसरों पर छुट्टी जाने दिया जाय जब मंत्रीगण विदेशों का दौरा करते हैं । मेरा कहने का आशय यह है कि यदि सरकार यह चाहती है कि संसार के अन्य देश उसे दम्भी न समझें तो सरकार को इस प्रश्न पर शांति और गम्भीरता से सोचना चाहिये । मंत्री महोदय एक युवा व्यक्ति हैं । अतः उनमें इतना साहस होना चाहिये कि वह अभी इस बात की घोषणा कर दें कि जिन कर्मचारियों के मूल निवास-स्थान 400 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत हैं उनको मानव की चन्द्र यात्रा वाले वर्ष के उपहार स्वरूप पी० टी० ओ० दिये जायेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपको ऐसे मामलों में क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि सभी मामलों पर विचार किया गया था। देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही इन मामलों पर विचार किया गया था तथा उस दृष्टि से जो रियायत दी गई है वह पर्याप्त है। इसी कारण इस रियायत में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के बारे में विचारना आवश्यक नहीं समझा गया था। यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह रियायत पर्याप्त नहीं है तथा इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने कहा है हम इस मामले पर पुनः विचार करेंगे। हम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोरता या कंजूसी का व्यवहार नहीं करना चाहते किन्तु कोई भी निर्णय करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को इतने बड़े कठोर आरोप नहीं लगाने चाहिये जैसे कि उन्होंने लगाये हैं। इतने छोटे मामलों में जहां उनके और मेरे विचारों में कोई मतभेद नहीं है माननीय सदस्य को लोगों की सरकार के कार्यों के प्रति अविश्वसनीयता आदि जैसी बातें कहना उचित नहीं है। हम भी इन मामलों पर उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं जिससे कि माननीय सदस्य सोचते हैं कि वह इस प्रकार से कह रहे हैं जैसे उनके और हमारे विचारों में भारी अन्तर हो।

Shri S. M. Joshi : It has been stated that the decision was taken after discussing this matter in the Joint Consultative Machinery. May I know when the meeting of J.C.M. was held in which this matter was discussed or the decision was taken? May I know whether this decision was supported by the representatives of the employees or their demand was different one and if so the nature of the demand?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा विचार किये जाने तक का सम्बन्ध है मेरे विचार से उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ था। संयुक्त परामर्श व्यवस्था की बैठक 30 जनवरी, 1967 को हुई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : गत वर्ष सितम्बर मास में हुई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पश्चात सरकार ने कर्मचारियों को अन्य दण्ड देने के साथ-साथ उनसे पी० टी० ओ० की रियायत भी छीन ली थी। सरकार जिसे सेवा में व्यवधान कहती है उसके अन्तर्गत यह रियायत भी समाप्त कर दी थी। उसके पश्चात हाल ही में एक अभिवेदन दिया गया था तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के उन कर्मचारियों के लिये भी जिनकी सेवा में व्यवधान माना गया है यह विशिष्ट रियायत पुनः दे दी गई है। कर्मचारियों को कम से कम इतना माननीय अधिकार तो है ही कि वे अपने परिवारों से मिलने के लिये जा सके। अतः मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब एक मंत्रालय ने इस रियायत के बारे में पर्याप्त नरमी बरती है तो रेलवे तथा डाक तार आदि अन्य मंत्रालय ऐसी ही कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय के किसी निर्णय के बारे में मुझे

इस समय कुछ पता नहीं है। फिर भी मैं निर्णय के बारे में पता करूंगा तथा यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस आधार पर यह निर्णय किया है।

श्रीमती शाहजहां बेगम को पेंशन

*122. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की धर्मपत्नी श्रीमती शाहजहां बेगम को पेंशन देने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या उन्हें कोई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना बताने वाला एक विवरण सदन में सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की धर्मपत्नी श्रीमती शाहजहां बेगम को दिये जाने के लिये स्वीकृत की गई पेंशन तथा अन्य सुविधाएं इस प्रकार हैं :

(1) श्रीमती शाहजहां बेगम को 4 मई, 1969 से 15,000 रु० वार्षिक की आजीवन पेंशन मंजूर की गई है।

(2) श्रीमती शाहजहां बेगम को नई दिल्ली में सामान्य पूल से निम्नलिखित शर्तों पर रिहायशी आवास आवंटित किया गया है :

(क) बंगले का किराया मूल नियम 45-क के अधीन अथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, देना होगा। बंगले में जो कोई जोड़/परिवर्तन किया जायेगा उसके लिये भी मूल नियम 45-क के अधीन किराया देना होगा।

(ख) बंगले के किराये के अतिरिक्त फर्नीचर, बिजली के उपकरणों, इत्यादि का किराया भी मूल नियम 45-क के अनुसार देय है ;

(ग) बिजली और पानी की खपत का खर्च सीधे नई दिल्ली नगरपालिका को देना होता है।

(3) (i) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती शाहजहां बेगम के परामर्श से उनके चिकित्सा परिचारक का कार्य करने के लिये सरकारी डाक्टर नामित किया गया है। जब कभी आवश्यक होगा उसकी सेवाएं उनके लिये उपलब्ध होंगी ;

(ii) विशेषज्ञों के साथ परामर्श अथवा अस्पताल में भर्ती चिकित्सा परिचारक की सलाह पर की जायेगी और इसका प्रबन्ध भी चिकित्सा परिचारक ही करेंगे ;

(iii) चिकित्सा परिचारक अथवा विशेषज्ञों की सलाह पर किये गये उपचर्या समेत डाक्टरी चिकित्सा तथा औषधियों तथा विशेषज्ञों के साथ परामर्श तथा अस्पताल में भर्ती पर समस्त व्यय सरकार वहन करेगी ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वर्तमान स्थिति में ऐसे मामलों में पेंशनें निश्चित करने के बारे में देश में कोई कानून नहीं है । अतः सत्तारूढ़ सरकार की अपनी इच्छा और सद्भावना के अनुसार पेंशन की राशि तथा अन्य सुविधाएं देनी निश्चित की जाती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले में अन्य देशों में उपलब्ध विधानों का अध्ययन किया है तथा क्या सरकार इस प्रकार के मामलों से सम्बन्धित कोई उपयुक्त विधान लाने की सोच रही है जिससे कि ऐसी कठिनाइयां उपस्थित न हो सकें तथा सरकार अपनी इच्छा के अनुसार पेंशन आदि निश्चित न कर सके ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय सदस्य को सेवा निवृत्त होने वाले राष्ट्रपति के बारे में जो हमारे यहां कानून बना हुआ है, उसका ज्ञान होगा । सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को पेंशन तथा उसके कार्यालय पर होने वाले व्यय के लिये कुछ खर्चा दिया जाता है तथा इस कार्य के बारे में हमारे यहां कानूनी व्यवस्था है । किन्तु राष्ट्रपति की विधवा पत्नी को पेंशन देने की व्यवस्था करने वाला कोई कानून नहीं था अतः संविधान के अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत इस मामले में निर्णय करना पड़ा । केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय किया । तमिलनाडु सरकार ने पहले वहां के भूतपूर्व राज्यपाल की विधवा पत्नी को पेंशन दी थी । अतः इस बारे में उदाहरण मौजूद है । मेरे विचार से इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं जब कि राष्ट्रपतियों की विधवा पत्नियों की देख-भाल सरकार को करनी पड़े बहुत बार घटित होने की सम्भावना नहीं है । अतः मेरे विचार से ऐसी आकस्मिक घटनाओं के बारे में कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु रिटायर होने वाले राष्ट्रपति को पेंशन देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हमारे यहां विधान विद्यमान है जो लागू भी है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह उत्तर सर्वथा असंतोषजनक है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने विदेशों में विद्यमान इसी प्रकार के कानूनों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो सरकार इस प्रकार का विधान बनाने की क्यों नहीं सोच रही है । यह कहना बिल्कुल संतोषजनक नहीं है कि ऐसी आकस्मिक घटनाएं भविष्य में घटित नहीं होंगी । यह कोई उत्तर नहीं है । अगले 10 या 20 वर्षों में इस प्रकार की घटना हो सकती है । विधान के बिना सरकार को अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है तथा इसे टालना ही चाहिये । यह स्थिति चाहे 10 वर्ष में पैदा हो अथवा 15 वर्ष में हो किन्तु इस बारे में विभिन्न मानकों तथा कसौटियों को

निर्धारित करने वाला कोई उपयुक्त विधान तो बनाना ही चाहिए। क्या सरकार को विदित है कि दूसरे देशों में इस प्रकार का विधान उपलब्ध है, और यदि हां, तो भारत सरकार के सामने ऐसी कौन सी विशेष कठिनाइयां हैं जिनके कारण वह यह विधान बनाने में असमर्थ है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार से अन्य देशों में भी इस प्रकार का कानून नहीं है। किन्तु चूंकि माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है अतः मैं इस मामले की जांच करूंगा तथा पता लगाऊंगा कि क्या इस प्रकार का विधान अन्य देशों में है और यदि हुआ तो हम भी इस दिशा में विचार करेंगे। अन्य देशों ने क्या किया है इसके अतिरिक्त यदि यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार की आकस्मिकता को संसद् द्वारा पारित विधान से हल किया जा सकता है तो हम इस प्रकार का विधान लाएंगे। हमारा वर्तमान निर्णय यही है हम ऐसा कोई विधान नहीं बनाएंगे ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की विधवा पत्नी को पेंशन की राशि तथा अन्य सुविधाएं निर्धारित करते समय सरकार ने किन कसौटियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया था ? उनको दी जाने वाली इस राशि का सरकार ने कैसे निश्चय किया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रति वर्ष 12,000 रुपयों की राशि सेवानिवृत्त होने वाले राष्ट्रपति को दी जाने वाली पेंशन के समान ही है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की विधवा पत्नी को भी लगभग यही सुविधाएं दी गई थीं। न्यूनतम-मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है। अन्य कोई कसौटी इस बारे में नहीं अपनायी गयी।

पुरी के शंकराचार्य पर मुकदमा

*123. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार का यह परामर्श मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है कि पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य पर मुकदमा चलाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस ने 29 मार्च, 1969 को पटना में पुरी के शंकराचार्य द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड 17 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री मुहम्मद शरीफ : इस मामले की जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारी कौन हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने निवेदन किया इस मामले को न्यायालय में दर्ज किया गया है तथा पुलिस इसकी जांच-पड़ताल कर रही है। अभी तक उन्होंने सभी गवाहों के वक्तव्य रिकार्ड कर लिये हैं। जांच-पड़ताल पूरी होने से पहले अभी कई अन्य गवाहों के साक्ष्य रिकार्ड करने हैं। यह बताना कठिन है कि उनके साक्ष्य कब तक रिकार्ड कर लिये जाएंगे। अतः जांच-पड़ताल पूरी होने की निश्चित तिथि या समय बताना अभी मेरे लिये सम्भव नहीं है। ।

श्री मुहम्मद शरीफ : संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है तथा इसको किसी भी रूप में मानने से मना किया गया है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी को अयोग्य बताना इस कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध माना जाएगा। किन्हीं गैर-सरकारी दलों ने बिहार राज्य में जो मामला दर्ज कराया था उसको बिहार न्यायालय द्वारा खारिज करने के बारे में सरकार के विधि सलाहकार से क्या कहते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभा को भलीभांति मालूम है कि हमने संविधान के इस विशेष अनुच्छेद के अनुसरण में एक अधिनियम पारित किया है जिसके द्वारा अस्पृश्यता को निषेध ठहराया गया है। गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा बिहार राज्य के न्यायालय में जो मामला दर्ज कराया था उसको साक्ष्य न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसे इसलिये समाप्त नहीं किया गया था। चूंकि कानून प्रभावोत्पादक नहीं था। जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला आता है तो वह उसे साक्ष्य के कानूनों के अन्तर्गत निर्णीत करता है और जिस मामले में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, उन मामलों को खारिज कर दिया जाता है।

Shri Randhir Singh : The statements made by Shankracharya at various places have hurt 25 crores of Harijans and weaker sectors of the society.

Shri Om Prakash Tyagi : How 25 crores ?

Shri Balraj Madhok : There are 50 crores of Harijans in our country, including you and I.

Shri Randhir Singh : The statements made by Shankracharya have hurt the feelings of the entire country. The charges against that man are since being investigated. Why has the Government delayed the matter and he has not been as yet punished or arrested.

The case was registered against him under Section 153 (A). Kindly make it a non-bailable case under I.P.C. and amend the other laws. The persons who indulge in such activities arrested, no bail should be accepted and the punishment should be for 10 years, so that no one may dare to indulge in divisive activities.

Shri Vidya Charan Shukla : Whatever crime one may commit, he has to be tried in a court of law in accordance with the existing laws and we have done whatever maximum we could do.

श्री रणधीर सिंह : आप उन्हें बन्दी क्यों नहीं बनाते ?

Shri Vidya Charan Shukla : He would have been arrested if the law permitted. He is being tried for the wrongs committed by him. Every body is equal so far as laws are concerned, so he has not been held.

Shri Randhir Singh : An ordinance may be promulgated for the purpose.

Shri Gunanand Thakur : Was Shri Shankracharya invited by some one to deliver such speeches ? The Hindu conference, in which he made his speech was inaugurated by Dr. Karan Singh and former Chief Minister Sardar Harihar Singh was its convener. So I take it that this has been done by the congress party itself. When Shri Shivanand Tewari instituted a case against Shri Shankracharya he could not get any witnesses. The Ministers who were present there should have given witnesses. I allege that the Government is deliberately acting on the policy of divide and rule. Does the Government intend to detain Jagatguru under Defence of India Rules, Unlawful Activities, Constitution on preventive Detention Act ?

Does the Government intend to introduce, ungently, such laws so that no body may be able to spread feelings of hatred in future, so that the interests of Harijans may be protected ?

Shri Vidya Charan Shukla : How absurd the member has stated ? I take it that Dr. Karan Singh's presence there was good. He contradicted the objectionable portions of Shri Shankracharya's speech.

श्री ए० श्रीधरन : डा० करण सिंह उस सभा में क्यों गये थे ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ सदस्य इस प्रकार विघ्न डालते रहेंगे तो मैं उत्तरदायी व्यक्तियों पर ध्यान नहीं रख सकूंगा ।

Shri Vidya Charan Shukla : It will be benificial if progressive elements participate in such conferences. He performed the task appreciably. However the matter will be dealt with according to laws.

Shri Mrityunjay Prasad : Was the speech of Shri Shankracharya tape recorded ? If so, that would be the most authentic version. That may be published and the case instituted on that basis.

Shri Vidya Charan Shukla : The complete tape record of his speech is available and will be made available to the court as a witness. His statement has otherwise been published in the newspapers.

Shri Mrityunjay Prasad : Would the tape records be published ?

Shri Shiv Kumar Shastri : I am deadly against untouchability and I have written a book on this subject. Why has his statement not been placed in an authentic form ?

When he said that the statement does not pertain to him, why does not Dr. Karn Singh contradict it.

Shri Vidya Charan Shukla : The statement of Dr. Karn Singh will be taken while investigating the matter.

The statement of Shri Shankracharya would be considered by the court in its authentic form.

Shri Sheo Narain : This matter may be stopped here. According to today's news a Harijan girl has been shot in my state **(interruption).**

Shri Madhu Limaye: A Harijan girl has been killed by the son of Shri Kamlapati Tripathi (**interruption**).

Shri Sheo Narain: The slogan of Harijan uplift was made in the era of Mahatma Gandhi and Maharishi Dayanand. Now that there has been some uplift that you raise the question of Shankracharya. I appeal to all opposition parties to close this chapter. The scholarships of our sons are being stopped. Injustice meted out towards us throughout the country. We want to live in this country as faithful citizen and do not want to ruin the Harijans. What steps the Government is taking to protect the Harijans?

What assurance the Government gave regarding protection.

Shri Vidya Charan Shukla: The matter raised by Hon. Member requires serious consideration. It is true that the required amenities and the chances for progress as were needed, could not be provided. The Hon. Member has expressed his wish that Harijans be allowed to live peacefully and have chances of progress. No body has any objection to that.

Shri Ram Sewak Yadav: There cannot be any person more partial incompetent and bad person than you. (**interruptions**).

श्री रामसेवक यादव सदन से बाहर चले गये

Shri Ram Sewak Yadav left the House

Shri M. A. Khan: The statement of Shri Yadav is very objectionable. He should withdraw it and a serious note may be taken of it.

श्री हरि कृष्ण : माननीय सदस्य सदन छोड़ गये हैं। मेरा निवेदन है कि उनके वाक्यों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम छः सदस्यों ने मुझसे समय लेने की चेष्टा की, जबकि दूसरी ओर के भी कुछ सदस्य उत्सुक थे।

Shri Madhu Limaye: He was standing but you did not give him a chance.

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य का खड़े होकर यह कहना कि सभापीठ निष्पक्ष नहीं है, क्या युक्ति है ?

Shri Madhu Limaye: The member did not disturb the House. He was simply standing to get time.

उपाध्यक्ष महोदय : बीस मिनट तो इस पर लग गये थे और दूसरी ओर के सदस्यों को भी समय देना था।

श्री हरि कृष्ण: सदस्य से खेद प्रकट करने को कहा जाए अथवा उसके शब्द निकाल दिए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य यहां बैठे नहीं हैं। मैं इस बात को उन्हीं के लिए छोड़ता हूं। इसमें सभापीठ की गरिमा का कोई विशेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपको इस सदन में कुछ स्वस्थ परम्पराएं डालनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सभापीठ पर ऐसे आरोप लगाना सदन के लिए ही अशोभनीय है।

श्री रणधीर सिंह : मैं उनकी ओर से अध्यक्षपीठ से क्षमा मांगता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं श्री लिमये तथा श्री रबिराय से प्रार्थना करता हूं कि वे श्री यादव की ओर से क्षमा मांगें।

Shri Bhogendra Jha : I also feel that the voice of only those persons who make a noice, is heard in this house. The observation of Shri Yadav is correct.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विरोधी दल के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। मेरा विचार है आप इस पर ध्यान रखें।

श्री हेम बरुआ : क्या कारण है कि अनेक बार खड़े होने पर भी हमें नहीं बुलाया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। हम एक प्रश्न को 15 मिनट देते हैं। इस प्रश्न पर हम 20 मिनट दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुझे दोनों ओर का ध्यान रखना होता है।

किन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ को बुलाया नहीं जाता है। सभी को अवसर देना सम्भव नहीं होता है क्योंकि कोई न कोई समय सीमा रखनी पड़ती है। आपसे परामर्श करके मैं इस बारे में नियम निर्धारित करने को तैयार हूं। किन्तु अध्यक्षपीठ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति चार या पांच से अधिक सदस्यों को नहीं बुला सकता है। 15 मिनट के समय में इससे अधिक सदस्यों को बुलाना सम्भव नहीं है। जैसाकि मैंने कहा मैं रचनात्मक सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हूं। किन्तु किसी भेदभाव या पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Sheo Narain : It is our prime duty to respect the chair. Those Members who do not respect the chair should be expelled. You are the custodian of the rights of the Members and we must respect you.....**(Interruptions)**

श्री चेंगलराया नायडू : आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए *.....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने किसी को नहीं बुलाया है और जो कुछ भी कहा गया है उसे सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

Shri S. M. Joshi : I want to dispel your misunderstanding. The only fault of Shri Ram Sewak Yadav was that he kept standing without shouting. You said, "No, no. You will not catch the eye."

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप कार्यवाही देखिये। आपने वाद-विवाद का अनुसरण नहीं किया है।

Shri Sheo Narain : You have told that whoever shouted would not catch your eye.

---

*सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री रा० कृ० बिड़ला : आपने अभी कहा है मैं एक इस ओर से बुलाता हूं और एक उस ओर से निर्दलीय तथा भारतीय क्रांति दल के सदस्यों की संख्या 71 है । क्या हमारा बुलाये जाना का अधिकार नहीं है । यदि आप पिछली बैठकों की कार्यवाही पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस ओर से कितने कम सदस्य बुलाये गए हैं । मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक के 40 मिनट के प्रश्नकाल में दो सदस्य पहले ही भाग ले चुके हैं । अत: किसी की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं और मैं अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न करता हूं विशेष रूप से उनको जिन्हें बोलने का बहुत कम अवसर मिलता है । यदि मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो ऐसा करना उस दल या सदस्य को शोभा नहीं देता । कार्यवाही के वृत्तान्त में से टिप्पणियों को निकालने के लिये कुछ नियम हैं । मैं इस अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

*124. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री जी० मो० बिस्वास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं की देख-भाल के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस बल की यूनिटें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 1968 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में औद्योगिक उद्यमों की सुरक्षा तथा बेहतर संरक्षण के लिये उक्त बल का गठन किया जाना है तथा उसे बनाए रखना है । सम्बन्धित प्रबन्ध-संचालकों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त होने पर उक्त बल को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है ।

(ख) इस योजना की मोटी रूपरेखा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में दी गई है ।

(ग) जहां तक आवश्यकता होगी उक्त बल टुकड़ियों को केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में

औद्योगिक उद्यमों में नियुक्त किया जाएगा, सम्बन्धित प्रबन्ध-संचालकों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में भी प्रतिनियुक्त किया जायगा।

श्री जी० मो० बिस्वास : विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के सत्ता में आने के पश्चात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल प्रकाश में आया है। इसको ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस औद्योगिक सुरक्षा बल को स्थापित करने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है अथवा किया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम पहले ही पास किया जा चुका है और वह बल इस सभा के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। अब राज्य सरकारों से परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं है। अधिनियम का प्रारूप तैयार करते समय उनसे परामर्श किया गया था।

श्री जी० मो० बिस्वास : यदि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल उन उद्योगों में भेजा जाता है जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है किन्तु जो राज्य सरकारों के क्षेत्रों में हों, तो क्या सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करने की केन्द्रीय सरकार की कोई नीति है ताकि राज्य सरकारों के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन न हो ? दूसरे, क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सुरक्षा बल रखने का निश्चय किया है जहां पर लगभग 1200 पहरा और निगरानी कर्मचारी हैं, और यदि हां, तो वहां पर काम करने वाले इन 1200 कर्मचारियों का क्या बनेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य को इस संसद् द्वारा पास किये गये कानून के उपबन्धों की जानकारी है और यदि उन्होंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये विभिन्न वक्तव्यों को पढ़ा है तो उनके मस्तिष्क में यह सन्देह पैदा नहीं होता। पहली बात तो यह कि औद्योगिक सुरक्षा बल का स्वरूप पहरा तथा निगरानी कर्मचारियों की तरह का है। दूसरे, यह संयंत्र क्षेत्र के अन्दर केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की देख-भाल करेगा। इसका काम सामान्य पुलिस या राज्य सरकार की पुलिस के जैसा नहीं है। अतः हम जब भी किसी पहरा तथा निगरानी कर्मचारी को इसमें ले सके तो हमें खुशी होगी। वास्तव में, औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करते समय दुर्गापुर में इस समय काम करने वाले पहरा तथा निगरानी कर्मचारियों को संरक्षण देने का हम प्रयत्न करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त व्यक्तियों को औद्योगिक सुरक्षा बल में लिया जाये। कानून के अनुसार सुरक्षा बल को उस संयंत्र में भेजा जाता है जिसका प्रबन्धक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक से इसके लिये प्रार्थना करे और इसके लिये उन्हें इसका खर्च देना होता है। अतः कानून के अनुसार सामान्यतः राज्य सरकार से परामर्श करने का प्रश्न पैदा नहीं होगा, किन्तु हम अनौपचारिक रूप से उनसे हमेशा ही बातचीत कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम इस मामले पर कोई मनमुटाव नहीं चाहते।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सरकार को पता है कि विशेष रूप से दुर्गापुर में औद्योगिक सुरक्षा बल के रखने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने घोर आपत्तियां उठाई हैं जब कि वहां पर सुरक्षा बल का रखा जाना बहुत आवश्यक है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य शायद केन्द्रीय रक्षित पुलिस के बारे में पूछ रहे हैं जब कि हम यहां औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सर्वथा भिन्न है।

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैंने औद्योगिक सुरक्षा दल के बारे में ही पूछा है।

श्री रा० की० अमीन : क्या माननीय मंत्री को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि घेराव के डर के मारे औद्योगिक संयंत्रों में कोई अनुशासन नहीं रहता है और यदि हां, तो इन उपक्रमों के अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिये उन्होंने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : औद्योगिक सुरक्षा दल स्थापित किया जा चुका है।

श्री रा० बरुआ : कानून में जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद भी मेरा तथ्य यह है कि औद्योगिक सुरक्षा दल के भेजने का केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ता है। बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस मामले में सूझबूझ पैदा करने के लिये कोई नियम निकाला है, ताकि यह मामला निरन्तर न उठाया जाये और केन्द्र तथा राज्य के अच्छे सम्बन्ध बने रहें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं है, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि औद्योगिक सुरक्षा दल के भेजने से अनावश्यक मन मुटाव न हो। अतः हम अनौपचारिक रूप से उनसे परामर्श करते हैं।

श्री उमानाथ : माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि संयंत्र के अन्दर सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा दल की नहीं है। किन्तु यह अधिनियम पास हो जाने के पश्चात ही काशीपुर में घटना घटी थी। क्या यह जिम्मेदारी पहरा तथा निगरानी करने वाले कर्मचारियों की नहीं थी ? किन्तु फिर भी वहां गोलियां चलाई गईं। दुर्गापुर में भी विधि तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां पर तैनात सुरक्षा दल की नहीं थी। किन्तु फिर भी लाठियां और गोलियां चलाई गईं। यदि कारखाने का महाप्रबन्धक सुरक्षा दल को भेजने के लिये प्रार्थना करता और राज्य सरकार इस पर आपत्ति उठाती है कि पुलिस दल इसके लिये काफी है तो क्या सरकार राज्य सरकार की बात को मानेगी या महाप्रबन्धक की बात को मानेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मूल रूप से यह दल पहरा देने तथा निगरानी करने वाला दल

है । इसका काम केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक सम्बन्धों में है । अत: उनको सामान्य पुलिस दल उपलब्ध नहीं है और न ही उससे इन सब बातों की आशा की जाती है । किन्तु ऐसी स्थिति हो सकती है जब कि प्रबन्धक निदेशकों को औद्योगिक सुरक्षा दल की आवश्यकता हो और राज्य सरकार को इस पर आपत्ति हो । हम राज्य सरकार की आपत्तियों और उनकी कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करने के लिये उन्हें उन विशेष परिस्थितियों को बतायेंगे, जिनमें हमें ऐसा करना पड़ा है । यह हमारी नीति है । हम उनके भय को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं या नहीं, यह तो वास्तविक प्रश्न उत्पन्न होने पर ही पता चलेगा । मैं तो केवल अपनी नीति और इरादा ही बता रहा हूं । हम उनके सद्भाव से ऐसा करना चाहते हैं, उनपर अपना जोर नहीं चलाना चाहते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*125. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में 21 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के शेष छः प्रतिवेदनों पर इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी कितने मामलों में कार्यवाही आरम्भ करनी शेष है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दो और प्रतिवेदनों अर्थात् "वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा" तथा "आर्थिक प्रशासन" सम्बन्धी प्रतिवेदनों में समाविष्ट अधिकांश सिफारिशों पर भी निर्णय लिये जा चुके हैं । इन प्रतिवेदनों में से पहले प्रतिवेदन पर सरकारी निर्णय बताने वाले विवरण 21-3-1969, 16-5-1969 तथा 22-7-1969 को सदन के सभा-पटल पर रखे गये थे । "आर्थिक प्रशासन" सम्बन्धी प्रतिवेदन पर इसी प्रकार का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर शीघ्र ही रखा जाएगा । शेष चार प्रतिवेदन अभी विचाराधीन हैं । उनमें से दो अर्थात् "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन" और "संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा का प्रशासन" संसाधन की अग्रवर्ती प्रावस्था में हैं ।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर तीन और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं :—

(1) कर्मचारी प्रशासन

(2) वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यावर्तन

(3) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

ये प्रतिवेदन हाल में ही प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं,

(ग) और (घ). इस बात को देखते हुए कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन अनेक विषयों पर हैं और जटिल समस्याओं से सम्बन्धित हैं जिन पर गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है, निर्णय लेने में कोई विशेष देरी नहीं हुई है। यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक सब प्रतिवेदनों पर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।

Disrespect to National Songs

*126. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government or State Governments have enacted any law or propose to enact a law under which the authorities will be in a position to take action against those who show disrespect to the National Song or creat disturbance when it is being sung ;

(b) if so, the details of such laws and suggestions ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). There is at present no law enacted by Parliament or any of the State Legislatures under which action would be possible against persons who show any disrespect to the National Anthem. Government, therefore, propose to introduce legislation which would provide **inter alia** punishment for persons who intentionally prevent the singing of the National Anthem or cause obstruction to any assembly engaged in such singing. In respect, however, of persons who create disturbances when the National Anthem is being sung, action under the existing law, such as the Indian Penal Code, can be taken, if they disturb public peace by indulging in rioting or affray.

Formation of a Separte Independent Nation Comprising of East and West Bengal

*127. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Naval Kishore Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by a former

Central Minister, who is at present a Member of Parliament, wherein he has stated that there is a possibility of West Bengal and East Bengal jointly declaring a separate independent nation, thereby posing a grave political crisis for India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government have seen press report regarding the statement.

(b) Government have no such information.

तेलंगाना आन्दोलन के नेताओं को बातचीत के लिये निमंत्रण

*128. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने तेलंगाना आन्दोलन के नेताओं को बातचीत के लिये बुलाया था ;

(ख) किन-किन लोगों को निमंत्रण भेजा गया था और इसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आन्ध्रप्रदेश में व्याप्त स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिये प्रधान मंत्री के अनुरोध पर 10 अप्रैल, 1969 को डा० चेन्ना रेड्डी, श्री वी० वी० राजू, श्री चोक्काराव और श्री रामचन्द्र रेड्डी ने प्रधान मंत्री से भेंट की । अप्रैल, 1969 के महीने में एक अन्य अवसर पर भी निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात श्री के० वी० रंगा रेड्डी, श्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी, श्री पी० नरसा रेड्डी, श्री जे० वेंगल राव, श्री ए० वासुदेव राव, श्रा वी० नरसिंह रेड्डी, श्री राजेश्वर राव, श्री जो लत्चन्ना और डा० एम० लक्ष्मो नरसिया ने प्रधान मंत्री से भेंट की । अप्रैल, 1969 में आन्ध्र प्रदेश के नेताओं और मुख्य मंत्री के साथ कई बार बातचीत करने के पश्चात् प्रधान मंत्री ने 11 अप्रैल 1969 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था । उस वक्तव्य में बताये गए विभिन्न निश्चित उपाय कार्यान्वयन की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं । तब भी आन्दोलन जारी रहा और पिछले महीने में दोनों क्षेत्रों के नेताओं के साथ और आगे विचार-विमर्श किया गया । तेलंगाना की समस्याओं के उचित तथा न्यायपूर्ण हल खोजने के लिए हमारे प्रयास होंगे कि बातचीत को जारी रखा जाय । हाल में तेलंगाना क्षेत्र के एक उप मुख्य मंत्री को लेकर राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है । आशा की जाती है कि नया मंत्रिमंडल तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्ति स्थिति को सामान्य बनाने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे और किसी समझौते के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे ।

Taking over of Shares of Dr. Dharama Teja of Jayanti Shipping Co.

*129. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri S. M. Banerjee :**
Shri R. R. Singh Deo : **Shri J. H. Patel :**
Shri Tulsidas Dasappa : **Shri N. R. Deoghare :**
Shri Himatsingka : **Shri Shashi Bhushan :**
Shri P. C. Adichan : **Shri Ramchandra Veerappa :**
Shri Jyotirmoy Basu : **Shri C. K. Bhattacharya :**
Shri P. Viswambharan : **Shri Y. A. Prasad :**
Shri Shardanand : **Shri Yamuna Prasad Mandal :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had decided that the question of taking over the shares of Dr. Dharama Teja, which have been subscribed by him in the Jayanti Shipping Company, by the Indian Shipping Corporation should be deferred till a judgement was given by the Costarica Court in the case of repatriation of Dr. Teja to India ;

(b) whether the Costarica Court has since given any judgement ;

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramiah) : (a) No, Sir. A decision on the question whether or not the shipping Corporation of India should bid for the shares of Dr. Teja in Jayanti Shipping Company, when they are put up for sale in execution of decrees passed against him, will be taken at an appropriate time when the shares are likely to be put up for auction.

(b) The Supreme Court of Costarica by a majority of 10 judges against 7, has given its advisory opinion to the Government of Costarica against the extradition of Dr. and Mrs. Teja.

(c) So far as the purchase of Dr. Teja's shares by the Shipping Corporation of India is concerned, as already stated in reply to part (a), a decision will be taken shortly before the shares are likely to be put up for sale.

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के हल के लिये पाटस्कर फार्मूला

*130. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री स० अ०अगड़ी : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री समर गुह : **श्री लताफत अली खां :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **डा० रानेन सेन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री एच० वी० पाटस्कर ने प्रधान मंत्री को

एक विधेयक की प्रति पेश की थी, जो उन्होंने महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को हल करने के लिये तैयार किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक में क्या-क्या मुख्य उपबन्ध हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक के आधार पर एक विधान पेश करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। उन्होंने प्रायः इस अभिप्राय का एक विधेयक का प्रारूप भेजा है कि एक गांव को एक एकक मानकर, उसकी जनसंख्या का सापेक्ष भाषाई बहुमत तथा उस क्षेत्र की निकटता के आधार पर मैसूर तथा महाराष्ट्र की सीमाओं का समर्जन किया जाय और सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में इसे संसद् में पुरःस्थापित किया जाय।

(ग) और (घ). सरकार ने इस विवाद का संतोषजनक हल खोजने का प्रयास जारी रखा है। अतः इस विषय पर कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

पर्यटकों ने व्यय के विषय में नीति का पुनरालोकन

*131. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के महानिदेशक ने सरकार से अपनी विदेश नीति का पुनरालोकन करने के लिये अनुरोध किया है ताकि पर्यटकों के व्यय में वृद्धि न हो ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को किसी ऐसे अनुरोध की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के विदेश व्यापार पर लागू भाड़े की दरें

*132. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय नौवहन परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से यह

अनुरोध किया है कि भारत के विदेश व्यापार पर लागू होने वाले भाड़े की सम्पूर्ण दरों का व्यापक अध्ययन करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त परिषद् ने यह भी कहा है कि हमारे यहां से निर्यात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं पर जो भाड़े की दरें हैं, वे हमारे अन्य प्रतियोगी निर्यातकों के माल पर लगी भाड़े की दरों से अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत/हांगकांग/जापान के माल पर भाड़े की दरों में वृद्धि

*133. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान/फारस की खाड़ी तथा जापान नौवहन सम्मेलन ने भारत से हांगकांग तथा जापान को जाने वाले माल पर 1 अक्तूबर, 1969 से भाड़े की दरों में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि की हाल में घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, पूर्वी देशों को भारतीय व्यापार पर, भाड़े की दरों में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सच है कि पोतपरिवहन भाड़ा दरों में वृद्धियां हमारे माल निर्यात की प्रतियोगिता स्थिति को प्रभावित करता है । पोतपरिवहन भाड़ा केवल एक कारक है जिसका निर्यात व्यापार से सम्बन्ध हैं । अतः किसी एक कारक को किसी व्यापार में चढ़ाव या उतार के कारण को अलग करना कठिन है ।

रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड की स्थापना

*134. **डा० सुशीला नैयर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री हेमराज :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रधान से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि

देश में सड़क परिवहन के लिये केन्द्रीय प्राधिकार के रूप में रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड स्थापित किया जाये ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे आयव्ययक की भांति संसद् में वित्तीय, सड़क परिवहन आयव्ययक प्रस्तुत किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(घ) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सड़क बोर्ड के गठन का प्रस्ताव, जैसा कि भारतीय सड़क कांग्रेस ने सुझाया है, विचाराधीन है।

नियोजक और कर्मचारी के सम्बन्धों के बारे में विधान

*135. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में क्विलाने में हुए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के 18 वें वार्षिक अधिवेशन में पारित किये गये उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि न केवल सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में अपितु गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी सब अनिवार्य सेवाओं में कर्मचारियों से सम्बन्ति वर्तमान विधान का स्थान लेने के लिये अनिवार्य सेवाओं में नियोजकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों के बारे में एक व्यापक विधान लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने पहले ही सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों को नियमित करने के लिये एक विस्तृत विधान बनाने के अपने फैसले की घोषणा की है। प्रस्तावित विधान की विशेषतायें गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री ने सदन में 16 दिसम्बर, 1968 को अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बताई थीं। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र उद्यमों की अनिवार्य सेवाओं के सम्बन्ध में ऐसा कोई विस्तृत विधान बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

केरल भूमि सुधार विधेयक

*136. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल भूमि सुधार विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को क्या आपत्तियां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : फरवरी, 1969 में केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1968 को केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति देते समय इसके कुछ उपबन्धों में, सैनिक कर्मचारी, धार्मिक और परमार्थ संस्थानों तथा बागानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को बताई गई बातों के आधार पर संशोधन करने के लिये कहा था। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि वे "कुडिकिडापकर" (झोपड़ी निवासी) से सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधन से सहमत हैं और उन्होंने सिद्धान्त रूप में उन सुझावों को भी स्वीकार किया जो सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण हेतु थे। पर, उन्होंने शेष सुझावों पर पुनर्विचार के लिए कहा था। उन्हें सूचित किया गया है कि भारत सरकार को विधेयक के बारे में उनकी अग्रेतर कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु उनसे बागान उद्योग-सम्बन्धी विधेयक की कुछ बातों की उस टीका का ध्यान रखने का अनुरोध किया गया था जिसका सम्बन्ध सामान्यत: उसके भावी विकास से था। राज्य सरकार ने 5-5-1969 को भारत सरकार को सूचित किया कि ये सुझाव प्रवर समिति के समक्ष विधेयक की खण्डत: परीक्षा करते समय विचार के लिये रखे जायंगे।

Stability of State Governments

*137. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no party got absolute majority in the General Elections of 1967 and also in the mid-term elections held in certain States ;

(b) if so, whether coalition Governments have been formed in various States ;

(c) whether these Governments could not achieve stability as a result of which the work in these States has come to a standstill ; and

(d) if so, the measures being adopted by the Central Government to ensure the stability of these Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). In some States no party obtained absolute majority after the General Elections of 1967 as well as after the mid-term elections. Consequently coalition governments were formed in a number of States.

(c) Due to defections of legislators, many of the coalition governments remained unstable and had to resign.

(d) In pursuance of a resolution passed by the Lok Sabha on December 8, 1967, a Committee consisting mainly of representatives of political parties and independent groups in Parliament, and some eminent lawyers was set up to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects and to make recommendations in this regard. The Committee has submitted its report which is now pending consideration by the House.

तेलंगाना का आधिक्य राजस्व

*138. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जनार्दनन : **श्री जय सिंह :**
श्री को० सूर्य नारायण : **श्री जुगल मंडल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना के आधिक्य राजस्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) आशा की जाती है कि उक्त समिति अगस्त, 1969 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में नियम

*139. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिश्वत लेने के आरोप में जिस सरकारी कर्मचारी को अवर न्यायालय दण्ड देता है और बाद में उच्च न्यायालय छोड़ देता है, उसको बहाल करने के सम्बन्ध में नियम क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के नियम अलग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों में क्या अन्तर है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उच्च न्यायालय के आदेश या न्यायनिर्णय को सरकार द्वारा तब तक कार्यरूप दिया जाता रहेगा, जब तक अगले उच्च न्यायालय में अपील नहीं मंजूर हो जाती है । अपील होने की दशा में अगले उच्च न्यायालय के फैसले को कार्यरूप दिया जायगा । साथ ही यदि न्यायनिर्णय से यह देखा गया कि आरोप बिलकुल साररहित नहीं है, किन्तु ऐसे भी नहीं हैं जिनसे एक आपराधिक दोष बन पड़े तो वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाहियां की जायंगी ।

(ख) और (ग). भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारों में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है ।

Activities of Naxalites

*140. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of political parties which sent their views to the Central Government for the purpose of curbing the anti-national activities of the Naxalite Communists as also the opinions expressed by each party ;

(b) the opinion expressed by the Congress Party in this connection ;

(c) whether Government propose to enact any legislation to ban the institution of the Naxalites ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). I had invited the leaders of the Swatantra Party, Bhartiya Jan Sangh, D.M.K., C.P.I., C.P.M., S.S.P. and P.S.P. and some independent members of Parliament to discuss with me the question of enacting suitable legislation to deal with the activities of the extremists. The leaders of the C.P.I., the C.P.M. and the S.S.P. have expressed their inability to participate in the discussions as they are opposed to enacting such a legislation. The P.S.P. have stated that they do not fell inclined to share their views on the political issue with the Government at the present moment. The Swatantra party have supported the proposal to enact a legislation to deal with the situation arising out of the activities of the extremists. The Jan Sangh have sought more time to consider the matter.

(c) and (d). Discussions with leaders of the Jan Sangh and the D.M.K. are yet to be held.

केन्द्रीय भाषा संस्था

*141. **श्री जे० के० चौधरी :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री दे० अमात : **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री गु० च० नायक : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री प्र० के० देव : **श्री कृ० गु० देशमुख :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री ई० के० नायनार :**
श्री बलराज मधोक : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री गणेश घोष : **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भाषा संस्था की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कहां पर और कब स्थापित की जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां। 17 जुलाई, 1969 को मैसूर में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है।

(ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के बजट में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। चौथी पंच वर्षीय योजना में 35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बेकार इंजीनियरों तथा तकनीकी स्नातकों को कृषि सहकारी समितियां बनाने के लिये सुविधायें

*142. **श्री न० कु० साल्वे:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेकार इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों को कृषि सहकारी समितियां बनाने के लिए सुविधायें देने का है ;

(ख) इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों से उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध अभिकरणों में कितने आवेदनपत्र पड़े हैं जिनमें कृषि अथवा औद्योगिक छोटे पैमाने के उपक्रमों के किन्हीं कार्यों में उनको रियायतें तथा सुविधायें देने के लिए कहा गया है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए गए हैं कि यदि इंजीनियरी अथवा अन्य बेरोजगार स्नातक सहकारी समितियां बनायें तो उन्हें सरकार की काश्त न की जाने वाली भूमि आवंटित की जाये ; और

(घ) इस बारे में सरकार के विचाराधीन किसी योजना का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी कृषि प्रक्रिया यूनिटें, अतिरिक्त सहकारी गोदाम, ट्रैक्टरों व अन्य कृषि व्यवस्था के लिये चुनी हुई विपणन सहकारी समितियां तथा सेवा केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरण बनाने के लिये लघु कर्मशालाओं की स्थापना के लिये अनेकों योजनाएं चला रहा है। ऐसी योजनायें इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों को रोजगार दे सकती हैं।

(ख) चूंकि योजनाओं को मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा कार्यरूप दिया जा रहा है, अतः रियायतों व सुविधाओं के लिये इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों को कोई ऐसा निदेश जारी नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा जम्बो जैट विमानों की प्राप्ति

*143. **श्री एस० एस० कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया अल्पकाल में ही जम्बो जैट विमान प्राप्त करने वाले हैं ;

(ख) लिये जाने वाले विमानों की संख्या व लागत कितनी है ;

(ग) इससे एयर इण्डिया की कार्य-क्षमता तथा आयोपार्जन-क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) इन जम्बो जैट विमानों का परिचालन प्रारम्भ करने की अनुसूचित तिथि क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एयर इंडिया ने 1971 की प्रथम तिमाही में डिलीवरी के लिये 48.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के दो बोइंग 747 (जम्बो जैट) विमानों के लिए पहले ही आर्डर दिए हुए हैं । मार्च 1972 की डिलीवरी के लिए 27.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के एक तीसरे बोइंग 747 विमान की खरीद के लिए सरकार ने इस शर्त के साथ स्वीकृति दे दी है कि एयर इंडिया ऐसी वित्तीय व्यवस्था करेगी जो सरकार को स्वीकार्य होगी ।

(ग) यद्यपि जम्बो जैट विमानों की यात्रा-धारिता उस समय के बोइंग विमानों से बहुत अधिक है, फिर भी परिचालन का व्यय सम्भवतया प्रति सीट मील लगभग 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम होगा । इन विमानों के ले लेने से आशा की जाती है कि इस एयरलाइन की आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत हो जायेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसकी स्थिति और अधिक सुरक्षित हो जायेगी ।

(घ) जम्बो जैट विमानों का 1971 की गर्मियों में परिचालन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

अकुशल सरकारी कर्मचारियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति

*144. **श्री रा० की० अमीन** :
श्री सेझियान :
श्री द० रा० परमार :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री राम चरण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रेणी I, II तथा III के अकशल कर्मचारियों को समय से

पूर्व सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस नीति को लागू करने के लिये नियमों का विस्तृत व्योरा तैयार कर लिया गया है ताकि इस सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से शोषण की गुंजाइश न रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सेवा-निवृत्त के अधिकार देने वाले नियमों में संशोधन कर दिया गया है जिससे सरकार, श्रेणी I और II की सेवा या पद, में जिसमें सीधी भरती के लिये आयु-सीमा 35 वर्ष से कम है, किसी कर्मचारी को 50 वर्ष की आयु होने पर, और श्रेणो III की सेवा I पद में एक सरकारी कर्मचारी को, जिस पर पेंशन नियम लागू नहीं होते, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन तथा भत्ता देकर यदि ऐसा करना लोक हित में हो, सेवा निवृत्त कर सके। अन्य मामलों में सरकारी कर्मचारी की 55 वर्ष की आयु होने पर ये अधिकार प्रयोग में लाये जा सकते हैं। संयुक्त परामश व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद में मामले पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें कर्मचारी पक्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अविवाचनीय विषय संबंधी अभिसमय के अनुसार कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री और श्रम तथा रोजगार मंत्री से भेंट की और अपने विचार उनके समक्ष रखे। सभी सम्बन्धित पहलुओं की परीक्षा करने के बाद ही नियमों का संशोधन जारी किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

Official Language in Andhra State

*145. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that immediately after the formation of Andhra State, the people of the State had made a demand that the entire work of the State should be done in Telugu ;

(b) if so, whether it is also a fact that it has been repeatedly stated that English can not be removed immediately ;

(c) whether it is also a fact that English is now being used in those areas even where it was not being used prior to the formation of Andhra State ; and

(d) if so, the reasons for this change as also the reasons for which 'go slow' plea for replacement of English was not advanced at that time ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Ever since the formation of Andhra Pradesh, there has been a demand from the Public and the Legislature that Telugu should be progressively brought into use as medium of administration in place of English.

(b) According to the State Government their policy has been to introduce Telugu as the medium of administration progressively and by practicable stages without imparing efficiency or pace of disposal of business.

(c) State Government are not aware that English is now being used in the areas where it was not being used prior to the formation of Andhra Pradesh. On the other hand, the State Government feel that on the basis of the orders issued by them the use of Telugu is gradually gaining momentum and it is now being used for more purposes than it was being used previously.

(d) The reason for progressive introduction of Telugu by stages was due to non-availability of several aids like Telugu typwriters, Telugu equivalents for various English terms, short-hand manuals and Telugu translation of laws, etc. The State Government have taken and are taking various steps to overcome the above difficulties.

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

*146. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने उस धन का कुछ अंश लौटा दिया है जो वर्ष 1968-69 के लिये राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उनको आवंटित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने और कितनी कितनी धनराशि लौटाई है ; और इस धनराशि का पूर्णत: उपयोग न किये जाने के बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में राज्य धन का पूरा पूरा उपयोग करें ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1360/69] पूरी राशि के उपयोग न किये जाने के मुख्य कारण हैं :—

(i) छात्र की संतोषजनक प्रगति जैसी निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण छात्रवृत्तियों का नवीयन न करना अथवा रद्द करना ;

(ii) कुछ राज्यों में योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता ;

(iii) नौकरी मिल जाने अथवा आगे अध्ययन जारी न रखने के अपने

निर्णय के कारण प्राप्तकर्ताओं द्वारा छात्रवृत्तियों का छोड़ना ; और

(iv) कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्तियों को समय में ही अन्तिम रूप न देना।

(ग) पत्र-व्यवहार के जरिये तथा बैठकों में राज्य सरकारों पर योजना को भली प्रकार प्रचारित करने और उसके कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिये जोर दिया गया है।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

*147. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी दल की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिये विरोधी दलों का सहयोग मांगा था ;

(ख) इस विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). मैंने उग्रवादियों की गतिविधियों से निबटने के लिये उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिये स्वतंत्रदल, भारतीय जनसंघ, द्रविण मुन्नेत्र कषगम, भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल के नेताओं तथा संसद के कुछ निर्दलीय सदस्यों को आंमत्रित किया था। भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल ने इन विचारविमर्शों में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि वे ऐसे किसी विधान बनाए जाने के विरोध में हैं। स्वतंत्र दल के नेताओं तथा निर्दलीय सदस्यों ने उग्रवादियों की गतिविधियों से निबटने के लिये विधान बनाने का समर्थन किया है। जनसंघ तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेताओं से अभी विचार विमर्श किया जाना है।

शिकार पर्यटन के लिये वन्य-जीव सुविधाओं का परिरक्षण

*148. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग वन्य जीवों की परिरक्षण की देखभाल तथा शिकार पर्यटन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक उच्च शक्ति सम्पन्न निकाय स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि किसी एक पृथक निकाय को स्थापना नहीं की जा रही है, विभाग ने वन्य जीवों के परिक्षण एवं वन्यजीव-पर्यटन के लिए सुविधाओं को व्यवस्था का कार्य सक्रिय रूप से करना प्रारम्भ कर दिया है। चौथी पंच वर्षीय योजना में मुख्यतया वन्य पशु शरण स्थानों में आवास एवम् परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए 50 लाख रुपए का नियतन किया गया है।

नई दिल्ली में जर्मनी के एक दम्पति के साथ धोखा

*149. **श्री रा० वें० नायक :**
श्री अजमल खां :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें लिखा था कि नई दिल्ली में जर्मनी के एक दम्पति के साथ कार सहित बहुत सी अन्य वस्तुओं को धोखा-धड़ी से ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय और उनके मंत्रालय से शिकायत की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ; और

(घ) क्या उनकी सभी वस्तुएं उन्हें इस बीच वापस मिल गई हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। इस मामले में एक संसद सदस्य ने पहले ही एक पत्र गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को लिखा था।

(ग) और (घ). डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन द्वारा 10 जून, 1969 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस बीच एक कार समेत कुछ वस्तुएं बरामद करके शिकायत करने वाले को लौटा दी गई है। जांच अभी जारी है।

जयपुर संग्रहालय में चोरी का मामला

*150. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री भगवानदास :**
श्री जुल्फिकार अली खां : **श्री प० ला० बारुपाल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर के महाराजा के सिटी पैलेस

म्यूजियम से की गई कलाचित्रों की चोरी की जांच करने का काम केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने अग्रेतर जांच कार्य छोड़ने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा किये गये जांच कार्य के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चूंकि चुराये गये कलाचित्रों के विदेशों में बेचे जाने की सम्भावना थी इसलिये राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा मामले की जांच करवाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था ।

(ग) मामले में अभी जांच की जा रही है ।

Setting up of a Joint Tourism Management Machinery

801. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Tourist Agents Association insisted on the countries of the region including India at a Conference held recently in Nepal that they should set up a Joint Tourism Management Machinery, launch joint propaganda and recognise the Tourist entry permits for the entire region ;

(b) whether other suggestions have also been made by the conference to promote tourism ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether that it was regretted in the conference that the Planning Commission in India have earmarked very small amount for promotion of tourism during the Fourth Plan ;

(e) if so, the reaction of Government thereto ; and

(f) whether Government contemplate to allocate more funds to promote tourism ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Travel Agents Association of India in their recent annual convention held in Kathmandu, Nepal in May 1969, adopted a resolution recommending **inter alia** that in the interest of regional promotion of tourism, countries in the SATC region, viz. Afghanistan, Iran, Nepal, Ceylon, Outer Mongolia, Pakistan and India should set up a joint promotional machinery, undertake joint publicity for the region and issue joint tourist visa for the countries in the region.

(b) and (c). Other recommendations made by the Convention include (i) removal of all restrictions on travel within the SATC region and with countries with which there is barter trade ; (ii) recognition of travel agency business as a priority industry to qualify for all

concessions, tax benefits and incentives ; (iii) improvement of terminal buildings and facilities at the international airports to meet the challenge of the Jumbo Jets as recommended by the Tata Committee ; (iv) immediate selection and purchase of aircraft for the Indian Air lines to relieve the pressure caused by shortage of space on internal air services ; (v) introduction of excursion, group and family fares by the Indian Railways and the Indian Airlines and (vi) introduction of all-India permits for tourist vehicles and grant of licences for import of tourist cars, coaches, etc.

(d) Yes, Sir.

(e) The recommendations made by the Association are being examined by Government.

(f) In view of over all constraint of resources, no increase in the Plan outlay of the Department of Tourism is envisaged at present.

उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा गहन अध्ययन के बाद डी० सी० 9-40 विमानों की खरीद

802. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च अर्हता-प्राप्त तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे वायु सेनाध्यक्ष लाल जो लाल समिति के सभापति थे श्री जे० आर० डी० टाटा, वायु सेनाध्यक्ष अर्जुन सिंह असैनिक उड्डयन महानिदेशक तथा वायु सेना, एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स तथा असैनिक उड्डयन विभाग के तकनीकी तथा वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन के परिणाम-स्वरूप डी० सी० 9-40 विमान इण्डियन एयरलाइन्स मार्ग प्रणाली के लिये सर्वाधिक उपयुक्त विमान पाया गया था और इंडियन एयरलाइन्स बोर्ड को इसकी सिफारिश की गई थी ; और

(ख) जुलाई, 1968 के इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड के डी० सी० 9-40 विमान खरीदने के सर्वसम्मत निर्णय को सरकार द्वारा अन्तिम न माने जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विमानों की खरीद के सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स के बोर्ड की सिफारिशों पर अभी सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

माल ले जाने के लिये इंडियन एयर लाइन्स के मार्गों पर अपर्याप्त व्यवस्था

803. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में माल वाहन का भविष्य बड़ा उज्ज्वल हो सकता

है परन्तु इण्डियन एयरलाइन्स के मार्गों पर अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उसकी उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) क्या इस समस्या को हल करने की दृष्टि से विमान सारे यात्रियों के अतिरिक्त पर्याप्त माल ले जाने की क्षमता रखते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जैसे-जैसे उद्योगीकरण होता जाता है, इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं पर माल परिवहन (कार्गो ट्रैफिक) के विकास का भविष्य उन्नत होता जाता है । इस समय जो विमान परिचालित किये जा रहे हैं, उनमें यात्री, सामान तथा डाक को स्थान देने के पश्चात बहुत कम अतिरिक्त स्थान बचता है, जिससे माल वहन के विकास में बड़ी बाधा उपस्थित होती है । इस बाधा के बावजूद इण्डियन एयर लाइन्स कुछ चुने हुये आधार पर माल परिवहन का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात उन स्थानों के बीच जहां पर लोड हल्का हो या उन वस्तुओं का चयन करके जिनका परिणाम कम है अथवा जो कम मात्रा में वहन की जाती हैं । इस बात का अध्ययन किया गया है कि जब विमानों की क्षमता में वृद्धि हो जायेगी तो किस प्रकार के माल के परिवहन का विकास किया जा सकता है । कार्गो ट्रैफिक 1965-66 में 15,071 टन से बढ़कर 1968-69 में 23,000 टन के लगभग हो गया है ।

(ख) वर्तमान विमानों की क्षमता अपर्याप्त है ।

इंडियन एयरलाइन्स के लिये नये विमान

804. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के निदेशक मंडल ने अपने विमान बेड़े में किस प्रकार के जेट विमान शामिल किये जायें इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय को केवल विशेषज्ञों का ही समर्थन प्राप्त नहीं है अपितु देश के उन अग्रगण्य व्यक्तियों का भी समर्थन प्राप्त है जो उड्डयन की तकनीकी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने आवश्यक मंजूरी दे दी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स के मुख्य मार्गों (ट्रंक रूट्स) की क्षमता को बढ़ाने के लिये किस प्रकार के जेट विमान खरीदे जायें, यह समस्त प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

इंजीनियरों में बेरोजगारी

805. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों में भारी बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसी हिदायतें जारी करने का है कि उस ठेकेदार को कोई ठेका न दिया जाये जिसके पास अर्हता प्राप्त तकनीकी इंजीनियरिंग कर्मचारी न हों ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् । सरकारी काम के लिए ठेके की सामान्य शर्तों में ठेकेदारों को सभी उचित मामलों में अर्ह इंजीनियरी कर्मचारियों को काम में रखने की आवश्यकता के उपबन्ध समाविष्ट हैं । ये उपबन्ध लागू किये जा रहे हैं ।

चीनी दूतावास द्वारा माओ वादी साहित्य का वितरण

806. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी दूतावास ने माओ-वादी साहित्य बांटने के लिए कालीकट में एक प्रकाशन-गृह खोला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी दूतावास ने माओ-वादी साहित्य बांटने के लिए कालीकट में कोई प्रकाशन-गृह नहीं खोला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कालेजों में प्राध्यापकों तथा सहायक प्रोफेसरों के वेतनमान में एकरूपता

807. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राध्यापकों, सहायक प्रोफेसरों आदि के वेतनमानों के बारे में सभी कालेजों में एकरूपता लाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार किया है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक राज्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार होने वाले व्यय के 80 प्रतिशत भाग के बराबर राशि मंजूर की थी ;

(ग) यदि हां, तो कितने कालेजों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ; और

(घ) यदि किन्हीं कालेजों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है तो कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशत पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 1971 तक उन राज्य सरकारों को अनुदान दिये जा रहे हैं जो संशोधित वेतनमानों को लागू करने के लिये सहमत हो गए हैं। इसके बाद, सारी वित्तीय जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की होगी।

(ग) अब तक चंडीगढ़ स्थित के पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाना, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के लिए अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य के ऐसे कालेजों की संख्या के बारे में जिन्होंने वास्तव में संशोधित वेतनमान अपना लिए हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार, सभी राज्य सरकारों को संशोधित वेतनमान अपनाने के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रही है और भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी।

5 मई, 1969 को राष्ट्रीय शोक के दिन कार्यालयों का खोला जाना तथा कार्यालयों से कर्मचारियों की उस दिन की अनुपस्थिति को नियमित किया जाना

808. **श्री अदिचन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के दुखद निधन के अवसर पर 5 मई, 1969 को कुछ सरकारी कार्यालय खोले गये थे और ऐसे विभागों के कर्मचारियों को, जो रेडियो या समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर कार्यालय नहीं आए, उस दिन का आकस्मिक/अर्जित अवकाश लेना पड़ा था हालांकि वह राष्ट्रीय शोक का दिन था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या गैर-सरकारी नियोजक तथा कारखानों आदि को अपने कर्मचारियों को जिन्हें किसी न किसी कारण उस दिन कार्य करना पड़ा, दुगुना समयोपरि भत्ता देना पड़ा था ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ग) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि गैर-सरकारी नियोजकों इत्यादि द्वारा किस मात्रा में ऐसे अवसरों पर समयोपरि भत्ता दिया गया।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हड़तालें

809. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में गत दो वर्षों में किस-किस तिथि को, कितने-कितने समय के लिये और कुल कितनी बार हड़तालें हुईं और उसके क्या कारण थे ;

(ख) हड़तालों के कारण इंडियन एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई ;

(ग) 30 मई, 1969 की हड़ताल के दौरान कुल कितनी विमान उड़ानें रद्द की गईं ;

(घ) 30 मई, 1969 की हड़ताल में कुल कितने विमानचालक अनुपस्थित रहे और जब उन्हें यह पता था कि हड़ताल गैर-तकनीकी कर्मचारियों ने की थी, तो उन्होंने क्यों हड़ताल की ;

(ङ) क्या सरकार ने किसी के विरुद्ध कार्यवाही की थी, क्योंकि मंत्रालय के अनुसार हड़ताल के कारण तुच्छ थे और विमानचालकों को "बिगाड़ दिया गया" था ; और

(च) विमान यात्रा को अत्यावश्यक सेवा घोषित न करने तथा हड़तालों पर पाबन्दी न लगाने का क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1361/69]

(ख)	1967-68	20.64 लाख रुपये
	1968-69	0.20 लाख रुपये

(ग) 30 मई, 1969 की हड़ताल की अवधि में कुल 54 उड़ानें रद्द की गई थीं।

(घ) बम्बई क्षेत्र में 30 मई, 1969 को ड्यूटी के लिये विनिर्धारित 38 विमानचालकों में से 35 कार्य से अनुपस्थित रहे। चालकों ने कोई विवाद नहीं उठाया था, और न कोई नोटिस

ही दिया था। परन्तु विमानचालकों से बातचीत के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी मांगें निम्नलिखित थीं :

1. विमानचालक केवल एक सेवा चलाना चाहते थे जबकि वर्तमान पद्धति के अनुसार उन्हें सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ छोटे खण्डों पर दो सेवायें चलानी पड़ती हैं। इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों के अनुसार इसका अर्थ चालकों की उपलब्धियों में ऐसी वृद्धि करना होगा जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।
2. ड्यूटी पर तैनात विमानचालकों को विमान में खाने के बजाय खाने का भत्ता मिलना चाहिये।

(ङ) सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन में से अनुपातानुसार हड़ताल की अवधि के वेतन की कटौती कर ली गई है। जिन पर हड़ताल के लिए उकसाने और फुसलाने का आरोप है, उनके विरुद्ध प्रबन्धकों ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(च) विमान यातायात आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत एक आवश्यक सेवा है।

बम्बई में एक भव्य होटल खोलने के लिए ओबराय होटल्स और शेराटन होटल समूह के बीच करार

811. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में एक भव्य होटल खोलने के प्रस्ताव के बारे में ओबराय होटल्स तथा अमरीका के शेराटन होटल-समूह के बीच हुए करार की, सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में, शर्तें क्या हैं ;

(ख) लाभांश वेतन आदि के रूप में उन्हें प्रतिवर्ष कितना धन बाहर भेजने की अनुमति दी जायेगी ;

(ग) बम्बई में अन्य दो होटलों—शिव सागर हिल्टन और टाटा इंटरनेशनल के बारे में स्वीकृत करार की शर्तें क्या हैं ;

(घ) इन दोनों में से प्रत्येक होटल को लाभांश, वेतन आदि के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि विदेश भेजने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ङ) बम्बई से अन्य कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया और उनको स्वीकार न किये जाने के कारण पक्ष-वार क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). (1) इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा) और इन्टरकांटिनेन्टल होटल्स कारपोरेशन, अमरीका ; (2) ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड (ओबराय) और शेराटन इन्टरनेशनल इनकारपोरेटेड, अमरीका ; और (3) मेट्रोपोलिटन होटल्स लिमिटेड (शिव सागर एस्टेट्स) और हिल्टन होटल्स

इन्टरनेशनल, अमरीका के बीच हुए करार की शर्तें इस प्रकार हैं :

		टाटा इन्टर-कान्टिनेंटल	ओबराय-शेराटन इन्टरनेशनल	शिव सागर एस्टेट्स-हिल्टन
1.	प्रायोजना की अनुमानित लागत	190.00 लाख रु०	625.50 लाख रु०	325.00 लाख रु०
2.	होटल का आकार	450 कमरे	400 कमरे	400 कमरे
3.	विदेशी पक्ष का धन विनियोजन	16,00,000 रु० (रुपयों में)	52,50,000 रु० (700,000 डालर) विदेशी मुद्रा में	30,00,000 रु० (400,000 डालर) विदेशी मुद्रा में
4.	टेक्निकल सहायता शुल्क	1,70,000 डालर योग 20,000 डालर प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए	90,000 डालर अधिमान शेयरों के रूप में	50,000 डालर प्रति वर्ष
5.	प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत	कोई उल्लेख नहीं है	50,000 डालर	**
6.	प्रचार और आरक्षण के लिये सदस्यता शुल्क	कुल राजस्व का 3% अर्थात् 1,10,000 डालर प्रति वर्ष के लगभग कर लगेगा।	150 डालर प्रति कमरे की दर से अर्थात् 60,000 डालर प्रति वर्ष।	यथानुपात भारत को वास्तव में लागू होने वाली राशि, जमा कुल परिचालन लाभ का 25% उस हालत में जबकि ऐसा लाभ लागत पूंजी के 8% से अधिक नहीं बैठता है ; लाभ के विनियोजित पूंजी के 8-12% होने की दशा में ऐसे लाभ का 50% और लाभ के विनियोजित पूंजी के 12% से बढ़ जाने की दशा में $33\frac{1}{2}$% बशर्ते कि लाभ कुल राजस्व का कम से कम 5% हो जो कि राजस्व विदेशी मुद्रा की आमदनी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
7.	करार की अवधि	10 वर्ष, जिसे कुल 20 वर्ष तक की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है।	10 वर्ष, जिसे 10 वर्ष के लिये और आगे नवीकृत किया जा सकता है।	10 वर्ष, जिसे एक समय पर 5 वर्ष के लिये नवीकृत किया जा सकता है।

**मूल्य-ह्रास, पट्टा-किराया, नगरपालिका के कर, बीमा और ब्याज—इनके सम्बन्ध में कटौती करने के बाद ही कुल परिचालन लाभ ज्ञात किया जा सकता है।

विदेशी पक्षों को दी जाने वाली राशियों पर भारतीय कर सम्बन्धी कानून लागू होंगे ।

(ख) और (घ). तकनीकी सहायता शुल्क, प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत, सदस्यता शुल्क और लाभ में हिस्से का ब्योरा उपरोक्त तालिका में दिया गया है । लाभांशों के रूप में वापिस ली जाने वाली राशि घोषित लाभांशों के अनुसार बदलती रहेगी । इसी प्रकार विदेशी तकनीशियनों को वेतन के रूप में बाहर ले जाने वाली राशि भी इस बात पर निर्भर करेगी कि नियुक्ति के समय प्रत्येक का कितना वेतन निर्धारित किया जाता है । परन्तु इस विषय पर सामान्य सरकारी नियम और विनियम इन पर लागू होंगे ।

(ङ) बम्बई से प्राप्त होटल प्रायोजनाओं में विदेशी सहयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर नहीं किया गया ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्ति

812. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की और यात्रा टिकटों से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न स्वायत्तशासी निगमों के कितने कर्मचारियों ने गत वर्ष यात्रा की और उनके यात्रा टिकटों का मूल्य कितना था ;

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों या राज्य सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाओं और निगमों के कर्मचारियों को छोड़ कर गत वर्ष इक्के-दुक्के यात्रियों की संख्या और उनसे हुई आय की पृथक-पृथक् प्रतिशतता क्या है ;

(घ) गत वर्ष मंत्रालय-वार विभिन्न मंत्रालयों के वार्षिक बिलों की राशि क्या थी ; और

(ङ) गत वर्ष राज्य सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं, उपक्रमों तथा निगमों के एकक-वार वार्षिक बिलों की राशि क्या थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69 के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा 19.5 लाख राजस्व यात्रियों का वहन किया गया और उनसे लगभग 32.80 करोड़ रुपये की आय हुई ।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइंस अपनी विमान सेवाओं पर यात्रा करने वाले केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अथवा विभिन्न स्वायत्तशासी निगमों के कर्मचारियों अथवा गैर-सरकारी नियोजकों के कर्मचारियों या स्वतन्त्र रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखते हैं ।

(घ) और (ङ). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

लाटरी चलाने के बारे में केन्द्र सरकार का प्रस्ताव

813. **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटरी चलाने के बारे में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Appointment of District Judges

814. **Shri N. K. P. Salve :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news report to the effect that the Allahabad High Court has declared that under Article 233 (1) of the Constitution, Governor is not obliged to accept the advice given by the Court regarding the appointment of District Judges ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir,

(b) Government have taken due note of the Judgement.

मंत्रियों के पर्वतीय स्थलों के दौरे

815. **श्री के० रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में ग्रीष्म ऋतु में कितने मंत्री पर्वतीय स्थलों पर गये ; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमा सुरक्षा दल को डाकू विरोधी कार्यवाही सौंपना

816. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में चम्बल घाटी में डाकुओं की समस्या को सीमा सुरक्षा दल को सौंपने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) क्या सरकार इन राज्यों में डाकुओं विरोधी कार्यवाहियों को निगरानी करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने के बारे में भी विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च आयेगा और इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पारादीप पत्तन

817. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में पारादीप पत्तन पर यातायात में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पत्तन के सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Teaching of Hindi in Foreign Countries

818. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign countries have made arrangements for teaching Hindi ;

(b) if so, the names of those countries ;

(c) whether Government provide certain financial assistance to those institutions which are teaching Hindi ;

(d) if so, the details thereof ;

(e) whether Government have formulated any scheme for the propagation, publiciting and study of Hindi and other Indian languages in foreign countries ; and

(f) if so, the details thereof and the funds proposed to be spent in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Facilities for the teaching of Hindi exist in U. K., U. S. A., U. S. S. R., France, West Germany, Belgium, Denmark, Switzerland, Hungary, Rumania, Yugoslavia, Sweden, Norway, Finland, Guyana, Trinidad, Kenya, Ghana, Bahrain, Aden, Iran, Mauritius, Ceylon, Sikkim, Nepal, Fiji, Singapore, Thailand, Hong Kong, China & Japan.

(c) to (f). Hitherto, the Indian Council for Cultural Relations had been looking after the work of promoting the knowledge of Hindi in foreign countries. It had been sending out lecturers of Hindi to some countries, mainly in the Caribbean area. The professors appointed by the Council for the Chairs of Indian Studies abroad also taught Hindi at the Universities, to which they were attached. The Council also used to award scholarships to foreign students for learning Hindi in India and helping educational institutions teaching Hindi in foreign countries by supplying them with Hindi books, journals, etc.

From the current financial year, the work relating to the propagation of Hindi in foreign countries has been taken over from the Council by the Ministry of Education and Youth Services. A comprehensive scheme for this purpose has been drawn up, which is awaiting clearance of the Planning Commission and the Ministry of Finance. A provision of Rs. 25 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan for this purpose. The current year's allocation is Rs. 2 lakhs. Under the scheme, subject to the approval of the Planning Commission and the Ministry of Finance, it is proposed to (i) depute full-time and part-time Hindi teachers to foreign countries for conducting Hindi teaching classes, (ii) supply suitable Hindi literature and equipment to Hindi-teaching institutions in foreign countries ; (iii) offer grants to foreigners for the study of Hindi in India ; and (iv) depute scholars for teaching Hindi at University level and for the establishment of Chairs for the study of Hindi.

बिड़ला समूह की कम्पनियों के मामलों की जांच

819. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमण्लीय सचिवालय के विशेष आयुक्त जिन्हें बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है, का नाम क्या है ;

(ख) क्या इस बीच जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री जी० आर० राजा-गोपाल, विशेष आयुक्त भूतपूर्व सचिव, विधान विभाग, विधि मंत्रालय तथा तत्पश्चात् सदस्य, एकाधिपत्य जांच आयोग ।

(ख) और (ग) . विशेष आयुक्त को बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों वाले मामलों में जांच का समन्वय करने तथा शीघ्र कार्यवाही करने तथा मामलों को सरकार के निर्णय के लिये शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया गया है । काम अभी जारी है ।

खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये कालेज शिक्षा

820. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को कालेज शिक्षा की सुविधाएं देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा, मध्य प्रदेश बिहार तथा राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के खनन क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये कालेज-शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने अथवा खनन क्षेत्रों में कालेज स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना नहीं है ।

Indian Agricultural Service

821. **Shri Nihal Singh :**

Shri Dhireswar Kalita :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to form an All India Agricultural Service ;

(b) if so, when it would be formed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Government have taken a decision not to take steps for the present to constitute the Indian Agricultural Service. The circumstances leading to this decision are explained in the reply given to Starred Question No. 636 on the 21st March, 1969, copy of which is annexed.

Condition of Students

822. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of students in the country right from primary to University level is very pitiable ;

(b) whether it is also a fact that proper accommodation and education facilities have not been provided to them ; and

(c) if so, the details of such facilities as would be provided to them during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Facilities have been provided at different levels of education, taking into account the financial resources at the disposal of State Governments.

(c) Increase or improvement of facilities is dependent on financial resources and priority given to these items in the State Educational Plans. Efforts will be made to improve text-books, teachers' training and provision of facilities for science education. As regards other items, details will be collected from the States and placed on the Table of the Sabha.

Linking of North Bihar with AIR Service

823. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that North Bihar could not be lined with air service so far ;

(b) if so, the difficulties being experienced in this regard ; and

(c) the time by which and the manner in which North Bihar is proposed to be linked with air service ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Patna and Muzaffarpur were linked by air during the period May 1967 to November 1967. As the average number of passengers was only 4 per service each way, the service was discontinued. The aerodrome at Muzaffarpur is fit only for Dakota type of aircraft and Indian Airlines is phasing out its Dakotas. However, the Corporation is examining the feasibility of operating an air service between Patna and Muzaffarpur with Fokker type of aircraft with a pay-load penalty. Alternatively, a non-scheduled airlines may be permitted to ply Dakotas on this route.

विदेशों से खरीदे गये जहाज

824. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारी बेड़े के लगभग 90 प्रतिशत जहाज इस समय विदेशों से खरीदे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा बचाने तथा देशीय उद्योग को लाभ पहुंचाने के हेतु मजगांव डाक लिमिटेड के विस्तार पर अधिक धन खर्च करने और अन्य भारतीय जहाज निर्माताओं की सहायता करने का है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे तीन उपक्रम हैं जो समुद्र में जाने वाले जहाज बनाते हैं अर्थात् मजागों डाक लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। एक चौथा उपक्रम कोचीन शिपयार्ड का 36 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर निर्माण किया जाना है।

मजागों डाक लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपये से अधिक लागत पर अपने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम को अभी पूरा किया है जबकि गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के पास जहाज निर्माण की क्षमता उपलब्ध है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अपनी उत्पादन क्षमता को 7.66 करोड़ रुपये की लागत के विस्तार कार्यक्रम के द्वारा 37.500 डी० डब्लू० टी० प्रतिवर्ष से बढ़ा कर 80,000 डी० डब्लू० टी० प्रतिवर्ष करने वाला है। कोचीन पर प्रस्तावित शिपयार्ड को अन्तः प्रत्येक 66,000 डी० डब्लू० टी० तक के तेल पोतों और थोक वाहकों को बनायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के सम्मेलन

825. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोटरी, लायन्स, जूनियर चेम्बर आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों की वार्षिक बैठकें सम्मेलन विभिन्न देशों में होते रहते हैं जिनमें समस्त विश्व के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के सम्मेलन भारत में करने के लिये इन संगठनों को प्रोत्साहन देने के विचार से कोई कार्यक्रम बनाया है जिससे हजारों की संख्या में लोग भारत आयें और पर्यटन से हमारी आय में वृद्धि हो ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विज्ञान भवन, अशोक होटल तथा जनपथ होटल बनने के बाद से लेकर, जैसा कि संलग्न अनुबंध से देखा जा सकता है, नई दिल्ली में पहले ही बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1362/69] सरकार की यह नीति रही है कि नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाय और यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में अधिकाधिक संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहेंगे ।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के अध्ययन दल की सिफारिशें

826. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री नम्बियार : **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा स्वीकृत अध्ययन दल की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन पर कब तक अन्तिमरूप से विचार कर लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के तटीय पोतपरिवहन पर अध्ययन दल की रिपोर्ट को सरकार ने जांच कर लिया है । तथापि इस पर यह विचार किया जाता था कि इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने के पहले यातायात उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए । यह पुनर्मूल्यांकन अब किया जा रहा है और जल्दी ही अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

फ्रांस के साथ सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग

827. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री प० मु० सईद : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस की सरकारों ने संयुक्त रूप से मई, 1969 में सांस्कृतिक

तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग करने वाले कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह कार्यक्रम कितनी अवधि का है ;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उस देश में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भेजने के बारे में सरकार ने ब्योरा तैयार कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम द्वारा सहयोग का उद्देश्य, मानवविद्या, विज्ञान, औद्योगिकी, भाषा तथा साहित्य, कला तथा संस्कृति, रेडियो तथा टेलीविजन, फिल्म, छात्रवृत्तियां, स्वास्थ्य तथा कृषि के क्षेत्रों में विनिमय किए जाने वाले व्यक्तियों तथा सामग्री की संख्या तथा मात्रा के सम्बन्ध में ढांचा निर्धारित किया गया है । कार्यक्रम की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) दो वर्ष अर्थात् 1969—71 ।

(घ) भारत के संबंधित कार्यान्विति अभिकरणों द्वारा सम्बन्धित फ्रेन्च प्राधिकारियों के सहयोग से ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं ।

(ङ) क्योंकि, साधारण किस्म की कुछ मदों के ब्योरे अभी तैयार करने हैं, इसलिए इस समय अनुमानित खर्च बताना सम्भव नहीं है ।

राज्यों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

828. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री प० मु० सईद :
श्री हेम राज :
श्री रवि राय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री प्र० के० देव :
श्री अजमल खां :
श्री रा० वें० नायक :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री द० रा० परमार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में राज्यों के शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं ;

(ग) शिक्षा शुल्क लगाये जाने के बारे में दिये गये सुझावों के विशिष्ट प्रसंग में इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

(1) पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य शिक्षा संस्थान अथवा राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अधीन तथा पर्याप्त रूप से कुछ अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्थापित राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, मूल्यांकन एकक, व्यावसायिक तथा मार्ग दर्शक ब्यूरो आदि जैसी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को समाकलित करने के लिए राज्य सरकारें कदम उठाएंगीं इन संस्थाओं को समाकलित करने की यह प्रक्रिया, अगले तीन अथवा चार महीनों में पूरी हो जानी चाहिए ।

(2) राज्य सरकारों को, जिला स्तर के नीचे प्रशासकीय तथा पर्यवेक्षणीय कर्मचारियों को उपयुक्त संस्थाओं के जरिए प्रशिक्षित करने के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ।

(3) प्रशासनिक मामलों से संबंधित कुछ अध्ययनों पर कार्य करने के लिए, राज्य सरकारों के अधिकारियों को तीन से पांच मास तक की अल्पावधि के लिए एशियाई संस्थान में भेजा जाना चाहिए ।

(4) राज्य के प्रतिनिधि अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के बारे में इन बातों पर सहमत थे :

(क) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता को प्राप्त करने के लिए उसका प्रतिपूर्ति धन एकत्र करना ।

(ख) प्राथमिक अध्यापकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार करने तथा उनके एकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

(5) राज्य सरकारें, जून 1969 के अन्त से पहले, चौथी आयोजना से संबंधित अपने-अपने अन्तिम प्रस्तावों को उपलब्ध करेंगी, जिनमें लक्ष्यों के ब्योरे और वित्तीय व्यवस्थाएं भी दी गई होंगी । उसके बाद, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय एक प्रलेख तैयार करेगा, जिसमें चौथी आयोजना के प्रस्तावों से संबंधित आवश्यक ब्योरे दिये हुए होंगे और उक्त प्रलेख को राज्य सरकारों को भेज देगा ।

(6) शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के लिए साधनों को जुटाने की पद्धतियों में विभिन्नताओं तथा ऐसे उपायों द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध साधनों की सीमा तथा मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया था कि इस दल द्वारा इस विशेष समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए और एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, जिसमें शैक्षिक विषय से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए साधन जुटाने के बारे में ठोस प्रस्ताव दिए गए हों। रिपोर्ट, दो मास के अन्दर पेश कर दी जानी चाहिए और सितम्बर, 1969 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

(7) ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं को हाथ में लेने की तात्कालिक आवश्यकता है, जिनमें खण्ड अथवा जिला स्तरों पर शैक्षिक असंतुलन, प्राथमिक स्तर पर बर्बादी और निश्चलता, लड़कियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायिकरण, कार्य अनुभव तथा वयस्क साक्षरता शामिल हो। ऐसे एक विशेष दल के बनाने का निर्णय किया गया था, जो क्षेत्रों को परिसीमित करे ; प्रायोगिक परियोजनाओं की किस्म और क्षेत्र निर्धारित करे, प्रायोगिक प्रायोजनाओं अथवा राज्यों में क्षेत्रों को चुनने के लिए मापदण्ड निर्धारित करे तथा चुनी जाने वाली परियोजनाओं की संख्या का सुझाव दें। उक्त दल की रिपोर्ट दो मास के अन्दर तैयार हो जानी चाहिए और उसके बाद उसे राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को भेज देना चाहिए। इसे, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने पेश कर देना चाहिए उसके बाद चालू वर्ष में परियोजनाओं को शुरू कर देना चाहिए।

(8) प्रत्येक राज्य के कुछ ऐसे चुने हुए जिलों को छांटना चाहिए, जिनमें आर्थिक आयोजना और शिक्षा के एकीकरण के साथ, जिला आयोजना के सिद्धान्त पर विस्तारपूर्वक कार्य किया जा सके।

(9) मद्रास में स्कूल सुधार कार्यक्रम, बिहार में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परीक्षण, राजस्थान में कार्य अनुभव कार्यक्रम और महाराष्ट्र में वयस्क साक्षरता कार्यक्रम जैसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे राज्यों में, सफल परीक्षणों का अध्ययन करने के लिए,राज्यों में अधिकारियों के अल्पकालिक दौरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह कार्यक्रम शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

(10) एशियाई संस्थान के भारतीय कार्यक्रम के लिए एक लघु सलाहकार समिति, की स्थापना करना चाहिए, जिसका कार्य जिला तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रशासकों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा कालीन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने में, तथा विभिन्न क्षेत्र तथा केस अध्ययन करने के लिए संस्थान को सहायता दे सकें। समिति किस प्रकार गठित की जाए, इसका निर्णय करने का दायित्व अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया था।

(11) इस बात पर जोर दिया गया था कि राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं को चुने हुए क्षेत्रों तथा प्रायोगिक आधार पर शुरू करना चाहिए। केन्द्र, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। इस बात पर सहमति थी कि एक परिपत्र जारी करना चाहिए, जिसमें योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहायता की पद्धति को स्पष्ट किया गया हो।

(12) राष्ट्र संघ द्वारा 1970 वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष नामकरण : नोट में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकारें, समन्वय निकाय स्थापित करने के लिए सहमत हो गई हैं। केन्द्रीय सरकार भी, कार्य की मोटी रूप रेखा तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए यूनेस्को द्वारा उपलब्ध होने वाले साधनों के बारे में, राज्य सरकारों को लिखेगी।

(13) विज्ञान शिक्षा के लिए यूनिसेफ की सहायता : सम्मेलन को सूचित किया गया था कि इस आशय का निर्णय लिया गया था कि राज्यों को यूनिसेफ उपस्करण, केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त हों।

(14) राज्यों द्वारा संस्थागत आयोजना के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन एशियाई शैक्षिक आयोजना संस्थान द्वारा 1970 में किया जाना चाहिए।

(15) एशियाई शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान को राज्यों के शिक्षा प्रशासन की मोटी रूप रेखा, विशेषकर उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण, सेवा शर्तें, कार्मिक प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अध्यापन तथा प्रशासकीय विभागों में विनिमय आदि का तुलनात्मक अध्ययन अपने हाथ में लेना चाहिए।

(16) राज्य शिक्षा विभाग में कुछ चुने हुए क्षेत्रों का अध्ययन प्रबन्ध मण्डल के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि विद्यमान प्रशासकीय

प्रक्रियाओं तथा प्राथमिकताओं के युक्तिकरण में राज्य सरकारों को सहायता मिल सके। एशियाई शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान को अपनी सलाहकार समिति के परामर्श से, इसके ब्योरे तैयार करने चाहिए।

(ग) पहली सिफारिश राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। उसको याद दिलाया जा रहा है। क्रम संख्या 6 और 7 के लिए समूह नियुक्त कर दिए गए हैं और जुलाई के अन्त तक उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है। मद संख्या 11 के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए क्षेत्र चुनने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है। सम्मेलन ने शिक्षा उपकर लगाने के बारे में, कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश (1) को चालू वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित करने की आशा है। सिफारिश संख्या (6) और (7) में संदर्भित प्रायोगिक परियोजनाओं के चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थापित होने की आशा है। सिफारिश संख्या (2) के बारे में, समूह की रिपोर्ट को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सितम्बर 1969 में होने वाली बैठक के सामने पेश करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

अन्य पदों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा एशियाई शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा कार्रवाई की जाती है। उनको इसकी याद दिलाई जा रही है।

अन्तर्देशीय नौवहन संबंधी समिति

829. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री समर गुह :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ब्रज भूषण लाल :
श्री क० लकप्पा :
श्री सूरज भान :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अन्तर्देशीय नौवहन सम्बन्धी एक समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं ;

(घ) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है, और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति का गठन और विचारार्थ विषय को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1363/69]**

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद के निर्णय का स्थगित किया जाना

830. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रवि राय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सेझियान :
श्री क० लकप्पा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री प्र० के० देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प० मु० सईद :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बलराज मधोक :
श्री स० अ० अगडी :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
डा० रानेन सेन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नम्बियार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री गणेश घोष :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के लिए नये विमान खरीदने का अपना निर्णय स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यात्रियों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स द्वारा नये विमान खरीदने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है। एयर इंडिया द्वारा तीन बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों को खरीदने के प्रस्ताव को सरकार ने इस शर्त के साथ मंजूर किया है कि निगम ऐसी शर्तों पर ऋण प्राप्त करेगा जो सरकार को स्वीकार होंगी।

ये विमान खरीद लेने से अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति

831. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन कार्मिक संघ नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के अन्य नेताओं ने 50 वर्ष की आयु पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये सरकार से अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा कार्मिकों के परिसंघ के महामंत्री से उक्त निर्णय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ख) चूंकि यह निर्णय सभी संबंधित पहलुओं पर पूर्ण विचार के पश्चात् लिया गया था अतः इसका पुनरीक्षण न करने का निर्णय किया गया है।

आनन्द मार्ग

832. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री क० लकप्पा :
श्री द० रा० परमार :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
डा० सुशीला नैयर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रणजीत सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आनन्द मार्ग आन्दोलन के साथ जो अपने आप को एक पूर्ण सुधारवादी अभियान चलाने वाली संस्था बताता है, सम्बन्ध रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा आनन्द मार्ग की गतिविधियों में भाग लेना राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना जैसा समझा जायगा और इस प्रकार संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आचार नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु लिखित याचिका और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दायर करने पर, उच्च न्यायालय ने आदेश देकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अंतिम कार्यवाही किए जाने तक सरकार को स्पष्टीकरण परिपत्र में निहित उपबन्धों को प्रभावी बनाने से निर्बन्धित कर दिया है। तदनुसार सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को अग्रिम आदेशों के दिये जाने तक परिपत्र पर कार्यवाही न करने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं।

केरल में मल्लापुर जिले की स्थापना

833. **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मोहन सिंह ओबराय :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने अन्तिम रूप से एक नया मल्लापुरम जिला

बना दिया है जिसमें मुसलमानों का बहुमत होगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि जन-संघो, कांग्रेसी तथा अन्य राष्ट्रीय नेता यह जिला बनाये जाने का विरोध करते रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में केरल सरकार को कोई पत्र लिखे हैं; और

(घ) यदि हा, तो उन पत्रों में क्या लिखा गया है और इस बारे में केरल सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पालघाट और कोजीकोडे जिलों के भागों को मिलाकर मालापुरम नामक एक नया जिला बनाया गया है। यह भी बताया गया है कि यह जिला केवल प्रशासनिक कारणों से बनाया गया है तथा अन्य किन्हीं बातों के आधार थी जैसे साम्प्रदायिक प्रतिवेदन इत्यादि को ध्यान में नहीं लिया गया है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वोदय नेता की केलाप्पान के नेतृत्व में एक मालापुरम विरोधी नामक आन्दोलन चलाया जा रहा है। केवल जनसंघ, एक राजनीतिक दल के रूप में, नये जिले के निर्माण का विरोध कर रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Admission of Students in Colleges of Delhi

834. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Shardanand :
Shri Onkar Singh :
Shri Balraj Madhok :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri N. Shivappa :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of students in Delhi who have passed their Higher Secondary Examination this year obtaining more than 40 per cent marks and the number of Science, Arts and Commerce Faculty students among them, separately ;

(b) the number of students among them who would be given admission in the Colleges of Delhi ; and

(c) the reasons for which all the students are not given admission by Delhi University while all the students are given admission by other Universities ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a)

Group	No. of candidates obtaining 40% and above.
Arts	8,880
Science	5,350
Commerce	2,863
Total	17,093

(b) About 14,000 students have already been admitted to the various colleges of Delhi. Admissions are still in progress. It is difficult at this stage to indicate precisely the number of students admitted into the colleges who have passed the Higher Secondary Examination of Delhi this year.

(c) Admissions have to be related to the facilities available in the various colleges. However, efforts are being made by the University to admit as many students as possible.

श्री काकुलम (आंध्र प्रदेश) में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये नक्सलवादी

835. **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सीताराम केसरी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में 12 नक्सलवादी मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कितनी बन्दूकें तथा अन्य हथियार पकड़े गये; और

(घ) इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर 1968 से श्री काकुलम जिले में उग्रवादियों और पुलिस के बीच 25 मुठभेड़ें हुई है जिनमें 23 नक्सलवादी मारे गये। किसी अकेली मुठभेड़ में 12 व्यक्ति नहीं मारे गये हैं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उग्रवादियों से कई देसी बम्ब, तीर कमान इत्यादि के अतिरिक्त 259 बन्दूकें भी बरामद की गई है।

(घ) श्री काकुलम जिले में पारवतीपुरम, पलाकोण्डा और पाथेपटनम तालुकों के अभिकरण क्षेत्र को आन्ध्र प्रदेश उपद्रव दमन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित

कर दिया गया है। उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस तथा सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के शक्ति शाली दस्तों को उस क्षेत्र में तैनात किया गया है। राज्य सरकार भी पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित कार्यवाही के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

केन्द्रीय सरकार भी उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त विधान अधिनियमित करने के प्रश्न की जांच कर रही है।

अपराधों के शिकार लोगों को मुआवजा

836. **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रवि राय :
श्री शारदानन्द :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपराधों के शिकार लोगों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसा कि आपराधिक विधि तथा समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी विचार गोष्ठी में सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति से क्या लाभ होगा किन-किन प्रदेशों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(ग) उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आपराधिक कानून व समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी विचार गोष्ठी ने सुझाव दिया है कि कुछ ऐसे उपाय किये जायं जिससे हत्या, गम्भीर चोटें आदि जैसे अपराधों के शिकार लोगों को हानि के लिये मुआवजा दिया जाय। विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार इस सुझाव की परीक्षा करेगी।

इस समय अपराधों के शिकार लोगों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में योजनाएं यू० के० न्यूजीलैण्ड तथा अमेरिका के कुछेक राज्यों में लागू बताई जाती हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी रूप देना

837. **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी रूप देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक, जो अभी संसद के समक्ष है, के कानून बनजाने के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग का नये संस्थान में, जिनका कानूनी रूप होगा, विलय करने का इरादा है। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान स्वरूप को कानूनी रूप देने के लिए पृथक अधिनियमन अनावश्यक है।

चण्डीगढ़ के बारे में निर्णय

838. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के बीच चण्डीगढ़ के विवाद के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विवाद हल करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). संबंधित सरकारों के बीच किसी समझौते के अभाव में इस विवाद का कोई हल निकालने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) इस प्रकार के राजनैतिक विवादों में निर्णय के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में हस्तक्षेप

839. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप तथा केरल के मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करने की मांग करने वाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा गया था ।

Increase in Fare By I. A. C.

840. **Shri N. K. P. Salve :**
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri Rabi Ray :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri S. S. Kothari :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri G. C. Naik :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri R. V. Naik :
Shri J. M. Imam :
Shri S. Xavier :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the reasons for the increase in air fare effected by the Indian Airlines Corporation in May, 1969 ;

(b) whether Government are aware of the reports which appeared in the press during the last 3-4 months that several foreign Airline Companies save about 35 or 40 per cent on each ticket which they send to foreign countries in violation of foreign exchange regulation ; and

(c) if so, whether Government propose to make a thorough inquiry as to whether the increase in air fares is justified or not ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (c). There has been no increase in the fares of Indian Airlines in May 1969.

(b) Government are generally aware that certain airlines have been undercutting official air fares on certain international routes. This results in diversion of traffic to such airlines, to the detriment of Air-India and consequent loss of foreign exchange. This involves breach of I. A. T. A. Regulations as well as offences against the Foreign Exchange Regulations Act. However, unless specific cases are proved, it is not possible to indicate precisely the extent of loss caused on this account.

Distribution of Copies of Gita on the Occasion of Gandhi Centenary Celebrations

841. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri P. M. Sayeed :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mahatma Gandhi used to study the Gita, daily and got mental power, courage and inspiration out of it ;

(b) if so, whether Government propose to distribute copies of the immortal Gita, in lakhs among the people on the occasion of Gandhi Centenary Celebrations ;

(c) whether Government would take a decision to get the Gita translated into all those languages of the world in which it has not so far been translated ; and

(d) if not, the reasons theerfor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr.V. K. R. V. Rao). (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Programme of the National Committee for the Gandhi Centenary, which is responsible for all arrangements for the celebration of the Centenary, does not include the distribution of copies of the Gita or its translation into such of the languages of the world in which it has not so far been translated. Government do not have under consideration any action in this behalf.

Prevention of Communal Disturbances

842. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri P. M. Sayeed : **Shri Hardayal Devgun :**
Shri J. Sunder Lal : **Shri Jai Singh :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Yamuna Prasad Mondal :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has written to the State Chief Ministers to review their administrative machinery so as to prevent and curb communal disturbances ;

(b) whether Government feel that communal disturbances are increasing day by day instead of decreasing ; and

(c) if so, the steps which Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On 9th April 1969 the Home Minister had written to Chief Ministers of all States, suggesting **inter alia** that review should be made of the administrative arrangements in relation to each major disturbance to enable the administration to spot out the weaknesses that might still exist and to take remedial measures promptly.

(b) The number of communal incidents which have taken place during 1969 is a matter of concern.

(c) Action is being taken by the Central Government and the State Government on the lines suggested by the National Integration Council. A statement indicating the action taken by the Central and the State Governments on the recommendations of the Committee on Communal Aspects of the National Integration Council is laid on the Table of the House. The Home Minister has on 7th July 1969 written to the Chief Ministers of all States urging upon them to take immediate action for setting up of committees of prominent public men to help to preserve harmonious relations between different communities and restore normalcy in situations created by communal disturbances.

Mitigation of Feelings of Casteism etc. among Students

843. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the steps which Government have taken or propose to take to mitigate the feelings of casteism, provincialism, linguism and narrow communalism among the students and to seek their co-operation in rooting out these feelings from the country ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The Government in collaboration with various organisations have initiated a number of steps to fight communalism, regionalism and linguism in the academic life.

(a) The National Integration Sub-Committee of the National Committee for the Gandhi Centenary have taken steps to establish a number of national integration samitis at university level consisting of teachers and students to take effective measures to curb regionalism and commualism in the university life. These samitis are financed partly by the University Grants Commission and partly by the National Committee for the Gandhi Centenary. At present 36 such samitis have been set up.

(b) The next step has been the establishment of a National Board of School Textboooks This Board in cooperation with the Boards at the State level would continuously review text books. in order to ensure that such books become a powerful instrument of building up the right attitudes which can promote national integration, a feeling of national identity, a sense of secularism, a bias towards modernity and rationality and a feeling of social awareness and identification with mass welfare.

(c) The National Council of Educational Research and Training have brought out after a series of regional seminars a Handbook for Teachers at the school level which, among others, provides guideline as to how to secure removal of casteism, provincialism etc. among the teachers and students.

(d) The Government of India have also decided to establish a committee of educationists and student leaders. This Committee would advise the Government on the remedial steps to be taken for removal of casteism, provincialism and linguism from the academic life. (is yet to meet).

(e) The Government in cooperation with the National Council of Educational Research and Training have already held four Inter-State student-teacher camps to bring about understanding between different regional and linguistic groups. They propose to hold few more camps during the year. Government in cooperation with the Central Schools Organisation are also implementing a scheme under which Central Schools are adopting a state school situated in a different region and have been inviting a number of students from that school to come and live as guests of the Central Schools for a period of fortnight. The scheme is designed to promote pen-friendship, regional understanding and to learn each other's customs, songs etc. Four such visits have already been organised.

(f) As books and learning of different Indian languages has decisive role in the promo-

tion of national integration; a number of steps have been initiated in this direction and important activities in this regard are :

(i) Funds have been made available to the National Book Trust to translate upto 10 outstanding popular books from each language of the 8th Schedule of the Constitution of India into every other Indian language so that the whole country will have one set of common books which they can read and which would give them knowledge of the cultures, social customs, usages and way of life prevalent in different regions of the country. The series of such books will be known as 'Aadan Pradan'.

(ii) The NBT are bringing out popularly priced books on the series 'National Biographies of important all-India figures'.

(iii) The NBT have further been entrusted with the production of core books in certain important disciplines at university level so that there would be some common books which would be available as reference literature to all students in India at university level.

(iv) The NBT have also been entrusted with the task of bringing out 100 books to serve as supplementary readers for all school children and this series will be called 'Nehru Library Books'. The subject matter of each book will be selected keeping in view the importance of promotion of national integration and removal of ignorance, superstition and prejudices that are responsible for the devisive tendencies in the country.

(g) Government are proposing to establish four Regional Institute of Languages under which language teachers in Hindi areas could be given training to teach southern languages and languages other than Hindi to their students. Similarly, language teachers from non-Hindi states will also be trained to teach Hindi and other non-regional languages to their students. The effort is to make as many citizens as possible multi-lingual, which in turn, will promote better understanding and thus promote national integration.

Deportation of Foreign Christian Missionaries

844. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign christian missionaries deported by Government from India during the last three years for objectionable activities ; and

(b) the details of such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Ten excluding wives.

(b) One for violation of Foreign Exchange Regulations and the other nine for activities which were considered undesirable. It will not be in the public interest to disclose their details.

आपराधिक कानून और समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों के बारे में विचार गोष्ठी

845. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री लताफत अली खां :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अदिचन :
श्री गाडिलिंगन गौड :
डा० रानेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक कानून और समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों के बारे में हाल में नई दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ख) इन विषयों के बारे में विचार गोष्ठी द्वारा क्या सिफारिशें की गईं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोष्ठी में निम्नलिखित निर्दिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था ;

(i) अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा ;

(ii) अपराध और दमन ।

(iii) न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की प्रणाली, तथा

(iv) आपराधिक विधि में सुधार तथा अपराध की जांच-पड़ताल व रोकथाम और अपराधियों के अभियोजन के लिये इसे लागू करना ।

(ख) गोष्ठी द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) कुछ उपाय किये जायें जिससे अपराध के शिकार व्यक्तियों को हुई क्षति के लिये मुआवजा दिया जाय ।

(ii) सिद्धदोष अपराधियों विशेषकर बच्चों और किशोरों से निबटने में सुधारात्मक उपायों पर अधिक जोर दिया जाय ।

(iii) "सफेद पोश" अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए ।

(iv) सभी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के ढांचे में एक रूपता लाने के लिये विद्यमान विधियों का संशोधन करना ।

(ग) सरकार द्वारा गोष्ठी की विभिन्न सिफारिशों की, उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, परीक्षा की जायगी ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में नियुक्तियां

846. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में नियुक्तियों की जांच करने के लिये विशेष समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन

847. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या की जांच करने के लिये श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है । रिपोर्ट को मुद्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर शीघ्र रख दी जायेगी ।

विद्रोही नागा लोगों द्वारा आत्म-समर्पण

848. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :
श्री गु० च० नायक :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री दे० अमात :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने विद्रोही कुकी, मिजो और नागाओं ने सरकार को आत्म-समर्पण किया है ;

(ख) उनमें पदवार तथाकथित अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). आज तलक की सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनः समायोजन

849. **श्री जनार्दनन :** **डा० रानेन सेन :**
श्री लताफत अली खां : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य की स्वायत्तता को सुदृढ़ बनाने के विचार से केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के सम्बन्धों में पुनः समायोजन करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक प्रतिवेदन की परीक्षा कर रही है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच

850. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष केन्द्रीय सरकार के लगभग 550 राजपत्रित अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो निगरानी कर रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति वर्ष ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है जिन पर आरोप लगाये गये हैं और जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में भ्रष्टाचार प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा विभाग द्वारा दिये जाने वाला दण्ड बिल्कुल सामान्य होता है और उससे अधिकारी वर्ग कदाचार की गतिविधियों से हतोत्साह नहीं होते ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). 1966 तक बढ़ने की प्रवृत्ति थी किन्तु बाद के वर्षों में नहीं । यह

प्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के होने का कोई सूचक नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक सतर्कता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दीर्घकालिक अभियान वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय जांच ब्यूरो केवल जांच करने वाला एक अभिकरण है। प्रत्येक मामले में सिद्ध किये गये आरोप के तुल्य दण्ड न्यायालय द्वारा अथवा सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा (जैसी भी स्थिति हो) दिया जाता है।

(ङ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान तेज करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं, अर्थात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा मंत्रालयों के सतर्कता संगठनों को सशक्त बनाया गया है, भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों को संशोधित किया गया है, इत्यादि।

दिल्ली में छात्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

851. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रवि राय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री सीताराम केसरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री कं० हाल्दर :
श्री चेंगलराया नायडू :
डा० रानेन सेन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री शिवचरण लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री समर गुह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई, 1969 में नई दिल्ली में छात्रों के प्रतिनिधियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने विश्वविद्यालयों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ; और

(ग) इन छात्र प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों का ब्योरा क्या है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) 51 विश्वविद्यालयों, 9 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं, 4 तकनीकी

संस्थान और अखिल भारतीय औषध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 71 विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ग) भाग लेने वालों के विचारों से सम्बन्धित सम्मेलन की रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्कालय में रख दी गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार किया था और निर्णय लिया था कि इसे विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को विचारार्थ भेजा जाए। यह किया जा चुका है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले कालेजों के शासी निकायों की गठन सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन

852. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के इस निर्णय का विरोध किया है कि किसी प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले कालेजों के शासी निकायों के गठन सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाये और इस सम्बन्ध में उन्होंने विजिटर को भी विरोध प्रकट किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विजिटर ने उनको उप-राज्यपाल और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद् को कहा है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इस निर्णय के बारे में उनसे विचार-विमर्श करें ;

(ग) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के बाद क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई समझौता हो गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ?

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मामला विचाराधीन है।

Transport Development Council

853. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1026 on the 11th April, 1969 and state :

(a) when the next meeting of the Transport Development Council will be held ; and

(b) whether Government propose to lay a list of the members of this Council on the Table ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No decision has yet been taken in regard to the date for the next meeting of the Transport Development Council.

(b) The composition of the Council is as follows :

(1) Union Minister of Shipping and Transport .. Chairman

Representatives of the Central Government

(2) Union Deputy Minister of Shipping and Transport .. Member

(3) Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs .. ,,

(4) Minister of Tourism and Civil Aviation .. ,,

(5) Minister of Railways ,,

(6) Member Incharge of Transport in the Planning Commission ,,

Representatives of the State Governments

(7) Minister in the Government of Andhra Pradesh dealing with Road Transport .. ,,

(8) Minister in the Government of Assam dealing with Road Transport ,,

(9) Minister in the Government of Bihar dealing with Road Transport.. ,,

(10) Minister in the Government of Gujarat dealing with Road Transport ,,

(11) Minister in the Government of Haryana dealing with Road Transport ,,

(12) Minister in the Government of Kerala dealing with Road Transport ,,

(13) Minister in the Government of Madhya Pradesh dealing with Road Transport .. ,,

(14) Minister in the Government of Maharashtra dealing with Road Transport ,,

(15) Minister in the Government of Mysore, dealing with Road Transport ,,

(16) Minister in the Government of Nagaland dealing with Road Transport ,,

(17) Minister in the Government of Orissa dealing with Road Transport ,,

(18) Minister in the Government of Punjab dealing with Road Transport ..

(19) Minister in the Government of Rajasthan dealing with Road Transport ,,

(20) Minister in the Government of Tamil Nadu dealing with Road Transport ,,

(21) Minister in the Government of Uttar Pradesh dealing with Road Transport .. ,,

(22) Minister in the Government of West Bengal dealing with Road Transport ,,

(23) Minister in the Government of Jammu and Kashmir dealing with Road Transport .. ,,

(24) Minister in the Government of Goa, Daman and Diu dealing with Road Transport .. ,,

(25) Minister in the Government of Himachal Pradesh dealing with Road Transport ,,

(26) Minister in the Government of Manipur dealing with Road Transport ,,

(27) Minister in the Government of Pondicherry dealing with Road Transport ,,

(28) Minister in the Government of Tripura dealing with Road Transport ,,

(29) Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands ,,

(30) Chief Executive Councillor, Delhi Metropolitan Council ,,

(31) Administrator, Dadar and Nagar Haveli ,,

(32) Chief Commissioner, Chandigarh .. ,,

विदेशों में प्रोफेसर तथा लेक्चरार

854. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे प्रोफेसरों, एसोशियेट प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों तथा लेक्चरारों की कितनी संख्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गणित जैसे विशेष विषयों के लिये देश में उनमें से कुछ लोगों की सेवाओं का उपयोग करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये सवक्षण के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में 1434 भारतीय अधिकारी संकाय पदों पर हैं।

(ख) ऐसे भारतीय विख्यात विद्वानों/वैज्ञानिकों को जो इस समय विदेशों में कार्य कर रहे हैं अथवा बस गये हैं, आमंत्रित करने के लिये, अधिछात्रवृत्तियां/विजिटिंग प्रोफेसरशिप लागू करने की एक योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

श्रीनगर के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में राष्ट्रीय झन्डे का उतारा जाना

855. **श्री बलराज मधोक :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री जय सिंह :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री स० अ० अगडी :
श्री रा० बरुआ :
श्री भा० रा० काबड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० जाकिर हुसैन के निधन पर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में राष्ट्रीय झंडा उतार दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रवादी विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल करके इस राष्ट्र विरोधी कार्यवाही का विरोध किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के प्रिंसिपल पर इस कार्य में हाथ होने का आरोप लगाया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं थी; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि वहां ऐसी बातें पुनः न हों सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) . जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 3 मई, 1969 को जब डा० जाकिर हुसैन के निधन का समाचार मालूम हुआ तो क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के प्रिंसिपल ने कालेज, भवन पर राष्ट्रीय झंडा झुका दिया। 7 मई को विद्यार्थियों के एक वर्ग ने मांग की कि चूंकि डा० जाकिर हुसैन को दफनाने की रस्म पूरी हो गई है अतः झंडा हटा दिया जाय। चूंकि उन्हें आशंका थी कि राष्ट्रीय झंडे का कहीं अनादर न हो अतः प्रिंसिपल ने राष्ट्रीय झंडा हटा लिया और उसे सुरक्षित रख लिया। उसके तुरन्त बाद विद्यार्थियों के दूसरे वर्ग ने उसके हटाये जाने का विरोध किया और उसके फिर से फहराने की मांग की। पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर प्रिंसिपल ने झंडा फिर से फहरा दिया। कुछ विद्यार्थियों ने जिस पर भी भूख हड़ताल की जो बाद में जम्मू व काश्मीर सरकार के एक मंत्री के हस्तक्षेप पर समाप्त कर दी गई। विद्यार्थी मुख्य मंत्री से भी मिले थे। इस कालेज में इस प्रकार की पहले कोई घटना नहीं हुई।

(ङ) इस मामले में सरकार सजग है और जब आवश्यक होगा उचित कार्यवाही की जायेगी ।

लाजपत नगर थाने में मृत्यु

856. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री इसहाक साम्भली :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० लकप्पा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री मोहम्मद शरीफ :
श्री मोहन सिंह ओबराय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुचे गौड :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1969 में लाजपत नगर थाना नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में केवल कृष्ण नामक एक युवक की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या इस युवक की गिरफ्तारी के कोई वारंट नहीं थे तथा सम्बन्धित थाने के रिकार्ड में उसे थाने में बुलाने का कोई उल्लेख नहीं है;

(ग) क्या मृत व्यक्ति के माता-पिता को उसके कथित गिरने के बारे में तब तक नहीं बताया गया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई;

(घ) जब लोगों ने पुलिस हिरासत में केवल कृष्ण की मृत्यु के विरुद्ध रोष व्यक्त किया तो क्या पुलिस ने उन पर अन्धाधुन्ध लाठी चलाई तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों को तंग किया ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि यह दिल्ली में अपनी किस्म का पहला मामला नहीं है;

(च) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी बातें होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और अपराधियों को क्या दंड दिया गया है; और

(छ) मृत व्यक्ति के माता-पिता को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत श्री केवल कृष्ण की मृत्यु के बारे में तहकीकात करने वाले सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृत्यु का कारण "केवल कृष्ण का जानबूझ कर द्वितीय तल से नीचे ईटों के फर्श पर कूदना था ।"

(ख) पुलिस स्टेशन के अभिलेखों में श्री केवल कृष्ण को पुलिस स्टेशन पर बुलाये जाने का उल्लेख है। गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तहकीकात किया जाने वाला अपराध प्रज्ञेय था और मृतक पर अपराध के किये जाने में शामिल होने का शक था।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री केवल कृष्ण ने दिन के लगभग पौने ग्यारह बजे पुलिस स्टेशन के द्वितीय तल से छलांग लगाई थी। उसे तुरन्त सफदरजंग अस्पताल भेजा गया जहां दिन के साढ़े बारह बजे उसकी मृत्यु हो गयी उसके रिश्तेदारों को 11 बजकर 25 मिनट पर सूचित कर दिया गया था।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि मृत्यु के कारणों के बारे में जबकि वह पुलिस अभिरक्षा में था लोगों में कुछ गलतफहमी है। लगभग 3000 व्यक्तियों की भीड़ लाजपतनगर पुलिस स्टेशन के बाहर साढ़े छः बजे इकट्ठी हो गई थी। भीड़ को यह बताने के कि जांच कार्य हो रहा है और दो पुलिस अधिकारियों, एक सब इन्स्पैक्टर तथा एक पुलिस मैन को पहले ही लम्बित किया जा चुका है, के बार-बार प्रयत्नों के बावजूद भीड़ हिंसा पर उतर आई और उसने पुलिस थाने पर पत्थर आदि फेंकने शुरू कर दिये। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा 21 पुलिस वाले घायल हुए। अतः भीड़ को तितर बितर करने के लिए तीन बार अश्रु गैस का प्रयोग करना आवश्यक समझा गया। लाठी नहीं चलाई गई।

(ङ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार इसी प्रकार की एक घटना 14 जनवरी 1964 को पटेल नगर पुलिस स्टेशन पर भी घटी थी। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा के 458 के अन्तर्गत पकड़ा गया दीप चन्द नामक एक व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में मर गया था। यह कहा गया था इस व्यक्ति की मृत्यु जांच अधिकारी द्वारा पीटे जाने से हुई है। इस मामले की जांच पंजाब पुलिस विनियम 16.38 (1) के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी। उसका मत था कि श्री दीप चन्द पुलिस थाने की छत से कूद पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप उसको गम्भीर चोटें आई थीं और तत्पश्चात अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

(च) और (छ). संदिग्ध व्यक्तियों के रखरखाव तथा उचित अभिरक्षा के बारे में पुलिस अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। चूंकि श्री केवल कृष्ण ने आत्महत्या की है अतः किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उसके मां बाप को कोई मुआवजा दिया गया है।

संसद् सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के गठन में परिवर्तन

857. **श्री रविराय :**
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :

क्या **संसद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के गठन

में शक्तियों और कृत्यों सम्बन्धी परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सलाहकार समितियों के गठन और कृत्यों को विनियमित करने के लिए विरोधी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप विकसित मार्ग-निदेशिका की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1364/69]

मई, 1969 में ऊटकमण्ड में हुई राज्य विधायकों की विचार गोष्ठी

858. **श्री रवि राय** : क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 के तीसरे सप्ताह में ऊटकमण्ड में राज्य विधायकों की अनुपस्थिति ज्ञान विचार गोष्ठी एक सप्ताह तक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस विचार गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और उन पर क्या निर्णय किये गये थे ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण जिसमें इस विचार गोष्ठी में चर्चा किए गए विषय दिखाए गए संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1365/69] कोई निर्णय नहीं लिए गए थे ।

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा

859. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में भर्ती करने के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सिद्धान्तों के अनुसार कितने राज्यों ने नाम भेजे हैं और विभिन्न राज्यों से कितने डाक्टरों ने अपने नाम भेजे हैं तथा उन डाक्टरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार का विचार उपर्युक्त सेवा के योग्य डाक्टरों के नामों की अन्तिम रूप से कब तक घोषणा करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में भारतीय चिकित्सा तथा सेवा (भर्ती) नियम,1969 के अनुसार भर्ती की जायेगी जिनमें प्रारम्भिक संगठन अवस्था में तथा रखरखाव अवस्था में भी भर्ती के लिये व्यवस्था है । भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) विनियम, 1969 में प्रारम्भिक भर्ती

के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उनमें प्रारम्भिक गठन अवस्था पर सेवा में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने हेतु व्यक्तियों की योग्यता की कसौटी भी दी गई है ।

(ख) किसी भी राज्य सरकार से अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सेवा में नियुक्ति के लिये जिन पात्र डाक्टरों पर विचार किया जाता है उनकी सूची प्रारम्भिक भर्ती विनियमों के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले विशेष भर्ती बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी । जिन डाक्टरों को सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चुन लिया जायेगा उनके नामों की घोषणा बाद में की जायेगी ।

Capacity of Tankers being Built in Japan

860. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tankers of a capacity of 5 lakh tons are being built in Japan while the capacity of tankers proposed to be built in India in future is even less than one lakh ton ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to build big tankers with a view to transporting crude oil at lesser cost ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No authentic information is available about the plans to build tankers of 500,000 DWT capacity. In the Cochin Shipyard, proposed to be set up, it is contemplated to build bulk-carriers of 66,000 DWT class.

(b) As India's requirements of oil tankers are urgent and cannot await construction at the proposed Cochin Shipyard, steps have been taken to order tankers from overseas shipyards.

Fourth Plan Proposals Re. D.T.U.

861. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the details of the Fourth Plan regarding Delhi Transport Undertaking ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : A provision of Rs. 10 crores has been made for Delhi Transport Undertaking in the Fourth Five Year Plan Draft. Details of the Plan expenditure are under the consideration of the Delhi Transport Committee and have not yet been finalised.

ईसाई धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

862. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ईसाई धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये धर्म प्रचारक हिन्दुओं को बलपूर्वक ईसाई बनाते हैं ;

(ग) इन धर्म प्रचारकों द्वारा गत दो वर्षों में कुल कितने हिन्दुओं को ईसाई बनाया गया है ;

(घ) भारत में धर्म प्रचारकों की गतिविधियां समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गुजरात, हरियाणा, नागालैंड पंजाब की सरकारों और लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमीनदिवी द्वीपसमूह, मनीपुर अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ईसाई धर्म-प्रचारकों की ओर से बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधि के कोई मामले ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम, 1968, जो 20 अक्टूबर, 1968 से लागू हुआ, के अलावा एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तन की सूचना अथवा पंजीकरण के लिये और कोई कानून नहीं है । अत: पूछी गई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इस विषय का सम्बन्ध मुख्तय: सार्वजनिक व्यवस्था से है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य विधान के क्षेत्र के भीतर आता है । धर्मपरिवर्तन के लिये बल के प्रयोग से भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत भी निबटा जा सकता है ।

कांडला पत्तन पर यातायात में गिरावट

863. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर यातायात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यातायात में गिरावट के व्योरे पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(घ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यातायात में गिरावट का मुख्य कारण खाद्यान्न और खनिज तेल के आयात में कमी होना है ।

(ग) पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय ने कांडला बन्दरगाह से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है ।

(घ) समिति के अगस्त, 1969 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

समान कार्य के लिये समान वेतन

864. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने "समान कार्य के लिये समान वेतन" देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ग) इस सिफारिश को लागू किये जाने पर देश में कर्मचारियों के मध्य व्याप्त यह असमानता किस सीमा तक दूर हो जायेगी ; और

(घ) इस प्रकार देश में सरकारी कार्यालयों के कार्य में कहां तक सुधार होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कर्मचारी प्रशासन संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय iv की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन परीक्षाधीन है ।

राजकीय सड़क परिवहन निगम के लिए पूंजी अंशदान

865. **श्री ई० के० नायनार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे की चौथी योजना में राजकीय सड़क परिवहन निगमों के

लिये पूंजी अंशदान के लिये उपलब्ध करने का विचार है ताकि प्रत्येक मामले में उनका भाग समान रूप से कुल का 33⅓ प्रतिशत हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). 1969-70 वर्ष के प्रारम्भ से भावी अंशदान के बारे में रेलवे की चौथी योजना में राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिये पूंजी अंशदान के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है जो प्रत्येक मामले में समान रूप से कुल का 33⅓ प्रतिशत है। 31-3-1969 तक के दिए गए पिछले अंशदान के बारे में रेलवे के लिये प्रत्येक मामले में उसका 33⅓ प्रतिशत अपने अंशदान को बढ़ाने के लिये की गई उपरोक्त अंशदान की व्यवस्था पर्याप्त नहीं समझी गई है।

दिल्ली के लिये एक पुलिस आयुक्त नियुक्त करना

866. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री बलराज मधोक :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिये एक पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है।

पर्यटकों को और अधिक सुविधायें देने के बारे में सुझाव

867. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री हेम राज :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की 'ट्रैवल एजेंट्स एसोसियेशन' ने पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं देने के बारे में अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मई, 1969 में भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता संघ ने काठमांडू में हुए अपने वार्षिक सम्मेलन में पर्यटकों के लिये कतिपय अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल सुविधाओं का सुधार इंडियन एयरलाइन्स के लिये विमानों का चयन और क्रय; भारतीय रेलों और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सैर एवं सार्थवाही (एक्सकर्शन एण्ड ग्रुप फेयर्स) चालू करना ; पर्यटक गाड़ियों के लिये अखिल भारतीय परमिट जारी करना तथा पर्यटक कारों और कोचों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करना शामिल हैं। उक्त संघ ने यह भी सिफारिश की कि दक्षिण एशिया यात्रा आयोग क्षेत्र के देशों, अर्थात, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बाह्य मंगोलिया, पाकिस्तान और भारत में पर्यटन की क्षेत्रीय अभिवृद्धि के लिये इस क्षेत्र के देशों के लिये एक संयुक्त अभिवृद्धि विषयक उपकरण-तन्त्र, संयुक्त प्रचार और एक संयुक्त पर्यटक वीजा की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है। कई सिफारिशों की ओर पहले से ही सक्रिय रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

नौवहन समन्वय तथा चार्टरिंग संस्था के सदस्यों को बदलना

868. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री अजमल खां :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन समन्वय तथा चार्टरिंग संस्था के सदस्यों को बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). प्रस्ताव पर प्रशासनिक सुधार आयोग के परामर्श से अभी प्रारम्भिक विचार ही किया जा रहा है। इस समय कोई ब्योरा देना सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालय के मामलों में विद्यार्थियों का भाग लेना

869. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध संस्थाओं के विद्यार्थी संघ के अध्यक्षों ने यह

निर्णय कर लिया है कि अगर विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी ढंग से भाग लेने के बारे में तथा परीक्षा में सुधारों के बारे में उनकी सिफारिशों को नहीं स्वीकार किया तथा क्रियान्वित नहीं किया तो वे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन आरम्भ कर देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में तीसरे साम्यवादी दल की स्थापना

870. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक तीसरे साम्यवादी दल के गठन के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है ;

(ख) क्या सरकार का रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह कहा बताते हैं कि तीसरे साम्यवादी दल से बातचीत करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं ।

(घ) राज्य सरकार से उक्त वक्तव्य का मूल पाठ भेजने के लिये अनुरोध किया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये स्वायत्तशासी निगम

871. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री सूरजभान :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
डा० सुशीला नैयर :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री सीताराम केसरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रा० की० अमीन :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डों के बारे में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी गई कई सिफारिशों में से एक में सिफारिश की है कि चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये एक स्वायत्तशासी निगम बनाया जाये ;

(ख) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मोटी-मोटी बातें क्या हैं, उनमें से कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा कौन-सी स्वीकार नहीं की गई हैं और स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों की क्रियान्विति में कितना धन व्यय होगा तथा क्या उनके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में समुचित प्रबन्ध कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जायें तो क्या जम्बो जेट सेवा शुरू किये जाने के बाद विमानों तथा यातायात के लिये हवाई अड्डों पर पर्याप्त व्यवस्था हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिशों में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर धावन-पथों, टैक्सी-पथों तथा एप्रनों के संबंध में किये जाने वाले सुधार तथा पालम पर (अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय यात्रियों के लिये), सान्ताक्रुज पर (केवल अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये), मद्रास पर (अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय यात्रियों के लिये) और दम दम पर (केवल देशीय यात्रियों के लिये) नये टर्मीनल काम्प्लेक्सों का निर्माण सम्मिलित हैं । इनमें दिक्चालन तथा संचार सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है । इन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निम्नलिखित प्रकार से तीन योजना-वधियों में 106 करोड़ रुपये का व्यय होगा :—

पहला चरण (1969—74)	63.56 करोड़ रुपये
दूसरा चरण (1974—79)	35.54 करोड़ रुपये
तीसरा चरण (1979 से आगे)	7.02 करोड़ रुपये
योग ..	106.12 करोड़ रुपये

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 55.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इन सिफारिशों का पर्यनुशीलन किया जा रहा है ।

(घ) जी, हां ।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

872. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री बेनी शंकर शर्मा :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में नक्सलवादियों ने सशस्त्र आन्दोलन के

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शस्त्र प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नक्सलवादियों को चीन द्वारा सक्रिय सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 25 जुलाई, 1969 के लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें 25 जनवरी, 1969 से अब तक उग्रवादियों द्वारा देश में की जा रही हिंसात्मक घटनाओं का ब्योरा दिया जा रहा है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों/आंध्र प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, नागालैण्ड, पंजाब, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोआ, दमन, दीव, लक्कादीव मीनीकाय और अमीनदीप द्वीपसमूह, मनीपुर, उपूसी तथा पाण्डिचेरी की कोई जानकारी नहीं है कि उग्रवादियों को सहायता दे रहा है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

कलाकृतियों का बाहर जाना

873. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री रा० वें० नायक :
श्री जुल्फिकार अली खां :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की बहुमूल्य कलाकृतियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न असफल रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश से ऐसी वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए प्राचीन वस्तुओं तथा कलाकृतियों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अब तक ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Murder of Shri Din Dayal Upadhyay

874. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Shastri :
Shri N. Shivappa :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the manner in which C.B.I. have made investigations into Shri Din Dayal Upadhyaya's murder case has been severely criticized ;

(b) if so, whether Government propose to appoint an Enquiry Commission keeping in view the widespread and deep discontentment over it among the masses ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) While acquitting the accused persons of the charge of murder of Shri Din Dayal Upadhyaya the Special Sessions Judge of Varanasi has pointed out certain inadequacies in the prosecution evidence. He has, however, not passed any structures in regard to the manner of investigation by the Central Bureau of Investigations.

(b) to (d). The judgement of the Sessions Judge has been forwarded to the Government of Uttar Pradesh who will consider whether any appeal should be filed against the order of acquittal of the two accused persons.

Activities of Naxalites

875. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri D. N. Patodia : **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shai Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Onkar Singh :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Mahant Digvijay Nath :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Jai Singh :**
Shri Hem Barua : **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri R. K. Sinha : **Shri S. S. Kothari :**
Shri Hardayal Devgun : **Dr. Sushila Nayar :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri J. Sunder Lal : **Shri Samar Guha :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri R. K. Birla :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Yashwant Singh Kushwaha :**
Shri P. M. Sayeed : **Shri Prem Chand Verma :**
Shri Shri Chand Goyal : **Shri Deo Rao Patil :**
Shri Hem Raj : **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Yamuna Prasad Mandal :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri A. Sreedharan :**
Shri S. K. Tapuriah : **Shri M. S. Oberai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naxalite Communists are rapidly intensifying their activities in various parts of the country ;

(b) if so, steps proposed to be taken to check their activities ;

(c) whether the Government propose to lay on the table of the House a detailed statement of the activities of Naxalites in the country noticed during the last six months ; and

(d) if so, the time by which it would be laid ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (c) and (d). A statement based on the information received from the State Governments of the violent incidents caused by the extremists in the three months preceding 25th April, 1969 is laid on Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1366/69]** Since then no voilent activities on the Part of the extremists have come to notice in Assam, Gujarat Haryana, Mysore, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Goa, Daman and Diu, Manipur, NEFA, Maharastra, Himachal Pradesh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli, Laccadive,

Minicoy and Amindive Islands, Pondicherry, Tripura and Madhya Pradesh. In Andhra Pradesh the extremists are reported to have been active in Srikakulam, Khammam, Karimnagar and Warangal districts, while some sporadic incidents have also come to notice in Guntur, Nalgonda, Vishakhapatnam districts. In Punjab on 30th April, 1969 some extremists went to police station Chamkaur Sahib and asked the Station House Officer to register a case of robbery for the alleged beating of an extremist by the police. They fired revolver shots as a result of which one constable received injuries. A case has been registered and some of the accused persons have been arrested. Information from the remaining States and Union Territories is awaited.

(b) The Andhra Pradesh Government are taking vigorous action under the law to deal with the violent activities of the extremists. The State Government is keeping a close watch on the activities of the extremists.

The Central Government are examining the question of enacting suitable legislation to deal with the activities of the extremists. In this connection, discussions have already taken place with some representatives of political parties represented in Parliament.

Corruption Charges Against Haryana Chief Minister

876. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri P. C. Adichan :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Prem Chand Verma :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh : **Shri Jyotirmoy Basu :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Legislators of Haryana have, in a memorandum submitted to the President, made a demand for inquiry into the various allegations of corruption, etc. levelled against the Chief Minister, Shri Bansi Lal ; and

(b) if so, the action taken in that regard and the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Memorandum has been forwarded to the Chief Minister, Haryana, for comments.

Joint Consultative Machinery

877. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken regarding the outlines of the Statutory Machinery for Joint Consultation and Compulsory Arbitration for the Central Government employees ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken so far in this regard and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The details are still being worked out.

(c) It is expected to introduce a Bill in Parliament in this connection as early as possible.

Decentralisation of Central Secretariat Service

878. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Behari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to effect a change in the decentralised administration of Central Secretariat Services ; and

(b) if so, the details and purpose thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Not so far.

(b) Does not arise.

Review Committee on National Council of Educational Research and Training

879. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the review Committee regarding the National Council of Educational Research and Training have been considered by Government ; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Decisions on some of the major recommendations have been taken already and a statement showing the gist of the recommendations and decisions taken, was placed on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 5995 on the 11th April, 1969.

Decisions on other recommendations are expected to be taken soon.

दिल्ली में छात्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

880. **श्री मधु लिमये :**
श्री हेमराज :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों/निकायों में छात्रों के प्रतिनिधित्व तथा छात्रों की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिये उन्होंने छात्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे;

(ग) उन प्रतिनिधियों में से कितने निर्वाचित थे तथा कितनों को विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने मनोनीत किया था;

(घ) देश के कितने विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्र संघ हैं जो प्रजातंत्र की प्रणाली पर चलते हैं; और

(ङ) सम्मेलन में क्या प्रमुख निर्णय लिये गये तथा उन्हें लागू करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

(ख) 71 विद्यार्थी-प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने कुलपतियों से प्रार्थना की थी कि वे विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ के प्रधान या उसके सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ होने की दशा में किसी अन्य प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्ति कर दें। यह बताना संभव नहीं है कि प्रतिनिधियों में से कितने चुनकर आए थे और कितने नामजद थे ।

(घ) 54 विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 विश्वविद्यालयों में छात्र संघ हैं जिनके पदाधिकारी छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बाकी के सब विश्व-विद्यालय में विभिन्न विद्यार्थी संगठन हैं। जैसे विद्यार्थी संस्थाएं, वाद विवाद सभाएं, संस्थाओं की परिषदें, छात्र परामर्श परिषद इत्यादि हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अथवा नामजद अथवा नियुक्त पदाधिकारी हैं ।

(ङ) सम्मेलन के विवरण की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिशों के बारे में विचार जानने के लिए रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को भेज दिया है ।

Transfer of Control of Defence Service Public School under Central Board of Secondary Education

881. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri P. C. Adichan :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Defence Service Public School, Maulana Azad Road, New Delhi is proposed to be brought under the Central Board of Secondary Education, as has been done in the case of Central Air Force School, Delhi Cantonment ;

(b) if so, the decision taken in this regard ; and

(c) if not, the reasons for which it is not being done particularly when it would make the system of education uniform ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No such proposal is under consideration of the Central Board of Secondary Education, as no request for the affiliation has so far been received by the Board from the management of the school.

(b) Does not arise.

(c) This is a private un-aided school. Necessary steps for affiliation of the School by the Central Board of Secondary Education can be taken only when an application for such an affiliation is received from the management of the school. At present the school is affiliated to the Council for Indian School Certificates Examination, New Delhi.

Abolition of Senior Cambridge Scheme in Public Schools

882. **Shri Valmiki Chaudhary :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to abolish the Senior Cambridge Scheme in the various Public Schools in each State and to introduce Central Secondary Scheme there with a view to making the system of education uniform throughout the country and to avoid foreign influence on the students ;

(b) if so, the steps being taken in this regard ; and

(c) the percentage of Public Schools in the Union Territories where Senior Cambridge Scheme is still in vogue and when this scheme is likely to be replaced by the Secondary Scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There is no Scheme of examinations called the Senior Cambridge Scheme prevalent in India. Some of the Public and other schools are affiliated to the Council for Indian School Certificate Examinations, New Delhi and the name of the examination which the Council conducts is the Indian School Certificate Examination. There is no proposal to abolish the Scheme of Indian School Certificate Examinations.

(b) Does not arise.

(c) Only two of the Public Schools located in Union Territories are affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examinations. These two schools constitute about 5% of the total number of schools which are Members of the Indian Public Schools Conference.

The question of affiliation of one of these two schools viz. Lawrence School, Sanawar to the Central Board of Secondary Education is under consideration of the School's Board of Governors.

Teaching of Science and Mathematics in Hindi

884. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the names of the States and Union Territories in which arrangements have been made for teaching of Science and Mathematics in Hindi in the higher classes;

(b) the names of Hindi speaking States where these arrangements have not been made so far and the reasons therefor;

(c) whether the Central Government have issued any instructions to the effect that these arrangements should be made in each State and Union Territory within a stipulated period;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) The matter concerns the State Governments.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अवकाश के अवधि में वृद्धि

885. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर के अवकाश में प्रथम जून, 1969 से दो मास की और वृद्धि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में नये राज्यपाल की नियुक्ति करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा प्रथम बार हुआ है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इतनी लम्बी अवधि तक राज्य के राज्यपाल पद पर कार्य किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में एक राज्यपाल नियुक्त करने का है क्योंकि इसमें विलम्ब करने से अन्य राज्यों को भी इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रोत्साहन मिलेगा जैसा कि पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस मामले में किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1 अप्रैल, 1969 से राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब तक राज्यपाल छुट्टी पर हैं तब तक ऐसी कार्यवाहक व्यवस्था को टाला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, 1966 में जब मद्रास के राज्यपाल छुट्टी पर थे, तो मुख्य न्यायाधीश ने लगभग 6 महीने तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। किन्तु पश्चिम बंगाल के लिये नये राज्यपाल की नियुक्ति जितनी जल्दी सम्भव होगी, की जायगी और सरकार स्वयं इसे जल्दी से जल्दी करने की इच्छुक है ।

Educational Qualifications as Basis of Direct Recruitment

886. **Shri Ramji Ram :**
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the basis of direct recruitment on large scale is mere educational qualifications and that practical experience and human values are not kept in view while making recruitment ;

(b) If so, whether it is also a fact that it results in an adverse effect in the management of various services and that when real problem arises, the direct recruits are not able to solve it and take recourse to mere exercise of powers;

(c) whether it is further a fact that youngmen belonging to high families are selected in All India Services because of their medium of education being English ; and

(d) the steps proposed to be taken to romove this disparity ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir. There are Services/Posts filled by direct recruitment where apart from educational qualifications, experience of the line is prescribed as condition of eligibility for appointment. Also in Services/Posts like All India Services and Central Services Class I in which recruitment is made through competitive examination, the candidates are also interviewed by the Union Public Service Commission who judge their suitability for these services.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) With the gradual introduction of the regional languages as optional media for these examination the disparity, if any, will be removed automatically.

Central Government Employees

887. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3916 on the 21st March, 1969 and state :

(a) whether actual figures regarding Central Government Employees have since been received from the Governments of Union Territories ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) it not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). No, Sir. The requisite information is still awaited from some Union-Territory Administrations.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Shipping and Transport Ministry

888. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9904 on the 16th May, 1969 regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in his Ministry and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir, except for Class III and Class IV Posts in the Border Roads Organisation.

(b) During the period from 11-7-1968 to 15.3.1969, no post (excluding Class III and Class IV posts in Border Roads Organisation) was required to be reserved for employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in terms of the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/ 67-Ests (C) Dated the 11th July, 1968. The information asked for in part (b) of Unstarred Question No. 9904 in respect of these posts is, therefore, nil.

(c) As the requisite information in respect of Class III and Class IV posts in the Border Roads Organisation has to be collected from various lower formations located in far-off places on the border, it will take some time to do so. The information in respect of these posts will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Construction of Roads in Gorakhpur District

889. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1362 on the 27th February, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Government of Uttar Pradesh :

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information pertains to local roads falling within the sphere of State activities and has to be supplied by the State Government after collecting it from the authorities concerned.

विमानों के क्रय के बारे में इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों पर अनुचित दबाव

890. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ऐसी कोई सूचना मिली है कि विदेशी विमान निर्माताओं के कुछ प्रतिनिधि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन उन निर्माताओं के विशिष्ट 'मेक' के विमान खरीदने को राजी हो जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक पत्र, जो कि किसी एक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के एक प्रवर अधिकारी को इस आशय से लिखा गया बताया गया है कि यदि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उनका विमान चुना गया तो उन्हें किसी रूप में पुरस्कृत किया जायेगा, कारपोरेशन और सरकार के नोटिस में लाया गया है। इस पत्र के प्राप्त होते ही तुरन्त उचित कार्यवाही और जांच प्रारंभ कर दी गयी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा आयात की गई कैरेवेल विमानों की बैटरियां

891. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कितनी कैरेवेल विमानों की बैटरियों का आयात किया गया तथा इन आयातित बैटरियों का मूल्य क्या है;

(ख) विमानों में बैटरियां कितने घंटे उपयोग में लायी जाती हैं;

(ग) क्या कैरेवेल विमान में मरम्मत की गई बैटरियों का उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मैकेनिक श्री डी० जे० नायडू द्वारा मरम्मत की गई किन्हीं बैटरियों को उपयोग में लाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कैरेवेल विमानों के लिये आयात की गई बैटरियों तथा उनकी लागत का ब्योरा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा	भाग संख्या	मूल्य रुपये
1966	6	2-10-16-1 (सब एवियेशन कोड संख्या 6830.006-00)	9262.68
1967	2	,,	4696.82
1968	6	1600 × 3 (सब-एवियेशन कोड संख्या 6830.012.00 वैकल्प भाग संख्या)	18499.98

इनके अतिरिक्त बैटरियों की मरम्मत के लिए आयात किये गये सेल ब्लाक भाग संख्या वी ओ—16—के एच का ब्योरा निम्नलिखित है :

1966	471	143,461.35 रुपये
1967	50	
1968	982	

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के कैरेवेल विमानों के लिए निगम 20 सेल साफ्ट बैटरियां प्रयोग करता है। इन सेलों का 'इस शर्त पर' नवीकरण किया जाता है कि जब वे काम योग्य नहीं रह जायें कन्टेनर को कभी भी रद्द नहीं किया जाता। इण्डियन एयरलाइन्स में सेलों का औसतन जीवन 3000 घंटे है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

Unemployed Engineers

892. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Shiv Charan Lal**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri S. M. Banerjee: **Shri Mohammad Ismail:**
Shri K. M. Madhukar: **Shri M. S. Oberoi:**
Shrimati Savitri Shyam: **Shri Lakhan Lal Gupta:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the number of unemployed engineers in the country has increased during the last one year;

(b) if so, whether some States have drawn up programmes to mitigate the unemployment; and

(c) the number of unemployed engineers who got employment under these programmes?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) The number of engineers registered with the Employment Exchanges in the country has increased over the last one year.

(b) A list of measures was approved by the Central Government in May, 1968 to create additional employment opportunities for engineers. This list was placed on the Table of the House while answering Starred Question No. 138 on the 26th July, 1968. Action on these measures is being taken by the State Governments as well as by the various Ministries of the Central Government.

(c) It has not been possible to assess precisely the additional number of jobs created as a result of the implementation of these measures. However, a number of State Governments have created additional engineering posts for carrying out preparatory works for projects to be included in the Fourth and subsequent Plans. The number of training places under the Training-in-Industry Scheme of the Ministry of Education has been increased from about 2,000 in 1967-68 to about 11,000 at present. The Central Government and some State Governments have taken steps to ensure that approved contractors carrying out Government work employ qualified engineers under them. Some State Governments have taken measures to afford financial and other assistance to engineers seeking to set up small scale industries.

Theft of Ancient Coins from certain Important Museums

893. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Shiv Charan Lal:**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Bhogendra Jha:**
Shri Raghuvir Singh Shastri:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether reports have been received about the theft of ancient idols, coins as well as documents from certain important museums in the country;

(b) if so, whether some foreign agencies have been found involved therein; and

(c) if so, the measures taken to check these thefts?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir, there have been reports of thefts of art objects from some of the important Museums in the country.

(b) A foreign national is suspected to be involved in the disposal of certain paintings stolen from a private Museum.

(c) So far as the Museums under the control of the Central Government are concerned, a Committee has been set up to go into the administration and organisation of the three Central Museums, viz. the National Museum, New Delhi, the Indian Museum, Calcutta, and the Salarjung Museum, Hyderabad, and to make recommendations for strengthening security arrangements in these Museums.

In the meantime various steps have been taken to tighten the security arrangements at the Central Museums. Some of the important steps are listed in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-1367/69]**

विजय नगर कालीन संग्रहालय का निर्माण

894. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में केल्लारी जिला में हाम्पी के समीप कमलापुरम में 'विजय नगर कालीन संग्रहालय' के निर्माण कार्य में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस संग्रहालय के निर्माण के बारे में कब निर्णय किया गया था;

(घ) इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) भवन-निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां । कुर्सी स्तर तक संग्रहालय का भवन निर्माण जो निर्माण कार्य का 28 प्रतिशत है और जिसकी लागत 33,657 रु० है पूरा हो गया है ।

(ग) 1962 में ।

(घ) 4,52,382 रु० के अनुमानित खर्च की स्वीकृति दी गई है ।

(ङ) संग्रहालय भवन के प्राक्कलन 1964 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गए थे । निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि नए भवनों के निर्माण पर सामान्य रोक लगी हुई थी और स्वीकृत खर्च 1967 में किया गया था । उसके बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था । ठेकेदार ने जनवरी 1968 में कार्य प्रारम्भ करके उसे स्थगित कर दिया । इसलिये ठेके को रद्द कर दिया गया था और कार्य के लिये पुन: टेन्डर आमंत्रित किये गए थे ।

(च) 1969-70 तक ।

शिक्षा नीति

895. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोच रहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक क्योंकि पिछले तीन वर्षों में एक भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). शिक्षा आयोग की सिफारिशों की पूर्णरूप से जांच करने के बाद, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसे 24 जुलाई, 1968 को लोक-सभा पटल पर रखा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार के रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव में निर्देश किये गये कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अधिकतर राज्य सरकारों की है।

जहां केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है वहां उपलब्ध संसाधनों के भीतर यथा-सम्भव कार्यक्रमों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में, कदम उठाये जा रहे हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि शिक्षा आयोग की एक भी सिफारिश क्रियान्वित नहीं की गई है।

उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम को अपनाने के विचार से प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कई उपाय किये हैं। स्कूल शिक्षकों के लिये शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन मानों को पंजाब तथा हरियाणा राज्यों ने मान लिया है और अन्य राज्यों में, शिक्षकों के वेतनों में पर्याप्त सुधार किये गये हैं, यद्यपि वे शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये स्तर के नहीं हैं। आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान, विश्वविद्यालय स्तर पर, कई राज्यों द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में एक बड़ी कठिनाई संसाधनों की कमी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कुल नियतन केवल 802 करोड़ अथवा कुल

आयोजना-व्यय का 5.6 प्रतिशत है जो कि शिक्षा को दिये गये रिकार्ड पर न्यूनतम अनुपात है। वास्तविक प्रगति केवल तभी सम्भव होगी, यदि शिक्षा के लिये और अधिक नियतन व्यवस्थाएं की जाती हैं और उन्हें सामुदायिक स्वेच्छिक प्रचुर योगदानों द्वारा पूरा किया जाता है।

केरल में कोवलाम पुलिन (बीच) का विकास

896. **श्री अदिचन :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोवलाम पुलिन (बीच) को एक प्रथम श्रेणी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: क्या लागत आयेगी; और

(घ) इस परियोजना पर सम्भवत: कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आर्किटेक्ट द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गयी योजनाओं तथा प्राक्कलनों का अभी अंतिम अनुमोदन किया जाना है।

(ख) प्रायोजना के प्रमुख अंग एक होटल, कई कुटीरों, कैफेटीरिया तथा दुकानों सहित एक समुद्र तटीय केन्द्र का निर्माण, और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था है।

(ग) 90 लाख रुपया, जो कि पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा मिलकर दिया जायेगा।

(घ) स्कीम का व्यय वित्त समिति (एक्सपेंडिचर फाइनान्स कमेटी) से पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होने के शीघ्र बाद कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने की स्थापना

897. **श्री अदिचन :**
श्री के० रमानी :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के काम में और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निर्माण-कार्य के कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मैसर्स मित्सुविसो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोक्यो द्वारा तैयार की गई संशोधित परियोजना रिपोर्ट और प्रारम्भिक डिजाइन प्राप्त हो गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। इस बीच भूमि प्राप्त करने, सड़क मोड़ का निर्माण, भूमि और मिट्टी सर्वेक्षण, बिजली तथा जल की व्यवस्था आदि जैसे प्रारम्भिक कामों के बारे में कार्यवाही शुरू की गई है;

(ख) 1968-69 तक लगभग 1.42 करोड़ रुपये; और

(ग) चौथी योजना काल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न उपस्करों की प्राप्ति और स्थापना के सहित, डाक और दूसरे सिविल, मैकेनीकल और समुद्री इंजीनियरिंग कार्यों के निर्माण पर विचार किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवावधि का बढ़ाया जाना

898. **श्री अदिचन :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार विशेषकर स्वायत्त कार्यालयों में उच्च पदाधिकारियों की वाधिक्य निवर्त्तन आयु जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 58 वर्ष है, और जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये यह आयु 55 वर्ष है पूरी हो जाने पर भी उनकी सेवावधि को बढ़ाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुछ वर्ष पूर्व वाधीक्य निवर्त्तन आयु के 55 वर्ष से 58 वर्ष तक बढ़ाये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले (एक) मंत्रालयों (दो) अन्य विभागों और (तीन) स्वायत्त कार्यालयों में ऐसे कितने अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाई गई है; और

(ग) युवक कर्मचारियों में इतनी अधिक बेरोजगारी और पदोन्नति के अवसरों के न होने के बावजूद उक्त सेवावधि को बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवावधि केवल लोकहित में बढ़ाई जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विरले तथा असाधारण परिस्थितियों में केवल लोक-हित में ही सेवावधि में ऐसी वृद्धि प्रदान की जाए सेवावधि के बढ़ाये जाने के लिए मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारित करने वाले अनुदेश जारी किये गये हैं।

(ख) पूछे गये आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 30-11-62 (जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वाधिक्य निवर्त्तन आयु बढ़ाकर 58 कर दी गई थी) से 31-10-65 तक की अवधि के दौरान श्रेणी—I और श्रेणी—II के अधिकारियों की संख्या, जिनकी सेवावधि बढ़ाई गई, क्रमशः 177 और 82 थी। 1966 और 1967 में 228 श्रेणी—I के अधिकारियों की तथा 93—श्रेणी—II अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाई गई।

सहायक अधीक्षकों के पदों के लिये 1959 में हुई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण बचे हुए उम्मीदवारों को नियुक्त करना

899. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 9 मई, 1961 को संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कई संसद् सदस्यों के साथ सहायक अधीक्षकों (आर० टी० ई०) के पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1959 में ली गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के बचे हुए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था और श्री शास्त्री ने यह वचन दिया था कि 1959 वाली परीक्षा के बचे हुए सब उम्मीदवारों को भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त कर दिया जायगा और 10 मई, 1961 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स," में यह निर्णय प्रकाशित भी हुआ था ;

(ख) यह भी सच है कि उस समय 55 प्रतिशत अंकों की सीमा का भी कोई प्रश्न नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं और 1959 की परीक्षा में उत्तीर्ण बचे हुए उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे तो उन्होंने 9 मई, 1961 को संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में संसद् सदस्यों से सहायक अधीक्षक (आर० टी० ई०) के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1959 में ली गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के बचे हुए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था। उस बातचीत में उन्होंने केवल इतना कहा था कि वे कोई मध्य मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। पूर्वानुमानित रिक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया था कि 1959 और 1960 की परीक्षाओं के बचे हुए व्यक्तियों को जिन्होंने 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, 1-10-62 से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि में नियुक्त कर दिया जाय। तदनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 में 1959 और 1960 की परीक्षाओं के बचे हुए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्त के लिये एक व्यवस्था की गई थी। 1959 की परीक्षा के 35 तथा 1960 की परीक्षा के 59 बचे हुए व्यक्तियों को जिन्होंने 55 प्रतिशत या उसके अधिक अंक प्राप्त किये थे, पांच वर्ष की अवधि के दौरान अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया।

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

900. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 735 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार केरल के मुख्य मंत्री को अपने उस वक्तव्य को, जो भारत के संविधान के उन मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण कार्य-संचालन की व्यवस्था है, वापिस लेने के लिये क्यों नहीं कहती ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : गृह मंत्री ने केरल के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें 8 जनवरी, 1969 को त्रिवेन्द्रम में उनके भाषण और संवैधानिक कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में उनके तथा श्री ए० के० गोपालन के वक्तव्य से उत्पन्न महत्वपूर्ण विवादों पर विचार-विमर्श के लिये, दिल्ली आने का निवेदन किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल अध्यापकों की शिकायतें

901. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के अध्यापकों ने संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों की प्रमुख बातें क्या हैं ;

(ग) उनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। उनका सम्बन्ध मुख्यत: निम्नलिखित बातों से है ।

(1) वेतन मानों में संशोधन

(2) आवास तथा चिकित्सा व्यवस्था जैसी सुविधायें

(3) नियुक्तियां, छुट्टी, वेतन निर्धारण, पेंशन आदि जैसे आम सेवा संबंधी मामले और

(4) तबादले ।

इन अभ्यावेदनों को सम्बन्धित संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दिया गया है जो मूलत: इनसे सम्बन्धित हैं।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

902. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री रघुवीर सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की आर्थिक स्थिति में हुए सुधारों को देखते हुए दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में पर्यटन-स्थलों का विकास

903. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की सीमाओं के अन्तर्गत पर्यटन-स्थलों का विकास करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). नई दिल्ली के परिवेश में हरियाणा राज्य के सूरज कुण्ड और बकल झील जो नई दिल्ली से क्रमश 15 कि० मी० और 28 कि० मी० की दूरी पर स्थिति हैं, दो ऐसे रमणीक स्थान हैं जिनका पर्यटन-स्थलों के रूप में विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने बदकल झील पर एक केफे, एक लिंक रोड, फलोटिंग जेटियों, विद्युत संस्थापनों और एस्टेट सेवाओं के लिये 2.35 लाख रुपये की राशि का योगदान किया है। केन्द्रीय सरकार ने सूरजकुण्ड में 1.52 लाख रुपये के लागत से एक रेस्टोरेण्ट का निर्माण भी किया है और उक्त स्थान पर एक मण्डप, एक कार पार्क, पीने के पानी की व्यवस्था और प्राकृतिक दृश्य योजना (लेण्ड स्केपिंग) के लिये 93,000 रुपये के अतिरिक्त राशि का योगदान भी दिया है । चौथी पंचवर्षीय योजना में बदकल झील पर प्राप्त सुविधाओं के विस्तार के लिये एक लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इन दोनों स्थलों से सम्बन्धित स्कीमें हरियाणा राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाई और कार्यान्वित की गई हैं ।

तेलंगाना आन्दोलन तथा बंगाल बन्द के कारण हुई हानि

904. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना आन्दोलन और 10 अप्रैल, 1969 को बंगाल बन्द के

कारण केन्द्रीय सरकार को हुई वित्तीय हानि का हिसाब लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि का मुख्य ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). संबंधित प्राधिकारियों से सूचना अभी तक प्रतीक्षित है ।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना

905. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री पन्नालाल बारुपाल :
श्री हेम राज :
श्री अदिचन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रा० बरुआ :
श्री क० लकप्पा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री शारदा नन्द :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री स० कुण्डू :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां और विशेषाधिकार समाप्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय गृह-मंत्री द्वारा भूतपूर्व शासकों से इस बारे में मैत्रीपूर्ण समझौते के लिये की गई बातचीत असफल रही है और इस मामले को उप-प्रधान मंत्री को सौंपा गया है ;

(ग) भूतपूर्व शासकों से की गई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस मामले को हल करने में असमान्य विलम्ब के क्या कारण हैं और यह मामला कब तक हल हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जैसा कि इस सभा में पहले ही बताया जा चुका है सरकार भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने का पहले ही निर्णय कर चुकी है । इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). उप-प्रधान मंत्री नरेशों से बातचीत द्वारा इस मामले को हल करने में सहायता कर रहे हैं। नरेशों से अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है।

(घ) इस प्रकार के मामलों को हल करने के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

गृह-कार्य मंत्री का संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार-विमर्श

906. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हेम राज :
श्री जय सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रघुवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1969 में उन्होंने नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों में बातचीत हुई और क्या निर्णय किये गये ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग तथा उसके अध्ययन दल की सिफारिशों पर बैठक में व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया गया है। सम्पूर्ण मामला अभी सरकार के परीक्षाधीन है।

केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के लिये एक अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन

907. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० की० बिड़ला :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रणजीत सिंह :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूरज भान :
श्री ई० के० नायनार :
श्री जय सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन सुधार आयोग द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों हेतु संविधान के

अनुच्छेद 263 के अनुकरण में एक अन्तर्राज्यीय परिषद् के गठन सम्बन्धी सुझाव पर विचार किया है ;

(ख) क्या ऐसा ही सुझाव भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के भूतपूर्व निदेशक श्री बी० के० एन० मेनन ने भी हाल ही में शिमला में आयोजित हुई एक गोष्ठी में दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ग). संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की सरकार जांच कर रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती

908. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती किये गये अनुसूचित आदिम जातियों के सभी अभ्यर्थी असम राज्य के थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा वे किस जिले के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	अभ्यर्थियों के नाम	अभ्यर्थी के जिले का नाम
1.	पचुआऊ रोहमिंगथंगा	मिजो
2.	दिलीप सिंह	खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां
3.	जेम्स माइकेल लिंगडोह	खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां
4.	एच० आर्थर डोइड साविजान	खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां
5.	सौडसेक मारवीन	खासी तथा जैंतियां पहाड़ियां

अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की नियुक्ति

909. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुसूचित आदिम जाति के जिन उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय वन सेवा और प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में वर्षवार नियुक्त किया था, उनके नाम क्या थे और वे किस राज्य के थे ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई मौखिक परीक्षा में अनुसूचित आदिम जाति के अधिकांश उम्मीदवार असफल रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित आदिम जाति के औसतन कितने उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में असफल हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1368/69**]

(ख) जी नहीं, श्रीमान्, क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षा के लिये कोई न्यूनतम अर्ह अंक निर्धारित नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इम्फाल के निकट ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा स्थापित कालिज

910. **श्री उमानाथ** : **श्री पी० पी० एस्थोस** :
श्री गणेश घोष : **श्री प० गोपालन** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा इम्फाल के निकट कालिज स्थापित करने के लिए बहुत अधिक धनराशि और भवन निर्माण सम्बन्धी सामान लाने की अनुमति दिए जाने के कारणों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक जानकारी एकत्रित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । सूचना सदन के सभा-पटल पर रखे जाने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजी गई है । तथापि, सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विदेश से बैंकों के माध्यम से देश के भीतर जाने वाले प्रेषित धन को प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उपयुक्त सम्बन्ध प्राधिकारियों के विवेकाधिकार के अधीन भवन-सामग्री के आयात के लाइसेंसों की स्वीकृति मुख्यत: इसलिए दी गई थी कि वे ऐसे उपहार थे जिनमें विदेशी मुद्रा को देश से बाहर नहीं जाना था तथा एक शैक्षिक संस्थान के लिए ही थे। संबंधित विनियमों के अन्तर्गत विदेश से प्राप्त धनराशि अथवा उपहार की वस्तुओं के उपयोग के क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा अभी तक कालेज अधिकारियों का कोई सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सेनाओं की गतिविधियों पर निगरानी

911. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे ऐच्छिक संगठनों और सेनाओं की गतिविधियों पर निगाह रखे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की उस सिफारिश की ओर, कि विभिन्न दलों के बीच घृणा और शत्रुता उत्पन्न करने वाली सेनाओं जैसे संगठनों के विरुद्ध कारगर तथा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। कई राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब कभी आवश्यक होगा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय युवक मण्डल

912. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय युवक मंडल स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). युवक सेवाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन

913. **श्री हेम बरुआ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में हाल ही में दिल्ली में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाषा का माध्यम क्या था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधि भूतपूर्व विद्यार्थी नेता थे जिनका राजनीति से सम्बन्ध सर्वविदित था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषायें ही अभिव्यक्ति का माध्यम हैं।

(ग) जी नहीं। अधिकांश प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघों के वर्तमान पदधारी हैं। उनमें से कुछ तथा दो अथवा तीन भूतपूर्व विद्यार्थी नेताओं के दृढ़ राजनैतिक विचार हैं परन्तु सम्मेलन में उनको शामिल करने की यह कसौटी नहीं थी।

तेलंगाना आन्दोलन

914. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री एस० आर० दामानी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री प्र० के० देव :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री मीठालाल मीना :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० रमानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तेलंगाना के लोगों की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्र की उस समय विद्यमान आर्थिक क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल, 1969 के प्रारम्भ में प्रधान मंत्री ने राजनैतिक स्तर पर तथा तेलंगाना खण्ड और आन्ध्र क्षेत्र के नेताओं के साथ लगातार कई बार विचार-विमर्श किया जिसका उद्देश्य तेलंगाना में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा विकास की गति में तीव्रता लाने के लिये रचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा आंध्र प्रदेश के सभी भागों का व्यापक विकास करने के लिये परिस्थितियों का निर्माण करना था। 11 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में दिये गये एक वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने विभिन्न ठोस उपायों की घोषणा की थी और उन्हें कार्यरूप दिया जा रहा है। तेलंगाना के लोगों के पक्ष में सार्वजनिक रोजगार के मामले में समुचित संवैधानिक रक्षोपायों की व्यवस्था करने की संभाव्यता के बारे में सलाह देने के लिये नियुक्त जूरिस्ट समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो इस समय विचाराधीन है। तेलंगाना की फ़ालतू राशियों का निर्धारण करने के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जस्टिस वशिष्ट भार्गव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति, ऐसी आशा है, अपना प्रतिवेदन अगस्त, 1969 के अन्त तक दे देगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार पहले ही एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति गठित कर चुकी है जिसके अध्यक्ष आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और सदस्य योजना आयोग का एक सदस्य, तेलंगाना क्षेत्र के आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य (मंत्री) तथा तेलंगाना के लिये प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति की पहली बैठक 26 जून, 1969 को हुई थी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर योजना क्रियान्विति समिति भी गठित की गई है जिसकी पहली बैठक यथाशीघ्र होगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से प्रभावित राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार समितियां विचार कर रही हैं।

7 तथा 8 जून, 1968 को जब गृह-कार्य मंत्री हैदराबाद में ठहरे, तो उन्होंने अपना अधिकांश समय विभिन्न वर्गों के लोगों, विभिन्न संगठनों जिसमें तेलंगाना प्रजा समिति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य, स्थानीय निकायों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा लोकमत के अन्य नेता शामिल हैं, के साथ बातचीत करने में बिताया था। तेलंगाना में व्याप्त स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये और सुझाव दिये गये थे। इन समस्याओं की अविलम्बनीयता को महत्व देते हुये उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वे गम्भीर तथा जटिल हैं और उन पर सही रूप से सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये उन्होंने अनुरोध किया कि आन्दोलन सम्बन्धी सभी गतिविधि बन्द की जानी चाहिए और तेलंगाना के लोगों की सामान्य हालत सुनिश्चित करनी चाहिये जिनमें, नेताओं से और आगे परामर्श करने के बाद, उनकी समस्याओं का उचित हल निकाला जा सकता है।

तेलंगाना समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा तेलंगाना क्षेत्र के नेताओं आदि के साथ और आगे विचार-विमर्श हुआ है। हाल में राज्य मंत्रि-

मंडल का पुनर्गठन किया गया है जिसमें तेलंगाना के सदस्य को उप मुख्य मंत्री बनाया गया है : आशा है कि नया मंत्रिमंडल तथा अन्य सम्बन्धित लोग स्थिति को सामान्य बनाने के लिये समुचित कार्यवाही करेंगे और एक सर्वसम्मत हल ढूंढने के लिये वातावरण तैयार करेंगे। यह सन्तोष की बात है कि तेलंगाना की अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है जिससे स्थिति सामान्य होने में मदद मिली है।

(ख) योजनाएं बनाने में और अधिक अच्छे प्रादेशिक सन्तुलनों के उद्देश्य प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, नई चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में योजना आयोग ने राज्यों से उन्हें सुझाये गये विकास के सूचकों के आधार पर राज्य में निश्चित रूप से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के प्रश्न का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है, उनसे स्थानीय क्षमताओं, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिये योजनाएं बनाने का भी अनुरोध किया गया है। हाल ही में, राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये किये जा सकने वाले उपायों की जांच करने के लिये योजना आयोग ने दो कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं। आशा है कि योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कार्य करेगा। तेलंगाना विकास समिति जिसका कृत्य तेलंगाना से सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति का पुनरीक्षण करना है, वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में सहायक होगी।

कर्मचारियों द्वारा धरना

915. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के स्थायी कर्मचारी चंडीगढ़ सचिवालय के निकट धरना दे रहे हैं और उनमें से कुछ कर्मचारियों ने संसद् भवन के सामने भी धरना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाना से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की तुलना में स्थायी कर्मचारियों की स्थिति अलाभप्रद है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पंजाब और हरियाना से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते पंजाब और हरियाना सरकारों द्वारा समय-समय पर बढ़ाये गये हैं और इस प्रकार उनके वेतनमान और भत्ते स्थायी कर्मचारियों से अच्छे हैं ; और

(ङ) क्या एक ही प्रशासन में काम कर रहे दो श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच विद्यमान असमानता को दूर करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने जिन्हें किसी भी उत्तरवर्ती राज्य में नियुक्त नहीं किया गया था, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के निकट धरना दिया था और उनमें से कुछ कर्मचारियों ने नई दिल्ली में कृषि भवन के पीछे बोट क्लब के निकट धरना दिया था। उनकी मुख्य मांगे हैं—(एक) पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंजाब सरकार की भांति वेतन-मानों का पुनरीक्षण (दो) राज सहायता-प्राप्त दरों पर रिहायशी प्लाटों और किराया-खरीद प्रणाली पर मकानों की बिक्री।

2. जहां तक वेतनमानों का सम्बन्ध है इस मामले पर विचार किया जा रहा है। निम्न वेतन प्राप्त कर्मचारियों को उचित दरों पर रिहयशी प्लाटों की बिक्री के सम्बन्ध में योजना तथा कर्मचारियों को किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर तैयार मकानों को बेचने के प्रस्ताव पर भी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

3. उन कर्मचारियों को जो पंजाब तथा हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ प्रशासन में हैं, उनके मूल राज्यों द्वारा पुनरीक्षित नये वेतन क्रमों के अनुसार वेतन-मान दिये जाते हैं जो काफी हद तक प्रशासन के अप्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के वेतन-मानों से अधिक हैं।

चंडीगढ़ में किराया नियन्त्रण

917. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ किरायेदार संघ ने राज्य में रिहायशी मकानों और वाणिज्यिक संस्थाओं के बढ़ते हुए किरायों को नियंत्रित या कम करने का सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई हैं और ज्ञापन किस तारीख को दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। चंडीगढ़ किरायेदार संघ की ओर से एक अभ्यावेदन चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त को दिया गया था।

(ख) मामले पर विचार किया गया किन्तु यह अनुभव किया गया कि चूंकि तत्कालीन पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था, कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 1959 से 25 वर्ष की अवधि तक किरायों में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा और चूंकि ऐसे प्रतिबन्ध से शहर के विकास में रुकावट पैदा होने की सम्भावना है अतः किरायों पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न छोड़ दिया गया।

(ग) यह मांग की गई थी कि किराया नियन्त्रण कानून बनाया जाय और 1965 में प्रचलित किरायों के आधार पर भवनों का उचित किराया नियत कर दिया जाये। उक्त अभ्यावेदन 28-9-1968 को प्रस्तुत किया गया था।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

918. **श्री यशदत्त शर्मा :**
श्री जयसिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) इस मामले में अपनाये गये आन्दोलनात्मक रवैये के कारण दोनों राज्यों में कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को शीघ्रता से हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार कोई निश्चित तारीख बता सकती है जब इस मामले का वह हल निकाल लेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ग) और (घ). इस विवाद को यथाशीघ्र हल करने के लिये प्रयत्न जारी है लेकिन मामले की जटिलता को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले के कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Irregularities in Accounts of Welfare Association of Sector II, R. K. Puram, New Delhi

919. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any irregularity was detected in the accounts of the office bearers of the Welfare Association of Sector II, Ramakrishna Puram, New Delhi since the date of its inception ;

(b) if so, the nature thereof and the action taken by the Welfare Officer of his Ministry in this connection ; and

(c) whether it is also a fact that the grants provided for the Welfare of the residents of the above Colony were not utilised properly and the office-bearers of the Association have neither shown their accounts to his Ministry nor to the residents of the Colony ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. Accounts upto 1967-68 have been rendered to this Ministry after adoption by the general body of the Association.

Administrative Reforms Commission Chairman's Statement

920. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri K. Hanumanthaiya, Chairman, Administrative Reforms Commission, that the worst evil of Indian politics is that the Chief Ministers of States want to stick to their offices by some way or the other, and for this they try to expand the Cabinet with a view to attract the legislators ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that the Administrative Reforms Commission have recommended that the total strength of the Central Cabinet and State Cabinets, except of some big States, should not exceed 16 and 10 respectively ; and

(d) whether Government propose to give effect to the above recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) This is a remark made by Shri K. Hanumanthaiya in a speech and it is not a recommendation of the Administrative Reforms Commission. No action on it is therefore required of Government.

(c) The Commission in its report on the Machinery of the Government of India and its procedures of work has recommended that the number of Ministers in the Union Cabinet should be 16, including the Prime Minister. The Commission has not yet submitted its report on State Level Administration.

(d) The report of the Commission is under examination.

Administrative Reforms Commission in Madhya Pradesh

921. **Shri Ram Avtar Sharma :**

Shri B. K. Das Chowdhury :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Government of Madhya Pradesh have recently constituted an Administrative Reforms Commission for the State ;

(b) if so, the reaction of Central Government in regard thereto and whether Government feel that the Administrative Reforms Commission being appointed in the States are an unnecessary burden on the resources of the country because an Administrative Reforms Commission is already functioning at the Centre by which the entire administrative structure of the country is to be examined ; and

(c) if so, whether Government have advised or propose to advise the State Governments not to appoint such Commissions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The setting up of such a Commission is a matter which falls within the jurisdiction of the State Government.

(c) No, Sir.

बाल भवनों की स्थापना

922. **श्री समर गुह :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हुचे गौडा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू स्मारक न्यास के तत्वावधान में प्रत्येक राज्य में बाल भवनों की स्थापना करने की योजना क्रियान्वित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां बाल भवनों की स्थापना की जा चुकी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). न्यास के प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों का पुनर्वितरण

923. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **गृह कार्य** मंत्री पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वितरण के बारे में दिनांक 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वितरण का कार्य शेष विभागों में भी इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय के कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पुनर्गठन का प्रक्रिया में अन्तर्गस्त 57 विभागों में से तीन विभागों के कर्मचारियों के आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) इन विभागों में काम करने वाले समस्त कर्मचारी वर्ग को पहले चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात उक्त कर्मचारी वर्ग को सभी उत्तराधिकारी राज्यों में आवंटित करने का निर्णय किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

(ग) काम के शीघ्र पूरा किये जाने की आशा है।

Kashi Vidyapith, Varanasi

924. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have submitted a memorandum to him in regard to Shri Kashi Vidyapith, Varanasi;

(b) whether it is also a fact that some Members of Parliament have sent a memorandum also to the Prime Minister in regard to the said Vidyapith;

(c) if so, the details of both the memoranda;

(d) whether Government have considered them and if so, the decision taken thereon; and

(e) if not the reasons for the delay?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. An identical memorandum was submitted to the Prime Minister also.

(c) to (e). A statement giving the position with regard to the points raised in the memorandum is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1369/69]**

Attachment Warrant against an M. P.

925. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Attachment Warrant has been issued against a Member of Parliament who had been arrested in connection with the strike of the Government employees on the 19th September, 1968 in Danapur, District Patna;

(b) whether it is also a fact that the police officials are harassing his family members;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the reasons necessitating the issuance of an Attachment Warrant against the said M. P. instead of arresting him in the face of the fact that he has not gone underground; and

(e) whether Government would prevent the Police officials from harassing his family members by arresting him or by cancelling the Attachment Warrant issued against him?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (e). Facts are being ascertained from the Bihar Government.

Theft of Gold Dome from Tomb at Maner, Patna

926. **Shri Ram Avtar Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the night of the 11th-12th February, 1969, the gold dome was stolen from the Tomb of Hazarat Makhadoom Shah Doulat situated at Maner in Patna District ;

(b) if so, whether any action was taken by Government in this regard ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the results achieved so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) The Kalas and Punja fixed at the dome of the Tomb of Hazarat Makhdoom Shah Doulat at Maner, Patna, and not the dome as such, were stolen by miscreants. The miscreants used a ladder belonging to the Archaeological Survey to reach the Kalas and then cut the Kalas by a saw-blade.

(b) to (d). A report was lodged with the appropriate authorities on the same day. The matter is under investigation.

एन० आई० एस० प्रशिक्षकों को रोजगार

927. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल कूद संस्था के उन प्रशिक्षकों को रोजगार देने का आश्वासन दिया है जिन्हें उपयुक्त नौकरियां नहीं मिल सकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । परन्तु इसके लिये प्रयत्न किए जाते हैं और विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय खेल कूद कार्यक्रम के चालू किये जाने से इन प्रशिक्षकों को रोजगार मिलेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खेलकूद विकास कार्यक्रम

928. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के० सी० प्रभु तथा श्री टी० डी० रंगा रामनुजम ने देश में खेल कूद

तथा खेलों का विकास करने के लिये पंचवर्षीय कार्यक्रम तथा खेलकूद के लिए एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के दो सदस्यों द्वारा तैयार की गई एक सुझावात्मक योजना में देश में ग्राम स्तर से खेलों के विकास का सुझाव है । अन्य स्तर स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय हैं ।

(ग) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद ने राज्यों की खेल परिषदों और राष्ट्रीय खेल संघों से इस रिपोर्ट के बारे में सुझाव मांगे हैं । परिषद द्वारा अपनी सिफारिशों को भेज देने के बाद सरकार उसपर विचार करेगी ।

कलकत्ते में पर्यटन यातायात को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्ताव

929. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में उनके पास कोई विशेष प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने उन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और राज्य का सहयोग प्राप्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). कलकत्ता में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बातचीत की गई है । चौथी योजना के दौरान कलकत्ता में पर्यटकों के लिये सुविधाएं बढ़ाने और उनमें सुधार करने का प्रस्ताव है । डमडम हवाई अड्डे पर उसके लिये एक नया भवन बनाया जा रहा है । पूर्वी क्षेत्र के स्थानों जैसे कोणार्क और काजीरंगा स्थानों पर पर्यटकों के आकर्षण बढ़ाये जा रहे हैं, जिससे कलकत्ता में भी वे अधिक संख्या में आयेंगे । कलकत्ता में छः नये होटलों की परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है । इनसे वहां के होटलों में 1,000 अधिक व्यक्ति रह सकेंगे ।

एक परियोजना के लिये 25 लाख रुपये की मंजूरी दे दी गई है और इसमें से 20 लाख रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं । कलकत्ता में एक युवक होस्टल स्थापित करने का भी प्रस्ताव

है। दुर्गापूजा के दौरान कलकत्ता में एक मेले का आयोजन करने का प्रस्ताव है। इसमें नृत्य नाटक तथा संगीत आदि के विशेष कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और केन्द्र ने इसके लिये वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। पहला मेला इस वर्ष अक्तूबर में आयोजित करने का विचार है।

व्यावसायिक सरकारी सेवाओं के संगठन की बैठक

930. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा संघ ने विशिष्ट सेवाओं पर भारत प्रशासन सेवा के अधिकारियों का नियंत्रण कम करने के मार्गोपायों पर बातचीत करने के उद्देश्य से शिक्षा, पुलिस तथा इंजीनियरी सेवाओं समेत व्यावसायिक सरकारी सेवाओं के संगठन की बैठक आयोजित करने का मई, 1969 में निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसे किसी सम्मेलन के आयोजित किये जाने के बारे में सरकार को कोई खबर नहीं है।

नये होटलों के निर्माण कार्य के लिये उचित स्थानों की व्यवस्था

931. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों तथा रेस्तराओं के सम्मेलन ने नये होटलों के निर्माण कार्य के लिये विभिन्न नगरों में उचित स्थान अलाट करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। अप्रैल, 1969 में जयपुर में हुए नवें अखिल भारतीय होटल व रेस्टोरेंट सम्मेलन में ऐसा संकल्प पारित किया गया था।

(ख) होटलों के निर्माण के लिये रियायती दरों पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को सरकार समझती है। दिल्ली में इस आशय से कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। होटल व्यवसाय ने इसी प्रकार की कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है।

अपर डिवीजन लिपिक वर्ग की परीक्षा का बहिष्कार

932. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ ने सरकारी कर्मचारियों को अपर डिवीजन लिपिक वर्ग की परीक्षा का बहिष्कार करने के लिये कहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कई हजार लोअर डिवीजन क्लर्क आठ वर्ष की सेवा के पश्चात अपर डिवीजन ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र थे तथा उनमें से दस वर्ष से अधिक सेवा वाले क्लर्कों को भी अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमों, 1962 के अनुसार अपर डिवीजन ग्रेड में रिक्तियों का 50 प्रतिशत लोक संघ सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी प्रथम परीक्षा दिसम्बर, 1969 में ली जाने के लिये अधिसूचित की गई है। केन्द्रीय सरकार क्लर्क यूनियन ने जो अब मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार को अप्रैल, 1969 में सूचित किया था कि उनकी जनरल परिषद ने परीक्षा का बहिष्कार करने का फैसला किया है तथा तदनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेना के सभी लोअर डिवीजन क्लर्कों को उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार करने के लिये कहा है। 1-1-68 को 8-10 वर्ष की सेवा वाले 391 लोअर डिवीजन क्लर्क और 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले 5272 लोअर डिवीजन क्लर्क थे। कम से कम 8 वर्ष की सेवा वाले स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क ही पदोन्नति के पात्र हैं। चूंकि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा करने का विचार अपर डिवीजन में पदोन्नति के लिये लोअर डिवीजन क्लर्कों में से होशियार युवकों को छांटना है, सरकार ने फैसला किया है कि अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ली जाये।

केन्द्रीय सेवाओं में कोटे के आधार पर भर्ती

933. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सचिवालय में कुछ सामान्य सेवाओं में कोटा प्रणाली के आधार पर विभिन्न राज्यों से भर्ती की जानी चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि इन पदों पर भर्ती समिति अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ पदों पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भर्ती के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों के लिये किसी कोटे का सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ख) 'कर्मचारी प्रशासन' विषयक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) उक्त प्रतिवेदन परीक्षाधीन है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध

934. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री रा० की० अमीन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल में जो अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है उसमें उसने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग के 'कर्मचारी प्रशासन' सम्बन्धी प्रतिवेदन में सिफारिश संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा धरना

935. **श्री को० सूर्य नारायण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सेनानियों ने अपनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के उद्देश्य से मई 1969 प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के बाहर धरना दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उनकी मांगें 1954 में बोर, हिसार में उनको बांटी गई भूमि के स्वाम्याधिकार

देने के लिये थी। हरियाणा सरकार ने स्थल पर प्रत्येक मामले की जांच करने तथा पट्टे की शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को स्वाम्याधिकार देने के लिये एक अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है।

बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी बीमा

936. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० रा० सिंह देव :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुए विद्यार्थी नेताओं के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था करनी चाहिये ;

(ख) क्या उस सम्मेलन में कोई अन्य सुझाव भी दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को बेरोजगारी के लिये भत्ता प्रदान करना चाहिये।

(ख) और (ग). सम्मेलन में दिये गये अन्य सुझाव सम्मेलन की रिपोर्ट की प्रतियों में दिये गये हैं जो कि संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है।

(घ) सरकार शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के लिये सचेत है और इस स्थिति को सुलझाने के लिये जो भी सम्भव है उसे करने की कोशिश कर रही है।

सैनिक विज्ञान, खेलकूद जैसे अनिवार्य विषयों का प्राइमरी स्तर से आरम्भ किया जाना

937. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक विज्ञान, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षण के विषयों को अनिवार्य विषयों के रूप में प्राइमरी स्तर से आरम्भ करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या किसी राज्य में इस प्रकार की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम तय करना राज्य सरकार का कार्य है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को भेजी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बातें हैं :

(1) नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों की भावना जागृत करना।

(2) बड़े पैमाने पर खेलों का विकास ताकि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और सामान्य विद्यार्थियों तथा अच्छे खिलाड़ियों में खेल में रुचि उत्पन्न की जा सके।

(2) सैनिक विज्ञान को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिये राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। स्कूल के स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों का राज्य सरकार निर्णय करती है। विश्वविद्यालय स्तर पर विषयों का निर्णय करने का कार्य विश्वविद्यालयों का है। ऐसी आशा है कि ये शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखेगी। राष्ट्रीय नीति में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि सैनिक विज्ञान आदि विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जायें।

छोटे मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

938. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा छोटे मंत्रिमंडलों के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार करने के लिये हाल ही में संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशों के बारे में मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के छोटे मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश समेत प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर विचार किया। इस पर आम मतैक्य था कि छोटे मंत्रिमंडलों से सम्बन्धित सिफारिश व्यवहार्य नहीं है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और उनकी परीक्षा की जा रही है।

विद्यार्थियों के नेतृत्व के गुणों का विकास करने के बारे में कार्यक्रम

939. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कार्यक्रम कैसे हैं, उन्हें कौन सी एजेंसियां चला रही हैं तथा उन्हें कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या इस दिशा में कोई अतिरिक्त तथा प्रगतिशील उपाय करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों के विकास के लिये भारत सरकार कई प्रकार से अनेक कार्यक्रम चलाती है । इस बार में महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना दल; राष्ट्रीय सेवा तथा राष्ट्रीय खेल संगठन ।

(ख) आयोजन फोरमो से सम्बन्धित कार्य ।

(ग) स्काउटिंग तथा गाइडिंग ।

(घ) खेल कूद के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा वालों को अर्जुन पुरस्कार देकर मान्यता प्रदान करना ।

इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय उन विद्यार्थियों की सहायता करती है जो आभयानों, पर्वतारोहण और अन्य वाह्य कामों में नेतृत्व का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं ।

स्काउटिंग तथा गाइडिंग को प्रोत्साहन देना राज्य सरकारों का काम है । जहां तक अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है वह शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है ।

इस बारे में ठीक-ठीक सफलताओं को बताना बहुत कठिन है । सरकार मानती है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है ।

राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेल संगठन नये कार्यक्रम हैं और सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या इन योजनाओं के कुछ समय तक चलने के बाद, कोई अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है ?

चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों, नदी पत्तनों और शुष्क पत्तनों की स्थापना

940. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल और मैसूर राज्यों में छोटे पत्तन और गंगा की पट्टी पर नदी पत्तन और उत्तर भारत में शुष्क पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है ; और

(ग) इस कार्य में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). गंगा पर कोई नया नदी पत्तन के स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। विदेशी व्यापार और पूर्ति-मंत्रालय दिल्ली में सूखी गोदी बनाने के सुझाव पर विचार कर रहा है।

लघु पत्तनों के बारे में सूचना केरल और मैसूर सरकारों से एकत्रित की जा रही है क्योंकि बड़े पत्तनों के अलावा दूसरे पत्तनों के विकास की कार्यकारी दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों की है।

चौथी योजना में छोटे, मध्यम और बड़े बन्दरगाहों की स्थापना

941. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले छोटे, मध्यम और बड़े बन्दरगाहों के नाम और उनकी संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि के खर्च होने का अनुमान है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई नई बड़ी बन्दरगाह (मंगलौर और तूतीकोरिन को छोड़कर जिनका पहले से ही बड़ी बन्दरगाहों के रूप में विकास किया जा रहा है) स्थापित करने का विचार नहीं है।

जहां तक बड़ी बन्दरगाहों से भिन्न बन्दरगाहों का सम्बन्ध है, उनके बिकास की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। आन्ध्र प्रदेश, पांडीचेरी, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन ने सूचना दी है कि कोई नई बड़ी बन्दरगाह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा, केरल, मैसूर और गोआ, दमन तथा दीव की सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये कार्यक्रम

942. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में देश में छोटी बन्दरगाहों का विकास करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन बन्दरगाहों का विकास किये जाने की सम्भावना है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितनी लागत लगेगी ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). बड़ी बन्दरगाहों को छोड़ अन्य बन्दरगाहों के विकास की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार छोटी बन्दरगाहों के विकास सम्बन्धी विशिष्ट योजनाओं की क्रियान्वित के लिये जहां भी आवश्यकता होता है या आवश्यक समझा जाता है, तकनीकी सहायता देती है और दीर्घकालीन ऋण भी देती है।

2. छोटी बन्दरगाहों की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये 1969-70 के लिये 1 करोड़ रु० का उपबन्ध है। योजनाओं को जारी रखने के लिये निम्न ऋण दिये गये हैं :

			रु० लाखों में
केरल :	नीन्दाकारा का विकास	..	10.791
महाराष्ट्र :	मिरया खाड़ी पर लहरों के टकराव को रोकने के लिये बांध का निर्माण		8.650
गुजरात :	पोरबन्दर का विकास	..	11.129
			30.570

छोटी बन्दरगाहों की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये अग्रेतर ऋण वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार किये गये व्यय के आधार पर दिये जायेंगे ।

3. इसके अतिरिक्त सरकार ने, 1969-70 के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह में छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिये तथा छोटी बन्दरगाहों में तल की सफाई और सर्वेक्षण संगठन के लिये निम्न उपबन्ध किया है :

		रु० लाखों में
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह		110.00
लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप-समूह	..	20.00
छोटी बन्दरगाहों के तल की सफाई और सर्वेक्षण संगठन के लिये उप-करणों की खरीद	..	65.00

1970-71 के लिये उपबन्ध यथासमय किया जायेगा ।

मृत्यु दण्ड समाप्त करना

943. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा आयोजित दण्ड विधियों तथा समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी गोष्ठी में मृत्यु दण्ड समाप्त करने तथा जमा-खोरों, काला बाजार करने वालों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध बनाये गये कानूनों को अधिक कड़ा करने के समर्थन में राय व्यक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा आयोजित 'दण्ड विधि तथा समसामयिक परिवर्तनों' सम्बन्धी गोष्ठी के अध्ययन दल ने जिसने 'अपराध तथा दण्ड' विषय का अध्ययन किया, मृत्यु-दण्ड को समाप्त करने की सिफारिश की थी । किन्तु यह सिफारिश गोष्ठी के सामान्य अखिल अधिवेशन द्वारा बहुमत से अस्वीकार कर दी गई ।

गोष्ठी ने सिफारिश की है कि सफेदपोश अपराधियों को (जिस श्रेणी में जमाखोर, काला बाजार करने वाले तथा मुनाफाखोर सम्मिलित हैं) कड़ी सजा दी जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अपराधों से सम्बन्धित विशेष कानूनों में सिद्ध दोष के मामले में दी जाने वाली कम से कम सजा निर्दिष्ट की जाय।

(ख) सफेद पोश अपराधियों को कड़ी सजा दिए जाने के बारे में गोष्ठी की सिफारिश पर गोष्ठी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा की जायगी।

Education for Boys and Girls

944. **Shri Nihal Singh :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the percentage of boys and girls, separately, who get their education in primary schools and secondary schools in each State ;

(b) the reasons for disparity in the percentage of education of the boys and girls ; and

(c) the scheme which Government propose to implement to encourage the education of girls ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The information is given in Annexure I. **[Placed in Library. See No. LT-1369/69]**

(b) The disparity is mainly due to social and economic causes.

(c) It is the responsibility of the State Governments to take the necessary steps to bridge the gap in the enrolment of boys and girls at the primary stage and to promote the expansion of the education of girls at the secondary stage as largely as possible. There is no Centrally-sponsored scheme under which the Centre can assist the State Governments in this programme. However, it is proposed to introduce pilot projects in a few selected areas where an intensive effort will be made to secure full enrolment of girls at the primary stage.

Free and Compulsory Education

945. **Shri Nihal Singh :**
Shri K. D. Tripathi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) when Government propose to make education free and compulsory for the boys and girls upto the age of 14 years ; and

(b) the reasons for which it has been delayed so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Government of India have no proposal in this regard as this is a State subject.

(b) The main reason for the delay is the lack of financial resources.

राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों की मांग

947. **श्री राम चरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मई, 1969 में मुख्य मन्त्रियों की बैठक में मुख्य मन्त्रियों ने अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों की मांग की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त बैठक में मंत्रालयों के आकार तथा उनमें काम करने वाले अधिकारियों के वेतनमानों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में मई, 1969 में मुख्य मन्त्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

इलाहाबाद में एक हरिजन नेता की हत्या

948. **श्री राम चरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक पुलिस अधिकारी ने 6 मई, 1969 को श्री राम किशन नामक एक हरिजन नेता को गोली से मार दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 7-5-1969 को (न कि 6-5-1969 को) इलाहाबाद में एक पुलिस अधिकारी को श्री राम किशन पर गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया और बाद में मर गया । यह घटना तब घटी जब कि इलाहाबाद नगर महा-पालिका का विध्वंस दस्ता पुलिस दल को साथ में लिये हुए यथाचित प्राधिकार के साथ श्री राम किशन द्वारा निर्मित कुछ दुकानों को विध्वंस कर रहा था । इस इमारत के बारे में लम्बा झगड़ा था और इलाहाबाद के आयुक्त ने श्री राम किशन के खिलाफ निर्णय दिया था । विध्वंस आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात श्री राम किशन उस स्थल पर पहुंचा और अपने भवन के एक भाग का विध्वंस जलकर वह बहुत उत्तेजित तथा हिंसात्मक मनोवृत्ति वाला हो गया और विवेकशून्य होकर गोली चलाना आरम्भ कर दिया । उसके विवेकशून्य गोली चलाने के परिणामस्वरूप महापालिका का एक ओवरशियर गम्भीर रूप से घायल हो गया । ये परिस्थितियां भी जिनके अधीन पुलिस अधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ा । चूंकि पुलिस अधिकारी ने स्वयं अपने महापालिका विध्वंस दस्ते के व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो श्री राम किशन के विवेकशून्य गोली चलाने पर वहां एकत्रित हुए थे, के बचाव के लिये कार्यवाही की थी । अतः इस घटना की जांच को अन्तिम रिपोर्ट के साथ समाप्त कर दिया गया है ।

Opening of Schools/Colleges on National Mourning Day (5-5-1969)

949. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that when the country was mourning the death of the late President and the 5th May, 1969 was declared a closed day, certain schools/colleges under the Central Government and the Union Territories remained open as usual and work was done; and

(b) if so, the names of those institutions and the action being taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की मई, 1969 में हड़ताल

950. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री म० ला० सोंधी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बालमीकि चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० की० अमीन :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री के० रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री गार्डिलगन गौड :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहन सिंह ओबराय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मई, 1969 को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मागें क्या थीं और उनमें से कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि केवल गैर-तकनीकी कर्मचारियों ने ही हड़ताल में भाग लिया था ;

(ङ) एयरलाइन्स के विमान चलाने के कार्यक्रम पर हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा ; और

(च) सरकार को इसके कारण कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। बम्बई में 30 मई, 1969 को इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने हड़ताल की।

(ख) और (ग). बम्बई में ग्रेड 1 से 9 तक के नान-टेकनिकल वर्ग के कर्मचारी, और केबिन परिचारक जिनका कि प्रतिनिधित्व एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन करती है, यूनियन के अनुदेश पर 30 मई, 1969 की प्रातः से हड़ताल में शामिल हुए। अनुदेश में किसी विशेष शिकायत या मांग का जिक्र नहीं किया गया था। परन्तु समझौते की कार्यवाही के दौरान, यूनियन ने ये विषय उठाये :

1. श्री मिश्र, क्लीनर, से सम्बन्धित 137 रुपये की यात्रा भत्ते की वसूली।
2. ग्रेड 3/6 में मकैनिकों के पद की रिक्ति।
3. प्रवरता सूची की शुद्धि।
4. श्री मिराण्डा, केजुअल क्लीनर, की सेवा की समाप्ति।
5. वर्दी देने में विलम्ब।
6. प्रोग्रेस क्लीनरों को ड्यूटी भत्ता।
7. कटौतियों की वापसी।
8. यूनियन कर्मचारियों को नये टर्मिनल भवन में प्रवेश के लिये पास जारी करना।

इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों ने समझौते की कार्यवाही के दौरान 1,4 और 8वीं मांगें स्वीकार कर ली। दूसरी मांगें स्वीकार नहीं की गईं। विमानचालकों ने भी जिन्होंने कि 30 मई, 1969 की प्रातः से ही काम बन्द कर दिया था, कोई विवाद नहीं उठाया था, और न कोई नोटिस ही दिया था। परन्तु, विमानचालकों से बातचीत के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी मांगें निम्नलिखित थीं :

1. विमानचालक केवल एक सेवा चलाना चाहते थे जबकि वर्तमान पद्धति के अनुसार उन्हें सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ छोटे खण्डों पर दो सेवायें चलानी पड़ती हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों के अनुसार इसका अर्थ चालकों की उपलब्धियों में ऐसी वृद्धि करना होगा जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।
   प्रबन्धकों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।
2. ड्यूटी पर तैनात विमानचालकों को विमान में खाने के बजाय खाने का भत्ता मिलना चाहिये।
   प्रबन्धक इससे सहमत नहीं हुए।

(घ) जी, नहीं। बम्बई क्षेत्र के विमानचालकों ने भी 30 मई, 1969 को प्रातः से काम बन्द कर दिया।

(ङ) 54 सेवायें स्थगित करनी पड़ीं और 4 में विलम्ब हुआ।

(च) 30 मई, 1969 की हड़ताल के परिणामस्वरूप 2.60 लाख रुपये की हानि का अनुमान है।

मद्यनिषेध को समाप्त किया जाना

951. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों और रेस्तराओं के हाल में जयपुर में हुए सम्मेलन ने मद्यनिषेध को समाप्त करने का सुझाव दिया है क्योंकि इसके कारण पर्यटन यातायात में हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारतीय होटल और रेस्टोरेन्ट एसोसिएशनों के फैडरेशन ने हाल ही में जयपुर में हुए अपने सम्मेलन में नशाबन्दी को समाप्त करने का आग्रह नहीं किया अपितु तमिल नाडु और दिल्ली में कुछ एक मद्य निषेध विनियमों के उदारीकरण तथा लाइसेंस शुल्क और मदिरा विक्रय करने में कमी करने की सिफारिश की है।

(ख) संकल्प सम्बन्धित राज्यों को उनके विचारार्थ प्रेषित किये गये हैं।

पर्यटन विभाग का उपेक्षापूर्ण रवैया

952. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की पर्यटक मार्ग-दर्शक (गाइड) संस्था ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया है जिसमें पर्यटक विभाग तथा गैर-सरकारी पर्यटक तथा यात्रा एजेंसियों के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और जहां आवश्यक हुआ कार्यवाही की जायेगी।

गांधी जी की विचारधारा के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनायें

953. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी की विचारधारा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में देश में कोई अनुसन्धान परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में प्रोफेसर तथा लेक्चरार

954. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे प्रोफेसरों, एसोशियेट प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों तथा लेक्चरारों की कितनी संख्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार गणित जैसे विशेष विषयों के लिये देश में उनमें से कुछ लोगों की सेवाओं का उपयोग करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में 1434 भारतीय अधिकारी संकाय पदों पर हैं ।

(ख) ऐसे भारतीय विख्यात विद्वानों/वैज्ञानिकों को जो इस समय विदेशों में कार्य कर रहे हैं अथवा बस गये हैं, आमंत्रित करने के लिये, अधिछात्रवृत्तियां । विजिटिंग प्रोफेसरशिप लागू करने की एक योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

Origin of Sciences in India

955. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the sciences of the world originated in India and then spread to Europe through Arab countries ;

(b) whether it is also a fact that there was a time when Indians were leading in the field of marine trade and ship-building ;

(c) if so, the arrangements made or proposed to be made by Government to acquaint the students with the glorious ancient history of India ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) India made significant contributions to the development of mathematics, astronomy, medicine, metalurgy and other sciences. Arabs also played an important role as carriers of this knowledge to Europe and other Western countries. It is, however, not possible to make a sweeping assertion that most of the sciences of the world originated in India.

(b) The expertise of ancient Indians in ship-building was comparable to that of other contemporary civilisations. From the times of the Maurya Empire India had considerable coastal and maritime trade with other countries.

(c) The National Commission for the Compilation of History of Sciences in India has undertaken the following publications :

(i) A Concise History of Sciences in India ;

(ii) A History of Sciences in India (in Several Volumes).

(iii) Monographs on (a) Indian Shipping by Shri S. N. Sen ; and (b) Maritime Sciences by Dr. N. K. Panikar.

(d) Does not arise.

Changing Tendency of Youths

956. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the youths of the country prefer service to art, craft and manual labour at present ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to change the present tendency of the youths and to instil in them a liking for manual labour, art and craft ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). It is difficult to generalise about the tendency among the educated student youth to prefer service to art, craft and manual labour. The Education Commission (1964-66) in their Report had held that

> "the present educational system, we have mentioned earlier is also responsible for increasing the deplorable gulf between the educated and the uneducated classes, between the intelligent and the masses. Our traditional elite as a whole-with some noble exception, has no close ties with the masses and the new elite created by modern education also remains largely aloof from the people".

2. For speedy removal of this gulf, the Education Commission recommended a form of national service which should become an instrument to build character, improve discipline, inculcate a faith in the dignity of manual labour and develop a sense of social responsibility.

3. The Government propose to introduce on a selective basis national service scheme in some of the colleges in the country and if funds are forthcoming, the Ministry of Education and Youth Services would like to see that it is extended to cover more students in the first two years of the first two degree course to participate in the national service programmes.

4. The recent Conference of representatives youth organisations, youth service agencies and youth leaders have, among others, recommended establishment of Counselling and Guidance

service for the youth and also to introduce programmes to promote development of skills that would enhance the chance of employbility of youth. Such programmes when implemented would develop among the youth liking for manual labour, art and craft. The report is at present under consideration of Government.

Setting up of New Tourist Centres

957. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number and names of new tourist centres proposed to be set up by Government in the country during the Fourth Five Year Plan period;

(b) the criteria fixed and rules framed by Government to declare a place as a tourist centre;

(c) whether the religious sentiments of tourists coming from abroad have also been taken into consideration while selecting tourist centres ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) During the Fourth Five Year Plan, it is proposed to develop Gulmarg as a Winter Sports Resort and Kovalam as a Beach Resort.

(b) to (d). Government have not fixed any criteria nor framed any rule to declare a place as a tourist centre. Most of the important tourist centres in India are places of historical and architectural interest, or seats of ancient art and culture, or sorts of natural scenic beauty. There are also religious places to which pilgrims are drawn. Government try to provide facilities at all places which are visited by tourists in large numbers.

Vacancies of Research Assistants in Commission for Scientific and Technical Terminology

958. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of posts of Research Assistants are lying vacant in the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, the number of vacant posts and when they are likely to be filled; and

(c) the reasons for not filling these vacancies so far ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). Out of 100 posts of Research Assistants only eight posts, sanctioned for terminological work in Engineering, are lying vacant in the Commission for Scientific and Technical Terminology due to non-availability of candidates of required qualifications. Efforts however, are being made to fill these posts.

हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर अधिकारी

959. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं तथा उन विभागों के नाम क्या हैं जिनमें वे 1969 में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उन अधिकारियों के विभागवार नाम क्या हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं अथवा जिन्हें अपने पहले पदों पर वापस भेजा जा रहा है ;

(ग) उन वरिष्ठ अधिकारियों की विभागवार संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिये नियत किया गया है तथा जो उन पदों पर काम कर सकते हैं ;

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित खाली स्थानों पर इन अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों को नियुक्ति करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1371/69]**

विद्यार्थियों के लिये अन्तर्राज्यीय शिविरों का आयोजन

960. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई पृथकतावादी तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को देखते हुए सरकार विद्यार्थियों के लिये अन्तर्राज्यीय शिविर आयोजित करने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि उनमें व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की जा सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी हां। स्कूल स्तर पर अन्तर्राज्यीय सद्भावना को प्रोत्साहन देने के लिये शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने मई से जून 1969 के दौरान चार द्वि-साप्ताहिक अध्यापक-विद्यार्थी शिविरों का बंगलौर, जामनगर, पटियाला तथा पंचमढ़ी में आयोजन किया था। निकट भविष्य में और शिविरों के आयोजन का प्रस्ताव है, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय एक और योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत कुछ केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों के राज्य स्कूलों के कुछ विद्यार्थियों को पारस्परिक आधार पर आमंत्रित करेंगे जिसके अन्तर्गत वे सद्भावना को बढ़ाने तथा उनके रीति-रिवाज,

लोक गान आदि सीखने के उद्देश्य से दो सप्ताह की अवधि के लिये उनके अतिथि के रूप में रहेंगे । इससे पत्र-मित्रता को भी प्रोत्साहन मिलेगा, चार ऐसे दौरे आयोजित किये जा चुके हैं । मद्रास केन्द्रीय विद्यालय ने कलकत्ता के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया था । इसी प्रकार दिल्ली, बरेली और नागपुर के केन्द्रीय विद्यालयों ने क्रमशः बड़ौदा, श्रीनगर और अम्बाला के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया था ।

Introduction of Automation for Examination and Evaluation Work in Universities

961. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mysore University has introduced automation for examination and evaluation work as reported in the Navbharat Times of the 19th May, 1969 ;

(b) if so, the special benefits that have accrued as a result of automation for examination and evaluation work ;

(c) whether Government propose to introduce automation in all the Indian Universities for the said work ;

(d) if so, when it would be introduced ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(c) to (e). The question of introduction of any such measure is for the Universities to consider.

Air Fare on Delhi-Kathmandu and Calcutta-Kathmandu Routes

962. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Indian Ambassador in Nepal to the effect that the air fare for Delhi-Kathmandu and Calcutta-Kathmandu air journey is very much on the high side and that it should be reduced ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government propose to reduce the fare for air journey between India and Nepal in the near future ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. The Indian Ambassador in Nepal, Shri Raj Bahadur, in his speech at the 18th Convention of the Travel Agents' Association of India, held in Kathmandu from 16th to 20th May, 1969, made an appeal for the reduction of air fares between points in India and Nepal.

(b) Calcutta-Kathmandu and Delhi-Kathmandu are international sectors and compared to the fares applicable on other international sectors, these fares are already low, as will be seen from the attached statement.

Statement

Sector	Distance in Miles	Fare in Indian Rupees	Rate per mile in Indian Currency
Delhi-Kathmandu (non-stop)	560	373.00	0.66
Delhi-Kathmandu (via Banaras)	637	373.00	0.55
Calcutta-Kathmandu	481	246.00	0.51
Paris-Pisa	525	402.00	0.77
Paris-Rome	688	480.75	0.70
London-Lourdes	618	427.00	0.69
London-Lyon	455	398.25	0.88
London-Madrid	765	628.50	0.82
London-Malmo	628	605.25	0.96
Berlin-Budapest	461	499.50	1.08

(c) There is no proposal to reduce the fares at present.

(d) Does not arise.

Statues of Leaders in Delhi

963. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the leaders whose statues are proposed to be installed in Delhi ;

(b) whether Government propose to instal the statues of Dr. Shyama Prasad Mookerji and Pandit Dindayal Upadhyay ;

(c) whether Government have constituted a Committee for this purpose and if so, the names of members of the Committee ; and

(d) the names of the leaders whose statues are proposed to be installed during the next year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) At present there is only one proposal to erect a statue of Mahatma Gandhi at India Gate.

(b) and (c). It is generally for non-official organisations to come up with suitable scheme for installation of statues of acceptable artistic standard backed by offer of necessary finance. No such proposals for installation of statues of Dr. Shyama Prasad Mookerji and

Pandit Dindayal Upadhyay have been received so far. A procedure has been prescribed under which proposals received from non-official organisations are considered by a Committee which, **inter alia,** includes some Members of Parliament. The recommendations of the Committee are considered by the Government and, is the proposal if found acceptable, permission is granted to the particular organisation to install the statue at the approved site. Government themselves do not initiate such proposals nor do they ordinarily incur any expenditure on such installations. The tennure of the Committee constituted in 1965 expired some time ago and the question of reconstituting it is under consideration.

(d) No such programme has been drawn up.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति

964. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों (औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक) ने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, उन्हें पदोन्नति न देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं, चाहे वे कर्मचारी वरिष्ठ और अधिक योग्यता प्राप्त ही क्यों न हों ;

(ख) क्या उनके स्थानों पर कनिष्ठ और कम योग्य कर्मचारियों का पदोन्नत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे कार्यकुशलता बहुत अधिक गिर गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। पदोन्नति के पात्र सभी कर्मचारियों पर उनकी सेवाओं से संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जायगा और उनकी पदोन्नति के लिये उपयुक्तता का निर्णय उनके आचरण और सेवा-वृत समेत सभी बातों को ध्यान में रखकर किया जायगा।

राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बन्दियों जैसा व्यवहार

965. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विभिन्न प्रदर्शनों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये जाने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बन्दियों जैसा व्यवहार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बहुत राज्यों के कारावास नियमों में राजनीतिक बन्दियों के लिये अलग वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। सभी बन्दियों को, दोषी ठहराने वाले न्यायालयों की सिफारिशों पर, कारावासों में व्यवहार के प्रयोजनों के लिये सामान्यतः दो या तीन ग्रुपों में वर्गीकृत किया जाता है।

नई दिल्ली में धारा 144

966. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब संसद् का सत्र चल रहा हो, क्या उस समय नई दिल्ली से धारा 144 को हटाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या संसद् के बाहरी परिसर तक प्रदर्शन करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जिला प्राधिकारियों के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ये आदेश पूर्णरूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार उद्घोषित किये जाते हैं। जबकि लोकतंत्र में शान्तिपूर्ण आन्दोलनों के महत्व को सरकार मान्यता देती है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि संसद् बिना किसी रुकावट के शान्तिपूर्ण ढंग से काम कर सके।

आसफी, इमामबाड़ा, लखनऊ से ऐतिहासिक अवशेषों की चोरी

967. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में आसफी, इमामबाड़ा से बहुमूल्य ऐतिहासिक अवशेषों की चोरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) क्या अब वे अवशेष मिल गए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट समाचार-पत्रों में छपी थी।

(ख) और (ग). सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि भवन तथा चल सम्पत्ति समेत तमाम इमामबाड़े की सम्पत्ति हुसैनाबाद न्यास की मिलिकयत कब्जे में है।

दक्षिण भारत में संसद् का सत्र

968. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री यशपाल सिंह
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री 16 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर 1768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में संसद् का सत्र करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्योरे क्या हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). विषय अभी तक भी सरकार के विचाराधीन है ।

गुरपुर नदी की एक सहायक नदी पर पुल

969. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरपुर नदी की एक सहायक नदी पर ऐसा पुल बनाने का काम आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं, जिससे उल्लैबेटू, इरुवेल तथा अन्य गांवों का पृथक्करण समाप्त हो जायेगा ; तथा पूर्व निर्मित सड़क के साथ सम्पर्क स्थापित हो जायेगा, हालांकि उसका अनुमान चार वर्ष पूर्व लगाया गया था तथा उसे बनाने की राज्य सरकार से सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि पुल न होने के कारण स्कूल के बच्चों समेत सभी लोगों को उस मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए जो केवल कुछ सौ फुट ही दूर है, नाव पर किराया देकर जाना पड़ता है ; और

(ग) ग्राम्य संचार क्षेत्र में इस सम्पर्क को स्थापित करने के लिए जिस पर पहले पूंजी लगाई जा चुकी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना 40 प्रतिशत अंशदान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969—74) में ग्रामीण सड़कों सहित किसी "नियत" केन्द्रीय सहायता का उपबन्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथों के लिये आवश्यक पुलों का निर्माण

970. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में 400 किलोमीटर लम्बी सड़क तथा 17 बड़े पुल जो राष्ट्रीय राजपथ के लिये आवश्यक हैं, बनाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पुल रहित नदी-घाटों, अनिर्मित सड़कों और कच्चे भूखण्डों जैसी कमियों को दूर करने के लिए अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ;

(घ) इस समस्त तखमीने को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा बेरोजगारी को कम करने के लिये उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि यह अनुमानित व्यय बहुत अधिक था तो इस कार्य में 20 प्रतिशत की कमी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई तथा उन ठेकेदारों के सम्मुख जो सस्ते श्रमिक लगाना तथा कम लाभ लेना चाहते हों इन प्रस्तावों को क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया ; और

(च) ग्रामीण संचार व्यवस्था के लिये 40 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने के वचन को पूरा न करने के क्या कारण हैं जिसका उल्लेख पिछले अनुपूरक सामान्य बजट में किया था तथा जिसकी व्यवस्था चौथी योजना में की गई थी ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टूटी सड़कों और बड़े पुलों के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजपथों के उन भागों में जहां सड़कें बढ़िया नहीं हैं सुधार करने के लिये लगभग 39.00 रु० ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-70) में ग्रामीण सड़कों सहित किसी भी राज्य योजना के लिये किसी नियत केन्द्रीय सहायता का उपबन्ध नहीं है ।

राज्य परिवहन पर लगी पूंजी पर लाभ

971. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार राज्य परिवहन पर लगाई गई पूंजी पर कितना लाभ हुआ है ;

(ख) इसके चौथी योजना में 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था को कैसे उचित माना जा सकता है क्योंकि यह अधिकतया केवल गैर-सरकारी वाहनों तथा पूंजी को ही बदलेगी ; और

(ग) क्या सामान और यात्रियों की वृद्धि का अनुमान तथा हाल ही में किये गये करों की वृद्धि में कोई सम्बन्ध है तथा क्या प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देने से पूर्व पूर्ववर्ती काल के आंकड़ों पर विचार किया जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में लगी पूंजी पर वर्ष 1967-68 के लिये अनुमानित आय 4.62 प्रतिशत है।

(ख) चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में सड़क परिवहन के लिये कुल उपबन्ध 95 करोड़ रुपये का है जिसमें 82 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिये है, 3 करोड़ रु० केन्द्रीय योजनाओं के लिये और 10 करोड़ रु० रेलवे की योजना में राज्य सड़क परिवहन निगमों की पूंजी को अंशदान देने के लिये शामिल हैं। सड़क परिवहन उद्योग के निजी क्षेत्र में अनुमानतः 980 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की योजनाओं में वर्तमान मार्गों को सुदृढ़ बनाने के काम को प्राथमिकता दी जायगी। इस प्रकार निजी चालकों को चतुर्थ योजनावधि में सड़क परिवहन सेवायें चलाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश हो जायेगी।

(ग) चतुर्थ योजना के प्रारूप में भविष्य के यातायात के प्राक्कलन पिछली प्रवृत्तियों, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की संभाव्य गतिविधियों तथा सड़क परिवहन के कार्य पर आधारित है। अतः सड़क परिवहन उद्योग के करों में हाल में जो वृद्धि की गई है उसका इन प्राक्कलनों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

Nomination of Members to Managing Committees of Colleges in Delhi

972. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the rules regarding nomination of members to the Managing Committee of colleges in Delhi ;

(b) if so, the details of the proposed amendments ; and

(c) the reation of Delhi Administration and the colleges thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The University of Delhi has submitted to the Visitor proposals for amending the statute relating to the construction of the Governing Bodies of the Colleges, as in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-1372/69].** The proposals are under consideration.

(c) Delhi Administration have sent to the Visitor a representation against the amendments. Government have no information about the reaction of the colleges.

शिमोगा जिले में ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा

973. **श्री स० अ० अगडी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में कालादी संस्थान के इतिहास के बारे में अनुसंधान करने के सम्बन्ध में मैसूर राज्य के शिमोगा जिला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें शिमोगा जिला के ऐतिहासिक स्मारकों, विशेषकर गेरासोधा जल प्रपात और शिवका नामक के बिदानूर नागर महल के आसपास के स्मारकों की सुरक्षा के लिये मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन के आयोजकों द्वारा अथवा मैसूर राज्य के शिमोगा जिले के किन्हीं वर्गों के लोगों ने उक्त विषय में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) उक्त सम्मेलन की मांगों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। पिछली मई में शिमोगा में केलादी राजवंश के इतिहास के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन द्वारा पारित किए गए संकल्पों में सुरक्षा की मांग नहीं है बल्कि अनधिकार प्रवेश के हटाने के परिरक्षण की मांग है। गैरासोपा जल-प्रपातों के आस-पास के स्मारक तथा शिवप्पा नामक के विदानूर नगर राजमहल पहले ही केन्द्रीय सुरक्षित स्मारक हैं। अभ्यावेदन 14 जुलाई, 1969 को प्राप्त किया गया है।

(ग) सुझावों की जांच की जा रही है।

Reinstatement of Strikers in Madhya Pradesh

974. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have reinstated all those Central Government employees posted in Madhya Pradesh who had participated in September, 1968, strike excepting those who had taken active part in organising the strike ;

(b) if so, their number, department-wise ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Separate Chhatisgarh State

975. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the people of Chhatisgarh area of Madhya Pradesh demanding a separate Chhatisgarh State ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) if their demand is not considered justified, whether Government propose to allocate some extra funds for the development of those areas ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have received an unsigned representation on the subject from a resident of Rajim, (Madhya Pradesh) and a telegram from the Chairman of a local body.

(b) There is no justification for considering such a demand.

(c) The State Governments have been requested by the Planning Commission to identify backward areas and to make suitable provision within the plans for their development.

Employment of Unemployed Engineers

976. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unemployed Engineers have applied for the posts of clerks and Assistants in the offices of Central Government ;

(b) if so, whether keeping in view the fact that they are unemployed and possess high qualifications, Government will give them employment ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No application from any engineer for the post of clerk or Assistant has been received in this Ministry.

(b) to (d). Recruitment to the grade of Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service and to 50% of the substantive vacancies in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service is made on the basis of competitive examinations held by the Union Public Service Commission, under the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 and the Central Secretariat Service Rules, 1962. The remaining 50% in the Assistants' Grade is filled up by departmental promotion.

Asergarh Fort (M. P.)

977. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fort of Asergarh (Madhya Pradesh) is an ancient one and has historical importance ;

(b) whether it is also a fact that this Fort has not been looked after properly by the successive foreign rulers ;

(c) whether it is further a fact that there are no guides to explain the inscriptions and name plates concerning the Fort to the public as a result of which people are unable to get correct information about the Fort ; and

(d) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) There is no evidence to suggest this.

(c) and (d). Although there is no arrangement of guide-service, a historical notice-board at the entrance of the Fort has been put up by the Archaeological Survey of India which gives a brief history of the Fort. A guide-book on the Fort is proposed to be published.

The Fort is a centrally protected monument and necessary repairs are carried out from time to time.

सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी

978. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1969 को सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना को प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को बढ़ाना

979. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की कुछ सेवाओं में कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक निश्चित अवधि निर्धारित करने के लिये इस नियम में संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). विभिन्न संगठित सेवाओं के भर्ती नियमों में कर्मचारियों की परिवीक्षा की अवधि तथा सीमा, जहां तक यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, यदि कोई हो, को निर्धारित करने वाले उपबन्ध हैं । जहां किसी विशेष सेवा नियमों में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित उपबन्ध नहीं है वहां उस विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेश लागू होते हैं । इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि असाधारण कारणों के अतिरिक्त परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के अधिक समय के लिये न बढ़ाई जाय और कोई कर्मचारी सामान्य अवधि से दुगुनी अवधि से अधिक के लिये परिवीक्षा पर न रखा जाय । इन सामान्य अनुदेशों के संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लद्दाखी बौद्ध

980. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाखी बौद्धों ने केन्द्रीय सरकार को एक दस-सूत्री मांग पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). लद्दाख के बौद्धों के प्रतिनिधियों ने गत अप्रैल में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें उनकी कुछ शिकायतें व्यक्त की गई थीं । उक्त ज्ञापन जम्मू व कश्मीर सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

981. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने छात्रों को सरकार से छात्रवृत्तियां या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिली और प्रत्येक के लिए वर्षवार, कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों के कितने प्रतिशत छात्रों को इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष लाभ हुआ है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सिन्धु लिपि का पढ़ा जाना

982. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 28 मार्च, 1969 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोपनहेगन विश्वविद्यालय के भारत विद्या (इण्डोलोजी) विभाग को सिन्धु लिपि पढ़ लिये जाने सम्बन्धी समाचार के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिये लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उनसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है यदि नहीं, तो क्या वहां के भारतीय दूतावास को यह कहा गया है कि वह कोपनहेगन विश्वविद्यालय के भारत-विद्या विभाग से सीधा सम्पर्क करे ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां, 1-3-1969 और 10-3-1969 को।

(ग) जी हां।

(घ) ब्योरे दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

फिनलैण्ड के विद्वानों का मत है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के जन्म दाता द्रविड़ लोग ही हैं। उनके विचार में इस बात के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात सिन्धु भीलों की प्रतिमा-विज्ञान था। तीन चेहरों वाले देवता को उन्होंने युद्ध के देवता मुरुगन से मिलाया है। वृक्ष पूजा तथा सिन्धु सभ्यता की अन्य बातों को आधुनिक भारत के कार्य के साथ तुलना की गई है और दक्षिण भारत में मातृकलीप उत्तराधिकार को सिन्धु घाटी सभ्यता में प्रचलित ऐसे ही उत्तराधिकारों के साथ सम्बन्धित किया गया है।

ये लोग यह भी महसूस करते हैं कि सिन्धु घाटी के लोगों के धर्म में तारों का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न भी किया है कि मूल द्रविड़ लोग मुख्य-रूप से तारों की पूजा करते थे विशेषकर नक्षत्रों को देवताओं के रूप में वे पूजते थे और कि सिन्धु घाटी की सभ्यता में तारों की विद्या तथा ज्योतिष विद्या को एक प्रमुख स्थान प्राप्त था। शिवा को मंगल नक्षत्र तथा भगवान कृष्ण को शनि नक्षत्र के साथ मिलाया गया है।

लिपि के अक्षर सूचक चिह्नों का पूरा प्रयोग करके शब्द-संकेत वाली लिपि बताया गया है। शब्दोच्चार चिह्नों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा को मूल द्रविड़ लोगों की भाषा बताया गया है। फिनलैण्ड के विद्वानों के अनुसार लिपि का मेसोपोतामिया की सुमेरियन सभ्यता के नमूने पर बनाया गया था। उनके अनुसंधानों के परिणामों को निम्नलिखित में प्रकाशित किया गया था।

(1) सिन्धु घाटी सभ्यता के मूल द्रविण अभिलेख के स्पेशल प्रकाशन संख्या 1 के लिपिज्ञाता में दिया गया है।

(2) मूल द्रविड़ सिन्धु लिपि के लिपिज्ञाता के प्रोग्रेस के स्पेशल प्रकाशन संख्या 2 में।

यद्यपि फिनलैण्ड के विद्वानों के निष्कर्षों की जांच के लिये कोई दल नहीं बनाया था तथापि कुछ भारतीय विद्वानों ने फिनलैण्ड के विद्वानों के प्रयत्नों के विभिन्न पहलुओं तथा दो भारतीय विद्वानों जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सिन्धु घाटी सभ्यता के समय की लिपि को पढ़ लिया है, के बारे में प्रेस में अपनी टिप्पणियां दी हैं। स्कैण्डिनेविया के विद्वानों से सम्बन्धित इनके टिप्पणों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(क) फिनलैण्ड के विद्वानों ने अपनी धारणाओं को सिद्ध करने के लिये जो तर्क दिये हैं वे बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। अन्ततः द्रविड़ के आधार को जोरदार ढंग से तभी सिद्ध किया जा सकता है यदि भाषा के मूल द्रविड़ भाषा होने का पता लग जाये।

(ख) सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों की जाति को निश्चित करने के लिये भाषा को आधार बनाने की बात गैर-विज्ञानिक है।

(ग) यदि लिपि मूल-द्रविड़ लोगों की ही है तो लिपि के लुप्त हो जाने के क्या कारण हैं जब कि भाषा का प्रयोग निरन्तर रहा है। यह भाषा बोलने वाले लोग प्रायद्वीप में कब आये और किस मार्ग से आये।

(घ) लिपिज्ञान में आन्तरिक अंसगति है विशेषकर शब्दों के उच्चारण तथा उनके अर्थ निकालने के मामले में।

(ङ) आधुनिक द्रविड़ भाषायें नम्बर सफिक्स से पूर्व केस सफिक्स को लगाती है जबकि फिनलैण्ड विद्वानों के अनुसार नम्बर सफिक्स के बाद केस सफिक्स आता है।

(च) पुरातत्व तमिल की तीन लगातार साहित्यिक अकादमियों के बारे में जो तर्क दिया गया है वह असंगत है क्योंकि इसके अनुसार तमिल साहित्य ईसामसीह से 9 हजार वर्ष पूर्व का हो जाता है जोकि सभी ज्ञात साक्ष्य के विरुद्ध है।

फिनलैण्ड के विद्वानों की सफलता का अनुमान तब लगाया जायेगा जब पूरे अभिलेखों की पढ़ाई पूर्ण हो जायेगी जोकि अभी की जानी है।

कांडला बन्दरगाह का विकास

983. **श्री द० रा० परमार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला बन्दरगाह के विकास के बारे में विचार करने के लिये मई, 1969 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कांडला बन्दरगाह के विकास तथा उसे अन्मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने के बारे में उस सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सम्मेलन ने नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया। उस समिति में गुजरात राज्य वाणिज्य मण्डल तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति कांडला बन्दरगाह की विभिन्न समस्याओं पर विचार करेगी और उसमें सुधार करने के बारे में सुझाव देगी। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में नेताजी संग्रहालय

984. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र के लिए नेताजी की अद्वितीय क्रान्तिकारी यादगार को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली में 'नेताजी संग्रहालय' स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं। कलकत्ता स्थित नेताजी स्मारक संग्रहालय को सुदृढ़ करना सर्वोत्तम होगा।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों का स्थायीकरण

985. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 14 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पात्र कर्मचारियों को इस बीच स्थायी या अर्ध-स्थायी घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या भर्ती के नियम आदि को अन्तिम रूप दिया जा चुका है जिनके आधार पर मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के निर्माण-कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज्ड) कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी या स्थायी घोषित किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने अभी 406 कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी और 10 कर्मचारियों को स्थायी घोषित करना है। इसका कारण यह है कि उन कर्मचारियों का पूर्ववृत्त तथा आचरण अभी सत्यापित किया जाना है। मनीपुर सरकार ने निर्माण-कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। यह मामला अभी मनीपुर सरकार के परीक्षाधीन है।

इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र

986. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने वाली समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्योरा क्या है;

(ग) इम्फाल में प्रस्तावित विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने से जनता की विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग कहां तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). समिति ने मणिपुर में उच्च शिक्षा के विकास के लिये निम्नलिखित वैकल्पिक सुझावों पर विचार किया था :

(i) एक पूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना;

(ii) स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना;

(iii) इम्फाल में एक सुस्थापित कालेज में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करना ।

समिति ने पहले दो विकल्पों को अनुकूल नहीं समझा, लेकिन डी० एम० कालेज, इम्फाल में कुछ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने की सिफारिश की है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए ।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों को आयोग ने स्वीकार कर लिया है । इस संबंध में आयोग के इस निर्णय के बारे में कि डी० एम० कालेज, इम्फाल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आयोजन करते समय, विज्ञान, उद्योग, कृषि, व्यापार, भाषाओं और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों के योग्य व्यक्तियों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, मणिपुर प्रशासन तथा साथ ही गोहाटी विश्वविद्यालय को सूचित किया जा रहा है । प्राकृतिक वातावरण और प्रदेश के साधनों से संबंधित वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों/प्रकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मनीपुर के प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों में गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक

987. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री मनीपुर के मौलिक शिक्षा स्कूलों के गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापकों के बराबर वेतनमान देने के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मामले की मणिपुर प्रशासन के परामर्श से अभी तक जांच-पड़ताल की जा रही है ।

पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध मुकदमा

988. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के श्री शंकराचार्य के विरुद्ध कानूनी रूप से मुकदमा चलाया गया है;

(ख) क्या इस मामले में राज्य ने शिकायत करने वाले के रूप में भाग लिया है; और

(ग) क्या कानून में कोई परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ताकि धर्म के नाम पर इन समाज-विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पटना में 29 मार्च, 1969 को पुरी के शंकराचार्य द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में पुलिस ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर किया है । मामले की जांच की जा रही है । 8 अप्रैल, 1969 को दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने भी अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर किया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के संशोधन के लिये अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक व शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति द्वारा दिये सुझावों की जांच की जा रही है ।

गोहाटी में अम्बारी में पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना

989. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री विश्व नारायण शास्त्री :

श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में अम्बारी में कुछ दिलचस्प पुरातत्वीय वस्तुएं पाई गई हैं;

(ख) क्या उनके युग तथा महत्व के बारे में कोई प्रारम्भिक मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है; और

(घ) क्या पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपना मूल्यांकन बताया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । जो वस्तुएं पाई गई हैं, वे शाका इशवी 9 वीं—10 वीं शताब्दी के समय की मानी गई हैं ।

(ग) जी नहीं । गोहाटी विश्वविद्यालय का विचार असम के ऐतिहासिक तथा पुराविद अध्ययन विभाग के सहयोग से उक्त स्थान पर खुदाई करने का है ।

(घ) जी हां ।

अमरीका का 'इण्डो-बर्मा पायनियर मिशन'

990. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9095 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन से अमरीका के इण्डो-बर्मा पायनियर मिशन की गतिविधियों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन से एक प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

श्री के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा का पुनर्गठन

991. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने श्री के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को पुनर्गठित करने के बारे में जो सिफारिशें की हैं, क्या उन पर बिहार सरकार की कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विवेकानन्द शिला स्मारक परियोजना कन्याकुमारी

992. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विवेकानन्द शिला स्मारक परियोजना, कन्याकुमारी के लिये कोई वित्तीय योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने विवेकानन्द शिला स्मारक परियोजना के निर्माण की लागत में कोई अंशदान नहीं दिया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि विवेकानन्द शिला स्मारक समिति को अब तक आसाम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से एक-एक लाख रुपया प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार से 1.50 लाख रुपया मिला है। समिति को कुछ अन्य राज्यों से आंशिक अंशदान मिले हैं और अन्य राज्यों से भी कुछ मिलने की आशा है। तमिलनाडु सरकार 3 लाख रुपये की लागत से 'जेटी' प्लेटफार्म बनाने में सहायता दे रही है।

(ग) और (घ). समिति ने सूचित किया है कि मनन हाल बन चुका है। मुख्य विवेकानन्द मण्डप का निर्माण कार्य चल रहा है। समिति को आशा है कि स्मारक के ढांचे का काम 1969 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

गुजरात के बन्दरगाहों में जमी मिट्टी निकालना

993. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि गुजरात की बन्दरगाहों में मिट्टी जम जाने के कारण निकट भविष्य में बेकार हो जायेगी ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में भावनगर बन्दरगाह के बारे में भी यही बात लागू होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण विभाग ने इस बात को अस्वीकार किया है; और

(घ) उसका ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को तंग न किये जाने के बारे में राष्ट्रपति से अपील

994. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति से 23 मई, 1969 को यह अपील की है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अब और तंग न किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 23 मई, 1969 को श्री मधुसूदन ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) राष्ट्रपति को प्रस्तुत ज्ञापन में प्रतिनिधि मण्डल ने हड़तालियों को शक्तिहीन करने वाले सभी आदेशों को रद्द करने और उन यूनियनों/संघों को फिर से मान्यता देने का अनुरोध किया, जिनकी मान्यता वापिस ले ली है ।

(ग) सरकार ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के मामले में छूटों की पहले ही घोषणा कर दी है जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया ; 18-10-1968 और 7-1-69 के प्रेस नोटों तथा 13-3-69 और 30-4-69 को लोक सभा में गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों को देखिये ।

19 सितम्बर, 1968 की अवैध हड़ताल में भाग लेने पर कुछ यूनियनों/संघों की मान्यता वापिस ली गई । ऐसी यूनियनों/संघों को फिर से मान्यता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

गृह मंत्री की काश्मीर यात्रा

995. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मई, 1969 के अन्तिम सप्ताह में काश्मीर की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ग) उन्होंने यह यात्रा सरकारी तौर पर की थी अथवा निजीतौर पर ; और

(घ) इस यात्रा का खर्च किसने वहन किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 24 और 25 मई, 1969 को गृह मंत्री ने श्रीनगर का औपचारिक दौरा किया था। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में स्थिति का पुनरीक्षण करना तथा सुरक्षा और राजनैतिक स्थिरता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करना था।

(घ) इस दौरे का खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया था।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

996. **श्री क० लकप्पा :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री ए० श्रीधरन : **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त की गई साम्प्रदायिकता सम्बन्धी उप-समिति ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे देश में साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के लिये विभिन्न सम्प्रदायों के नागरिकों की स्थायी समितियां तुरन्त स्थापित करें और ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) साम्प्रदायिकता सम्बन्धी राष्ट्रीय एकता परिषद की उप-समिति की सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिये 7 जुलाई, 1969 को गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। राज्य सरकारों से सूचनाओं की प्रतीक्षा है।

पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में बम बनाने का कारखाना

997. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में बम बनाने के कारखाने के सम्बन्धित 28 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न 758 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने साधनों द्वारा इन बमों के बनाये जाने के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 22-12-1968 को राज्य पुलिस ने जादवपुर पुलिस थाने के जोहरा बाजार में नवनिर्मित किन्तु छोड़े हुए मकान पर छापा मारा और 7 बिना चले बम तथा एक चाकू और बम व विस्फोटकों को तैयार करने की कुछ सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को घटनास्थल पर तथा 2 और व्यक्तियों को बाद में गिरफ्तार किया। चार और संदिग्ध व्यक्ति फरार हैं। राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुरुनानक साहिब की 500वीं वर्षगांठ

998. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरु नानक साहिब की 500 वीं वर्षगांठ मनाने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस पर कुल कितना धन खर्च किया जायेगा और यह समारोह कितने दिन तक चलेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इस पुनीत समारोह को उपयुक्त ढंग से मनाने हेतु विभिन्न विचार-धाराओं के नेताओं की एक समिति नियुक्त की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर नेताओं से परामर्श करके एक सुन्दर कार्यक्रम तैयार करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). गुरु नानक की 500वीं जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है। कार्यक्रम के ब्योरे तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को राष्ट्रीय समिति की बैठक में अन्तिम रूप दिया जाएगा जिसकी अभी बैठक होनी है।

दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा संसद् द्वारा विचार तथा पारित किये जाने के लिए भेजे गए विधेयक

999. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली महानगर परिषद् ने संसद् को कितने विधेयक विचार तथा पारित किये जाने के लिये भेजे हैं ;

(ख) संसद् ने उनमें से कितने विधेयकों पर विचार किया तथा पारित किया है ;

(ग) उनमें से कितने विधेयक अभी विचाराधीन पड़े हैं ; और

(घ) सरकार उन पर कब विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1373/69]**

Housing and Medical Facilities to Delhi Teachers

1000. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal** :
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 598 on the 21st February, 1969 and state :

(a) whether separate housing and medical facilities under the Central Government Health Scheme would be provide to the Delhi teachers ;

(b) if so, the details thereof, the steps taken in that direction and the result thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The question of providing separate housing facilities to Government School Teachers in Delhi is under the consideration of the Delhi Administration. They are also considering the question of providing medical facilities under the Central Government Health Scheme to their teachers in consultation with the Ministry of Health and Family Planning.

अतारांकित प्रश्न संख्या 3084 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION No. 3084

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : लोक सभा में मंत्रियों और संसदीय शिष्ट मंडलों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में तारीख 14-3-69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3084 के उत्तर में दी गई सूचना में परिवर्तन सूचित करने के सम्बन्ध में श्री के० एस० रामास्वामी, गृह मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा लोक सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरण।

मुझे खेद के साथ कहना है कि तारीख 14 मार्च, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3084 के उत्तर में लोक सभा में मंत्रियों के विदेशों के दौरे पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई थी, उसमें कुछ मंत्रालयों से और सूचना प्राप्त होने के कारण परिशोधन की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा की कुल राशि रुपए 2,06,471.07 पैसे के बजाय रुपए 2,12,918.95 पैसे पढ़ी जाए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 6128 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 6128

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सेना इंजीनियरी सेवा के बारे में 11 अप्रैल, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6128 के उत्तर में दिये गये विवरण में उल्लिखित जानकारी में इस बीच शुद्धि हो गई है। अतः सेना इंजीनियरी सेवा के बारे में संशोधित जानकारी एक संलग्न विवरण में दे दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1374/69]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के कारण हुई तबाही

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Havoc caused by flood in the river Brahmaputra all along its course through Assam disrupting rail and road Communications between Jorhat and Gauhati."

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : क्या मैं इसे पढ़ दूं अथवा सभापटल पर रख दूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय आपको मंत्री महोदय को कहना चाहिये कि वे ऐसे वक्तव्यों को परिचारित कर दिया करें ताकि उन्हें सभा पटल पर रखा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में उन्हें उसे सभा में पढ़ना चाहिए।

डा० कु० ल० राव :

1. **असम में बाढ़ स्थिति (ब्रह्मपुत्र घाटी)**

इस वर्ष जब से मानसून आरम्भ हुई है, असम राज्य में कई गम्भीर बाढ़ें आईं। अब तक बाढ़ों के तीन दौर चल चुके हैं, बाढ़ का पहला दौर 22-6-69 से 27-6-69 तक रहा और इससे लखीमपुर जिले में धेमाजी के क्षेत्रों पर, कामरूप जिले में नालबाड़ी के क्षेत्रों पर और गवालपारा जिले के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। पागलाडिया के तटबंधों में दरारें पड़ जाने से कामरूप क्षेत्र में सड़क और रेल सम्बन्धो संचार सेवाएं भंग हो गईं। बाढ़ का दूसरा दौर 7-7-69 से 11-7-69 तक रहा। इससे उपरी असम के क्षेत्र, विशेषतया उत्तरी तट पर धेमाजी के क्षेत्र और दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ सब-डिवीजन के क्षेत्र जल-प्लावित हो गए। शिवसागर क्षेत्र बुरी तरह से बाढ़-ग्रस्त हो गया। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का तीसरा दौर 16-7-69 से चला और बाढ़ का यह दौर बहुत भयंकर था परन्तु इन बाढ़ों के दौरान जोरहाट और गोहाटो के बीच रेल यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी।

अद्यतन सूचना के अनुसार अब बाढ़ें सर्वत्र उतरने लगी हैं यद्यपि कहीं-कहीं पानी का स्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है ।

2. 1969 की बाढ़ों की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :

(1) पागलाडिया नदी के पहले के स्तरों को मात कर देने वाली अत्यधिक भारी बाढ़ आई और 24-6-69 को सायं 4 बजे एन० टी० रोड क्रासिंग पर आर० एल० 180 का स्तर रिकार्ड किया गया जब कि पहले 1967 में अधिकतम स्तर 179.19 था ।

(2) बूढ़ी दिहांग के ऊपरी भागों में पानी का स्तर बहुत ऊंचा रहा और 10-7-69 को खोवांग पर आर० एल० 337.85 का स्तर रिकार्ड किया गया था। देसांग नदी ने पहले के रिकार्डों को मात कर दिया और लगभग दोनों तटों पर बनी डाइकों के ऊपर से वह बह निकली ।

(3) ब्रह्मपुत्र नदी ने डिब्रूगढ़ पर पहले के रिकार्डों को मात कर दिया है। 17-7-69 को रात के 10 बजे आर० एल० 346.20 रिकार्ड किया गया था जबकि पहला अधिकतम रिकार्ड 1962 और 1968 में 345.40 का था ।

(4) धुब्री में भयंकर कटाव हुआ जिससे गोदामों आदि का स्थानांतरण आवश्यक हो गया ।

3. **दरारें और क्षतियां**

अब तक ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के साथ-साथ तटबंधों में 23 दरारें और एक काट आई है । नदीवार उनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

ब्रह्मपुत्र	5 दरारें और 1 काट
जैढ़ाल	3 दरारें
सबनसिरी	1 दरार
मरीढाल	1 दरार
बूढ़ी दीहंग	3 दरारें
देसांग	5 दरारें
झांसी	1 दरार
मालो	1 दरार
टूनी	1 दरार
पागलाडिया	2 दरारें
कुल	23 दरारें

क्षति के सम्बन्ध में जानकारी केवल 30-6-69 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए उपलब्ध है जोकि नीचे दी जाती है :

(1) प्रभावित क्षेत्र	6.5 लाख एकड़
(2) प्रभावित जनसंख्या	2.5 लाख
(3) क्षतिग्रस्त फसल वाला क्षेत्र	3.7 लाख एकड़
(4) क्षति-प्राप्त फसलों की कीमत	42.4 लाख रुपये
(5) क्षति-प्राप्त मकानों की संख्या	2832
(6) क्षति-प्राप्त मकानों की कीमत	3.6 लाख रुपये
(7) मृत मवेशियों की संख्या	14
(8) मृत व्यक्तियों की संख्या	1
(9) जनोपयोगी सेवाओं की क्षति	अनुमान नहीं लगाया गया
कुल क्षति	46 लाख रुपये

धुब्री पर कटाव के कारण हुई हानि इसमें शामिल नहीं है ।

राज्य सरकार ने इस वर्ष की बाढ़ों से हुई हानियों का मूल्यांकन अभी अन्तिम रूप से नहीं किया है ।

4. राहतकारी उपाय

राज्य सरकार ने बाढ़ सम्बन्धी राहत-कार्यों के लिए कई पग उठाए हैं । बाढ़-पीड़ित परिवारों के लिए अहेतुक सहायता भी दी गई है । संकट-कालीन बचाव और राहत-कार्यों की व्यवस्था हेतु सैनिक सहायता भी ली गई ।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता निमित्त अभी तक कुछ नहीं लिखा है ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : It is our misfortune that we are still facing the problems of flood and drought through a period of about 21 years has elapsed since the attainment of Independence. I would like to draw the attention of the Minister to his own statement that the problem of floods and drought will be solved if big rivers are linked by constructing canals between them in the country. I would like to know whether Government have ever considered the feasibility of such a scheme, if so the outcome thereof. What had happened about the appointment of Brahmaputra Valley Commission for effecting control on floods ? I would like to know whether claims etc. will be constructed on Brahmaputra to control the floods and harness the water for irrigation purposes on the lines of dams erected on Kosi river in Bihar and on Damoder river in West Bengal. Will the Central Government propose to finance such schemes in Assam in view of feeble economy of the State ?

डा० कु० ल० राव : ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी और विश्व की बड़ी नदियों में से एक है । यह सम्भव नहीं है कि उसमें आने वाली बाढ़ों को एक दम रोका जा सके । अधिक

वर्षा होने पर उसमें बाढ़ आयेंगी ही। जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है, इसके लिए बांध-निर्माण सहित सभी-उपाय किये जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी ऐसी है कि उस क्षेत्र में बांध नहीं बनाये जा सकते। सहायक नदियों पर अवरोधन बांध बनाये जाने की सम्भावना पर अभी विचार किया जाना है। ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करने का व्यय अकेला आसाम राज्य वहन नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म पुत्र नदी आयोग बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री धोरेश्वर कलिता : (गोहाटी) : मंत्री महोदय ब्रह्मपुत्र को समस्या बताते हैं। एक ओर तो मनुष्य चन्द्र-अवतरण के पश्चात् पृथ्वी पर सुरक्षित लौट रहा है, दूसरी ओर अपनी ही पृथ्वी पर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को समस्या बताया जा रहा है। हाल ही में नैनीताल में डा० कु० ल० राव की अध्यक्षता में सिचाई मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि ब्रह्मपुत्र की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाये। संसद सदस्यों की परामर्शदात्रि समिति ने भी यही निर्णय किया था। क्या सरकार ने यह सुझाव मान लिया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार राज्य की निर्धनता को ध्यान में रखते हुए इस योजना के लिए आसाम राज्य को 10 करोड़ रुपये की राशि देगी ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक ब्रह्मपुत्र के लिए अधिक धन जुटाने का सवाल है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उस पर एक बड़ी राशि खर्च करनी होगी। आसाम राज्य पर 1954 से बाढ़ में 27 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और मैं यह मानता हूं कि यह राशि बहुत ही कम है। मैं वित्त मंत्रालय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं और कुछ न कुछ इस दिशा में अवश्य ही किया जायेगा।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं सिंचाई मंत्रियों को उनके इस मत के लिए बधाई देता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर के ब्रह्मपुत्र घाटी आयोग की स्थापना की जाये। परन्तु दुख की बात है कि हमारे सिंचाई मंत्री कह रहे हैं कि इस वर्ष ब्रह्मपुत्र में आयी बाढ़ से अधिक हानि नहीं हुई है। मैं सरकार से इस आशय का आश्वासन चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र घाटी आयोग बनाने की दिशा में कार्यवाही अवश्य ही की जायेगी।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने तो यह कहा था कि इस वर्ष पहले वर्षों की अपेक्षा हानि कम हुई है। ब्रह्मपुत्र से प्रतिवर्ष औसतन 7 करोड़ रुपये की क्षति होती है। यह एक गम्भीर समस्या है। जहां तक केन्द्र से इस योजना के लिए राशि दिये जाने का सम्बन्ध है मेरा यह कहना है कि इस दिशा में कुछ अवश्य ही किया जायेगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ से अनेक शहरों में बरबादी होती है। धुबरी नामक महत्वपूर्ण नगर प्रतिवर्ष कटाव का शिकार होता है। उसके बचाव के लिए सरकार का क्या सुरक्षात्मक उपाय करने का विचार है ? क्या आसाम सरकार ने तटबन्धों के लिए केन्दीय सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है ?

डा० कु० ल० राव : धुबरी में कटाव की समस्या वास्तव में अत्यधिक गम्भीर है। इसकी रोक-थाम के लिए कुछ साधारण उपाय किये गये थे, जैसे नदी-तल को पक्का करना आदि। परन्तु उनसे सफलता नहीं मिली है। अब एक विकल्प शेष है और वह है पत्थरों की दीवार बनाना। धुबरी शहर को कटाव से बचाने के लिए अवश्य ही कुछ करना होगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के प्रमाणित लेखे, भारतीय प्रबन्ध संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Certified Accounts of the Indian Institute of Technology, Delhi for the year 1967-68 along with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961.

(2) A copy of the Annual Report of the Indian Intitute of Management, Calcutta for the year 1967-68.

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, for the year 1967-68, along with the Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT-1347/69]

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के आय-व्ययक अनुमान, वास्तविक व्यय और पुनरीक्षित अनुमान

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) एयर इंडिया के वर्ष 1969-70 की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(2) एयर इंडिया के पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों तथा पुनरीक्षित अनुमानों और वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों का सारांश।

(3) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1969-70 की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(4) इंडियन एयरलाइन्स के पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों तथा पुनरीक्षित अनुमानों और वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों का सारांश।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1348/69]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश 1969

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under section 43 of the Copyright Act, 1957 :—

(1) The International Copyright (Second Amendment) Order, 1969 published in Notification No. S. O. 1908 (English version) and S. O. 1909 (Hindi version) in Gazette of India dated the 16th May, 1969.

(2) The International Copyright (Third Amendment) Order, 1969, published in Notification No. S. O. 2142 (English version) and S. O. 2143 (Hindi version) in Gazette of India dated the 28th May, 1969.

(3) The International Copyright (Fourth Amendment) Order, 1969, published in Notification No. S. O. 2445 (English version) and S. O. 2446 (Hindi version) in Gazette of India dated the 21st June, 1969.

[Placed in Library, See No. LT-1349/69]

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा नाविक भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1350/69]**

(2) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 8 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1066 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) नाविक भविष्य-निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1969, जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1044 में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपरोक्त (7) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1351/69]

(4) निम्नलिखित विवरण जिनमें लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायी गई है :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 2, 3 और 4	सातवां सत्र, 1969 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5	छठा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 12	पांचवां सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 18	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 13	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 20	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 17	पंद्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1352/69]।

सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं देश के भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1353/69]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, नागरिकता अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (1) मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3)

के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 26 (4)/पंच/इलेक/68 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 मार्च, 1969 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिल्ली भूमि सुधार नियमों में कुछ संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1057/69]

(दो) दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954, की धारा 102 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली पंचायतराज (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मार्च, 1969 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 26 (4)/पंच/इलेक/68 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 978/69]

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(क) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1220 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1221 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 1354/69]।

(ख) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० ओ० 381-क (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 28 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा गठित की गई।

(दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1031 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (वरिष्ठता क्रम का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1126 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता क्रम का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1127 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1128 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1215 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1216 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1217 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1218 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1219 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (पदावली) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1258 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (भर्ती) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1259 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) विनियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1260 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासन सेवा ऐमरजेंसी कमीशन प्राप्त और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनिमय, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1261 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (ऐमरजेंसी कमीशन प्राप्त और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1262 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1263 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय प्रशासन सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियमन, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1264 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1265 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1266 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियमन 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1267 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1268 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) जी० एस० आर० 1269 जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई, तथा जिसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 की अनुसूची III में संशोधन किया गया था ।

(तेईस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1442 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1443 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 1446 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का पांचवां संशोधन, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1447 में प्रकाशित हुआ था।

(सत्ताईस) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1448 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 1486 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्तीस) भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता क्रम का विनियमन) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1487 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1490 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1591 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का छठा संशोधन, जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 1592 में प्रकाशित हुआ था।

(तैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1593 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का पांचवां संशोधन जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1594 में प्रकाशित हुआ था।

(पैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1595 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1596 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का तीसरा संशोधन जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1597 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1355/69]

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अनुसार सब नियम संसद् में उनके बनाये जाने के पश्चात् शीघ्र से शीघ्र सभा-पटल पर रखे जाने चाहिये परन्तु उक्त नियम जनवरी में बनाये गये थे और उन्हें अब जुलाई में सभा-पटल पर रखा जा रहा है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। एक और बात यह है कि उनके सभा-पटल पर विलम्ब से रखे जाने के कारण भी नहीं दिये हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इनमें से कुछ पत्र सभा-पटल पर पुनः रखे जा रहे हैं। जो पत्र मद संख्या 2 पर लिखे हैं, उन्हें सभा-पटल पर पहली बार रखा जा रहा है। यदि उनके सभा-पटल पर रखे जाने में विलम्ब हुआ तो मैं उसकी जांच करूंगा और उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा।

मोटर गाड़ी अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) पंजाब पर्यटक गाड़ियां (चण्डीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1968 के चण्डीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 9251-एच II (4)-68/44266 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) पंजाब मोटर गाड़ियां (चण्डीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 3 जनवरी, 1969 के चण्डीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12651-एच० II (2)-68/376 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1356/69]

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1357/69]

खेलकूद के स्तर में गिरावट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1742 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. No. 1742 RE: DETERIORATION IN STANDARD OF SPORTS

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्री दिनकर देसाई के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि सरकार ने निर्णय किया है कि नेशनल कैडेट कोर के बदले में, जो पहले अनिवार्य थी, खेल पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होंगे।

अब मैं उसके स्थान में निम्नलिखित कहना चाहता हूं :

"मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय किया है कि तीन समानान्तर कार्यक्रम होंगे अर्थात् नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस कोर और राष्ट्रीय खेल संगठन और डिग्री पाठ्यक्रम के पहले दो वर्षों के छात्र इनमें से किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जहां तक तीसरे विकल्प का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि केवल वही छात्र जो खेलों में अच्छी दक्षता दिखाते हैं, राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फिर भी पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय तक नेशनल सर्विस कोर/राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रमों को स्वैच्छिक तथा चुनींदा आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा।"

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और नौवहन तथा संचार मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं यह घोषणा करता हूं

कि सोमवार, 28 जुलाई, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री यज्ञदत्त शर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जायेगा, पर विचार ।

(2) बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(3) संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(4) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा पेश किया जायेगा, पर विचार ।

(5) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(6) स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री कंवर लाल गुप्त तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जायेगा, पर विचार ।

(7) स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(8) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 में रूपभेद के लिये प्रस्ताव पर, जो 16 मई, 1969 को श्री एन० के० पी० साल्वे द्वारा पेश किया गया था, आगे विचार ।

(9) दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)

(10) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(11) लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(12) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(13) शपथ विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : हाल में दिल्ली में अनेक हत्यायें हुई हैं। इस मामले पर सभा में तुरन्त विचार होना चाहिए। इसके लिये अवश्य ही समय निकाला जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य सूची में बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के बाद दूसरा स्थान संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक को दिया गया है। यह एक विवादास्पद विषय है। इसलिये इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

दूसरे राजधानी में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिये इस पर भी चर्चा होनी चाहिए या कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

गृह मंत्रालय द्वारा बार-बार जारी किये गये आदेशों के बावजूद लगभग 2000 कर्मचारियों को अभी बहाल नहीं किया गया है। मेरा प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से निवेदन है कि वे उन्हें बहाल करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

4 अगस्त को जूट श्रमिक हड़ताल करने जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि विचार-विमर्श नहीं किया गया है। श्रम तथा रोजगार मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए ताकि यह हड़ताल रोकी जा सके।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : When the last session was about to terminate, the Home Minister made a statement about flowing in of foreign money during elections in the country. But on account of paucity of time it could not be discussed during the last session. However the House was assured that it would be discussed in the next session. It is a very serious matter and especially when the Government is in possession of information in regard thereto, some time should be fixed for discussion on it. A no-day yet named motion has already been admitted in this subject.

Members have started expressing all sorts of opinions for and against the candidates for the Presidential poll. Some code of conduct for members in this connection should be decided upon so that nothing may be said for or against the Presidential candidates in this House. If anything is said, it should be expunged from the proceedings.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मुझे नहीं मालूम कि सरकार इस विवादास्पद विधेयक को क्यों पारित कराना चाहती है। बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के पारित होने के बाद सभा का जो मान बढ़ेगा, वह इस विधेयक के पारित होने से मटियामेट हो जायेगा।

पिछले सत्र में जो समझौता हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये इस मामले में जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभा की यह राय सरकार तक पहुंचा दें।

Shri M. A. Khan (Kashganj) : Certain members seem to be agitated since the introduction of the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill in the House particularly those who proclaim themselves as labour leaders. But we see them coming and going by aeroplanes. Wherefrom that money comes? If they are very much agitated, they should give in writing that they would not accept enhanced salaries. Otherwise all this talk will be simply an eyewash and a propaganda stunt.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे दूसरे के गुण-दोषों में न जायें, केवल अपने सुझाव ही दें। अब इस विधेयक पर और वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The situation in Telengana is very critical and it should be discussed in this House as early as possible. There should also be discussion as to why the Birla inquiry is being evaded. Thirdly, time should immediately be found for discussion about jute industry. Why the proposal of the West Bengal Government to hold an inquiry into the jute industry is being opposed by the Central Government? We want discussion on these issues so that we may know the politics behind it.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It appears that the Government wants to rush through the Banking Companies Bill without referring it to a select committee. When they consider it an important measure why should they bypass the select committee stage.

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अब नहीं उठाया जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My second point is this. The court has acquitted the culprits of the Din Dayal Upadhyaya murder case. The murder of Pt. Din Dayal Upadhyaya is still shrouded in mystery. You had agreed to find time for the calling attention notice on the subject. We request you to fix some time for it during the next week.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि इस सत्र में कम से कम 3 अनियत दिन वाले प्रस्तावों को अवश्य लिया जायेगा। दो-तीन संकल्प भी पास किये जाने थे। इनमें से एक में नेताजी की कथित मृत्यु के बारे में नवीन जांच की मांग की गई थी और दूसरे में एक अन्तर्राज्य परिषद के गठन की मांग की गई थी। परन्तु कार्य-सूची में एक भी प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है।

बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से शरणार्थियों के मारे तथा उनके घरों को जलाये तथा लूटे जाने के बारे में गम्भीर समाचार मिले हैं। इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों की हड़ताल से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विरोध के बावजूद जूट जांच आयोग नियुक्त किया है। इसलिये इस पर भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Haryana and some other parts of the country are in the midst of famine and drought. There should be a debate on this matter as soon as possible.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): दलबदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर पिछले सत्र में चर्चा होनी थी परन्तु समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। वर्तमान सत्र का पहला सप्ताह समाप्त हो गया है और दूसरे सप्ताह की कार्यसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। राजधानी में यह अफवाह जोरों पर है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय बड़े पैमाने पर दल बदल होगा। इसलिये यह उचित होगा कि इस प्रतिवेदन पर अगले सप्ताह विचार किया जाये और इसे प्राथमिकता दी जाये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): तेलंगाना समस्या पर जल्दी से जल्दी विचार होना चाहिये।

नक्सलवादी साम्यवादियों की गतिविधियों से सारे भारत को खतरा बना हुआ है। इस बारे में भी जल्दी विचार का अवसर दिया जाना चाहिए।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनको ध्यान में रखा जायेगा।

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, के नियमों तथा विनियमों के नियय 4 (दो) से (चार) तथा 15 के उपबन्धों के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, को सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनवाद, के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) तथा 15 के उपबन्धों के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, को सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दो वर्ष की आगामी अवधि के लिये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दो वर्ष की आगामी अवधि के लिये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

37वां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक

PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन का उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री गोविन्द मेनन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TEX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने तथा कतिपय अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने तथा कतिपय अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जैसाकि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है।

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक
BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

विधि तथा समाज कल्याणमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुकूल अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिक अच्छी प्रकार पूर्ति के लिए कतिपय बैंकिंग कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन तथा हस्तांतरण के लिये तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको दो बातों पर विचार करना है । एक तो यह है कि आपको माननीय सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्नों को, कि मंत्री महोदय को विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, सुनना होगा । दूसरे यह यदि आप समझते हैं कि यह नियमों के अनुरूप है क्योंकि आपने अपने स्वविवेक से नियमों में ढील दे दी है, तब आपको हमें गुण-दोष के आधार पर इस विधेयक का विरोध करने की अनुमति देनी होगी । आप चाहें तो हमें दोनों कारणों से इसका विरोध करने की अनुमति दे सकते हैं । मैंने सही प्रक्रिया बतला दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसानी ने दो प्रश्न उठाए हैं । उनका पहला प्रश्न बड़ा उचित है परन्तु दूसरे प्रश्न को वह सभा की सक्षमता के आधार पर ही उठा सकते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जी नहीं नियम 72 के अनुसार वह इस प्रश्न को दोनों तरह से उठा सकते हैं, अगर सक्षमता की बात है तो उस पर पूरी चर्चा होगी और यदि सक्षमता की बात नहीं है तो उसके लिये एक संक्षिप्त वक्तव्य देकर भी कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वही सदस्य जिन्होंने इस बारे में मुझे लिखा है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस समय व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूं । मेरा प्रश्न है कि इस सभा को प्रक्रिया तथा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार विधेयक पेश करने की सूचना तथा विधेयक पेश करने के समय के मध्य कुछ अन्तर होना चाहिये ताकि सभी संबंधित लोग धैर्य से उस पर विचार कर लें । इस सम्बन्ध में निर्देश संख्या 19 ए तथा 19 बी हैं । 19 ए में कहा गया है कि जब एक अध्यक्ष महोदय अन्यथा अन्य सूचना की अनुमति न दें विधेयक को पेश करने के लिये 7 दिन को पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । निदेश 19बी में कहा गया है कि विधेयक प्राप्त होने के बाद वह कम से कम दो दिन तक हमारे पास रहना चाहिये ताकि हम इसका अध्ययन करके उस पर अपने विचार दे सकें । इस नियम के उपबन्ध में कहा गया है कि ऐसा न कर सकने पर मंत्री महोदय एक विस्तृत वक्तव्य देकर विशिष्ट कारण बताते हुए उपरोक्त दोनों नियमों की छूट लें ।

मैंने श्री गोविन्द मेनन का आज प्रातः ही जारी किया गया वक्तव्य पढ़ा है परन्तु इसमें मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिसके कारण इन दोनों नियमों से उन्हें छूट दी जाय । प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अध्यादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । फिर विधि मंत्री किस आधार पर इन नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं ? मैं स्वयं को इतना सक्षम नहीं पाता कि इस विधेयक को केवल दो घण्टे में पूरी तरह समझ सकूं । इसमें मुआवजे से सम्बन्धित बातें बड़ी टेढ़ी हैं । अतः मेरा निवेदन है कि आप अपने निर्देशों का पालन भी कराइये तथा यहां बहुसंख्यकों के अतिरिक्त अल्प संख्यकों के अधिकारों का भी मान कीजिये । यह भारतीय संसद् है जहां हम अपनी पुरानी परम्पराओं को बनाये रखना चाहते हैं, आपको दोनों पक्षों से मत का मान रखना चाहिए । यदि आप ऐसा नहीं करते तो बड़े खेद से मुझे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आप अपना कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प०
तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen hours of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर दो मिनट
म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a pity that in a hurry to introduce Banking Companies Bill the Rules of Procedure and the Directions of the Speaker are being totally ignored. I hereby quote a part of Direction 19 (b) :

".....he shall give full reasons in a memorandum for the consideration of the Speaker explaining as to why the Bill is sought to be introduced without making available to members copies thereof in advance...." Earlier in this Direction, there is a provision of giving a notice of at least two days. That too can be waited if the Hon. Minister submits a Memorandum to you specifying all the reasons. But he has given you only a letter. Besides this, according to that letter, the printed copies of the Bill should have been made available to the Members on 24th ; but that too was not done by the Government.

Now, you have full authority to give your decision on the reasons put forth. But before doing so you should take care of the Rules of Procedure of this Sabha and also necessary justification in this regard.

Also the Hon. Minister cannot bring the Banking Companies Bill in the class of the Bills indicated in the Direction 19 (b) which says :

"Provided that Appropriation Bills, Finance Bills and such secret Bills as are not put down in the list of business....." Then, what is the reason for escaping the Rules and the Directions ?

In his statement the Law Minister has indicated...." some doubts and uncertainties prevalent at present as to the future of the measure embodied in the Ordinance.... ", whereas the Prime Minister says "Government are advised that the essential provisions of the Ordinance nationalising the banks are not affected by this order...." The advice must have been given by the Law Minister. Now whom should we believe—the Prime Minister or the Law Minister ? If the Law Minister had known certain doubts and uncertainties, he should have clarified them. Moreover, had the bill been introduced one or two days latter heavens would have not fallen. All the uncertainties and doubts have already been removed by the Prime Minister in her statement earlier. So there is no justification for such a hurry excercised both in the case of issuing the Ordinance and the introducing of this Bill. The Government could very well wait for the verdict of the Supreme Court. It is quite possible that certain valid and desirable suggestion might also come forward in the light of the decision of the Supreme Court. The decision of the Supreme Court is expected to be delivered on 11th of the next month. But the Government are not prepared to wait for that decision nor are they desirous of obeying the Rules of Procedure and Directions of the Speaker.

I do not go to the extent Mr. Masani has gone, but it is certain that the Democracy in this country is deep-rooted and the people of this country will not allow any man or woman to become a dictator here.

So, my point is that this sort of hurridness is undesirable and unwanted and that it is an opportunity for you, Sir, to protect your own Directions and also the rights of the minority here. You are requested to reconsider your decision before you permit the Law Minister to introduce the Bill.

श्री कंवर लाल गुप्त : आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूं····

श्री मधु लिमये—उठे

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने मुझे लिखा है मैं उन्हें ही बोलने की अनुमति दूंगा। श्री गुप्त किसी अन्य आधार पर अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। मैं उन्हें बाद में अनुमति दूंगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : सोमवार से, आठ घण्टे तक हम इस पर चर्चा करेंगे। अब इस सम्बन्ध में हमें आपका निर्णय चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : व्यवस्था के प्रश्न पर इस प्रकार वाद-विवाद नहीं किया जाता कि इसके लिये राष्ट्रीयकरण के सारे प्रश्न पर चर्चा छिड़ जाये। मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता परन्तु मेरा कहना है कि आप उन्हीं लोगों तक चर्चा सीमित रखें जिन्होंने इस बारे में लिख कर दिया है अन्यथा इस प्रश्न का कहीं अन्त न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्राथमिक आपत्ति दूर करना चाहता हूं। सर्वश्री मसानी और अटल बिहारी वाजपेयी समझते हैं कि अध्यक्ष के निर्देश शायद सभापति को अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वर्ष 1957 तक 7 दिन की पूर्व-सूचना अथवा दो दिन पहले विधेयक का वितरण करने का नियम नहीं था यह नियम बाद में बना और हम तभी से इसको मानते आ रहे हैं। परन्तु इसमें एक महत्वपूर्ण उपबन्ध भी है जहां कुछ मामलों में सभाध्यक्ष को अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। वह अधिकार मैं यहां दो कारणों से प्रयोग में ला रहा हूं। कहा गया है कि विधेयक की प्रतियां आज ही वितरित की गई हैं। परन्तु ये प्रतियां इसीलिए तो वितरित की जाती हैं कि सदस्यगण विधेयक की मुख्य बातों को चर्चा से पहले जान सकें। परन्तु वे मुख्य बातें तो सदस्यगण अध्यादेश के लागू होते ही जान चुके हैं। इसीलिये मैं विधेयक पेश करने की अनुमति दे रहा हूं।

दूसरा प्रक्रिया का प्रश्न यहां दिये गये कारणों के बारे में था मैं समझता हूं कि नियमों की छूट पाने के लिये वे कारण पर्याप्त तथा औचित्यपूर्ण हैं। अब मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह बिल पेश करने की अनुमति मांगे···· (**व्यवधान**)

प्रक्रिया सम्बन्धी सभी आपत्तियों का समाधान मैंने कर दिया है और उनके बारे में निर्णय दे दिया है। कुछ और आपत्तियां भी हैं जिनके बारे में सदस्यों ने मुझे लिखा है। नियमों के अनुसार वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को दो मिनट दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I do not challenge your ruling but I want to submit that the Ordinance and the Bill are not identical.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि अध्यादेश और विधेयक एक जैसे हैं। मैंने तो यह कहा है कि विधेयक की मुख्य बातें तो सदस्यों को मालूम हो चुकी हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं निर्देश 19 (बी) के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कोई अन्य प्रश्न उठाना चाहता हूं तथा केवल एक वाक्य ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। अब मैं कोई दलील नहीं सुनूंगा। श्री मसानी !

श्री मी० रु० मसानी : क्या मैं यह समझूं कि विधेयक पेश करने वाला कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : सामान्य प्रक्रिया यह रही है कि प्रस्तावक पहले प्रस्ताव पेश करे और अन्त में उसका उत्तर दे। परन्तु यदि इस समय मुझे कुछ कहने को कहा जाता है तो मैं सहर्ष कहूंगा।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य के समय श्री वाजपेयी आदि की आपत्ति थी कि संसद को मामले की अच्छाई-बुराई बताये बिना ही अध्यादेश जारी कर दिया गया। सरकार इस बात से इच्छुक थी कि अध्यादेश जारी करने के परिणामों का प्रभाव सभा की स्वीकृति बिना यथेष्ठ समय से एक दिन भी अधिक नहीं रहना चाहिए। इसीलिये विपक्ष की बात हमने मानी, जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा था कि अध्यादेश संसद की बैठक से केवल 40 घण्टे पूर्व ही जारी किया गया, इसमें जल्दी की क्या आवश्यकता थी यदि संसद की इस अध्यादेश भी अच्छाई-बुराई पर विचार कर लेती। यही बात थी।

हमने यथाशीघ्र सभा में इस मामले की चर्चा करने का प्रयत्न किया है :

प्रधान मंत्री का वक्तव्य आपके सामने है, 14 बैंकों को, जिनका जमा धन 50 करोड़ रुपये से अधिक है, पर्याप्त प्रगति पूर्ति देकर सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया। हमारा संविधान राष्ट्रीयकरण का निषेध नहीं करता। अनुच्छेद 31 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर राष्ट्रीयकरण हो सकता है। ऐसा विधेयक पहले भी यहां पुर:स्थापित किया गया है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : हम इस विधेयक का विरोध आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं।

जहां तक आर्थिक परिणामों का सम्बन्ध है, हमारे विचार से इस कार्यवाही के परिणाम अर्थव्यवस्था के लिये घातक होंगे। यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था के लिये हितकारी नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जायेगी। विदेशों का इस देश पर से विश्वास उठ जायेगा। और जिस विदेशी पूंजी तथा सहायता की हमें आवश्यकता पड़ती है वह खतरे में पड़ जायेगी। देश में, धन जमा करने वालों तथा उधार लेने वालों दोनों को उपेक्षापूर्ण एकाधिपत्य का सामना करना पड़ेगा। इसका पहला परिणाम यह होगा कि देश में बैंक जमा-निधि में कमी आ जायेगी। क्योंकि सामान्य जमाकर्ता को सरकार में विश्वास नहीं होगा। उसने अब तक यह देखा है कि राष्ट्रीयकरण से तीन बुराइयां होती हैं। पहला, यह कि यह अधिकारतंत्री लालफीताशाही तथा कार्यकुशलता में कमी इत्यादि है ; दूसरा, इसमें राजनीतिक प्रभाव तथा भ्रष्टाचार होता है ; और तीसरा, इसमें प्रायः सभी राज्य उपक्रम घाटा दिखाते हैं। जो बैंक इस समय लाभ दिखा रहे हैं, वे घाटे वाले उपक्रमों में बदल जायेंगे और इससे जमाकर्ता का धन खतरे में पड़ जायेगा और इससे निसंदेह देश में जमाकर्ताओं की संख्या कम हो जाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो जमाकर्ताओं की 200 करोड़ रुपये की राशि में हाथ डालने तथा उनको राज्य उपक्रमों के मामले में डालने की प्रधान मंत्री की आशा पूर्ण नहीं होगी। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जमाकर्ताओं के धन को हड़पने की आशा करना बेकार हैं क्योंकि जमाकर्ताओं उनके हड़पने के लिये पैसा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक राजनीतिक कारणों का सम्बन्ध है, फरीदाबाद में प्रधान मंत्री ने तथा बंगलौर में उप-प्रधान मंत्री ने देश को बताया कि सामाजिक नियन्त्रण अच्छी प्रकार काम कर रहा था और कोई अन्य कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अतः इस परिवर्तन का आधार कोई आर्थिक नहीं था बल्कि राजनीतिक था। हम इस विधेयक का आशय मंत्रिमंडल के हाथ में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का और अधिक एकत्रीकरण समझते हैं। ऐसे समाचार हैं कि रिजर्व बैंक, जो अब तक स्वायत्त था अब वित्तमंत्रालय का अधीनस्थ विभाग बन जायेगा। कुछ ऐसे समाचार भी हैं कि गृह-मंत्रालय से खुपिया-विभाग ले कर प्रधान-मंत्री को सौंप दिया जायेगा। ये ऐसे कदम हैं कि राजनीतिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो जायेगी। प्रधान मंत्री ने अध्यादेश जारी करके इस विषय पर संसद में चर्चा नहीं होने दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा की तब उन्होंने कार्य सम्पन्न करने के पश्चात उसका मुकाबला करने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सम्पन्न करने के पश्चात सभा में प्रस्तुत करने का तरीका प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्रजातन्त्र केवल बहुमत के शासन पर विश्वास नहीं करता। इसमें अल्पसंख्यकों के विषय में भी पूरा-पूरा विचार किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है और राष्ट्रीयकरण एक चोर की भांति आया है इसे दिन-दहाड़े आना चाहिए था लेकिन यह चोर की भांति रात में आया। अतः यह विधेयक देश में तानाशाही स्थापित करने की ओर एक कदम के रूप में है। यह विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक सम्पत्ति का हरण करने वाला तथा भेद-भाव करने वाला है। अतः यह विधेयक संविधान के शक्ति परस्तात् है सरकार इस प्रकार नहीं चल सकती। प्रधान मंत्री को यह मार्ग छोड़ देना चाहिए। वे 'घाना' के डा० एनक्रूमा और 'इण्डोनेशिया' के श्री सुकार्णो के कदमों पर चलने का

प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन उनको सावधान होना चाहिए कि अगर वह उनके रास्ते को अपनायेंगी तो उन्हीं को तरह उनका भी अन्त हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I am not against the principle of this Bill because this is an important Bill. I want to say that two types of classification of the banks has been made in this Bill. One is on the basis of fifty crores of deposits and the other is on the basis of foreign banks and indigeous banks. Now I want to draw your attention to section 14 and 15 of the Constitution in which it has been stated that:

> "The State shall not deny to any person equality before the law...." and section 15 reads as :
>
> "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them".

There is the difference of only place of birth and place of incorporation in it. The foreign banks have been incorporated in other countries and the indigenous banks have been incorporated in this country. In my opinion the foreign banks should also be nationalised. It will be wrong to leave them untouched and it will also be against the provisions of the constitution as the banking corporation is also a legal person.

Secondly, I want to say that Allahabad bank is an indigenous bank but not in the true sense. Actually it is a foreign bank because its most of the shares are in the hands of the foreign banks. Therefore, when Allahabad bank has been nationalised why the foreign banks have been excluded. It is a principle of socialism? I am talking about the basic principle. If indigenous banks are doing exploitation then whether the foreign banks are free to do exploitation in their socialism? If not, I would request that all the indigenous and foreign banks whose deposits are more than 50 crores should be nationalised.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, I don't want to challenge your ruling. I want to draw your attention to Rule No. 19(B). According to Rule No. 19(B) so long the Speaker does not give permission it cannot be put in the order paper. I want to know how it was put on the order paper?

Secondly, I want to say few words against the introduction of this Bill. It is not a matter of prestige for me and my party that there may or may not be nationalisation of banks. We have no objection in the nationalisation of banks if it is in the interest of the public. If it is against the interest of the people there should be no nationalisation of banks. The Prime Minister never spoke about nationalisation of banks. Today how she spoke about nationalisation in Bangalore? I say it is a political decision. This nationalisation of banks has not been done keeping in view the economic condition of the country but it is politically motivated. This measure will not be used in the interest of the public. It will be used to keep the chair safe.

Second thing I want to say is that the Ordinance was issued by the President 36 hours before the sitting of the Parliament. The President was also about to resign. I think the Prime Minister has violated the tradition of the Parliament by doing this. If all the objects of the Bill materialise, I will support the Bill after a year. Keeping in view the way in which public sector is working at present, I would like to say that two thousand crores of Rupees of the public will be looted. You want patronage by a political way and this patronage will serve as an instrument to benefit some persons and some institutions. The Communists must

have supported the nationalisation of banks but the employees are not in favour of it because their pay, allowances will not be increased and they will not get overtime. I can say with confidence that the profit and the efficiency which we have today will not remain after a year and the public will not be benefited by it. So, I and my party oppose it.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने निदेश 19 (B) के अन्तर्गत कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक मैं अस्थाई अनुमति न दे दूं तब तक इस मद को आदेश-पत्र पर स्थान नहीं मिल सकता।

श्री कंवरलाल गुप्त : अस्थायी अनुमति से आपका क्या आशय है ? आप अनुमति दें या न दें। कक्ष में आपने मुझे बताया कि आपने मुझे अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को अवसर देना चाहता था जो आपत्ति उठाना चाहते थे। इसलिये मैंने इसको आदेश-पत्र में रख दिया है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं सभा का ध्यान बैंकिंग उद्योग तथा सामान्य अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पूंजी निर्माण सहित बचत का निवेश प्रक्रियाओं के कारण फैल रहे अविश्वास की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई आय तथा रोजगार स्थिर हो गये हैं। निवेश करने वालों तथा उद्योगपतियों की अनिश्चितता को कम करना है। भविष्य के कार्यों के बारे में अफवाहें फैल रही हैं जिससे उद्योग को हानि होती हैं, इसे रोकना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो रही है यह सब राजनीति से प्रेरित है। प्रधान मन्त्री अपने साम्यवादी मित्रों के इशारों पर चलती रही हैं। यह बहुत खतरनाक है। यदि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को जिसको अब तक मन्दी के दल दल से नहीं निकाला गया है ऐसे झटके दिये जायेंगे तो इसकी ठीक-ठीक आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अवस्था अनुमानित समय तक प्राप्त नहीं की जा सकेगी। अत: प्रधान मंत्री को हमारी चेतावनी की ओर ध्यान देना चाहिये, और ऐसे ढंग से कार्य करना चाहिये कि वास्तविक आर्थिक विकास हो सके।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr. Speaker, this Bill is politically motivated. All know that it is related with the internal conflicts of the Congress Party and the Prime Minister wants to ruin the whole country for strengthening her position in the party politics.

This is my charge that this Bill is anti-people. It contains three parties—depositors, employees and the general public. So far as the employees are concerned, it will not benefit them. The bonus, which the employees are getting at present will disappear after a year or two. The persons who are aware about the pros and cons of the Bill are opposing it. Lakhs of bank employees will receive loss from it. Keeping in view the condition of public-sector, the lakhs of depositors have no confidence that the nationalisation of banks will benefit them. They are not going to be benefited. The money will be misused. I fear that their deposits will be less and the increasing banking habit will be affected.

The Hon. Prime Minister has said in her statement that the bank money will be given to the new entrepreneur who will be the progressive entrepreneur; if these will be communist. Today recommendations are made for taking quota permits. Such thing will happen in the case of taking loans from the banks also. It is like establishing economic-dictatorship in the country by putting Government control on the whole credit so long there were private industries and mixed economy in the country and after that there will be political dictatorship.

State monopoly is worse than any private monopoly and you are making banking State a monopoly. It is an anti-people Bill; it is an anti-country Bill; it is an anti-employees Bill; it is an anti-depositors Bill and it will destroy the economy of the country. Therefore, I and my party are opposed to this Bill.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Mr. Deputy Speaker, I support this Bill. It it very necessary for Government to control the whole banking system and do nationalisation because the country needs capital.

In my opinion the foreign banks should also be nationalised because these are exploiting the Indian public and are taking capital outside.

I am against the policy of compensation.**

श्री गोविन्द मेनन : मुझे विश्वास है कि सभा को इस बात की बहुत समय पहले से जानकारी है कि कांग्रेस के बहुत से सदस्य जिसमें मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल हैं, संसद सदस्य तथा दूसरे लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार को अभ्यावेदन देते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की बात दिमाग में केवल इस महीने की 18 या 19 तारीख को आई हो। यह बात कांग्रेस दल के सामने पिछले कई वर्षों से थी।

जहां तक श्री मसानी द्वारा आर्थिक आधार पर राष्ट्रीयकरण के बारे में किए गए विरोध का सम्बन्ध है उनके तथा उन मित्रों द्वारा दिये गये तर्क तथा अन्य दलों के बीच विचार धारा में अन्तर के प्रतीक हैं। हम इस बात को नहीं मानते की कुछ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तानाशाही स्थापित हो जायेगी। सन 1955 में हमने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, उससे पहले हमने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। आज संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहां कोई तानाशाही नहीं है लेकिन वहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण है अत: शेष 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तानाशाही के स्थापित होने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति देने के बारे में प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुकूल अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को अधिक अच्छी प्रकार पूर्ति के लिये कतिपय बैंकिंग कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन तथा हस्तांतरण

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

के लिये तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 260 ; विपक्ष में : 46

Ayes : 260 ; Noes : 46

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री गोविन्द मेनन : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

बैंकिग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE

श्री गोविन्द मेनन : मैं बैंकिग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है।

अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमों में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION FOR MODIFICATION OF ALL-INDIA-SERVICES (CONDUCT) RULES—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे द्वारा 16 मई, 1969 को पेश किये गये अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 में रूपभेद करने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नियमों में संशोधन केवल पिछले सत्र में किया जा सकता था जिसमें वे सभा पटल पर रखे गये थे। इस लिये प्रस्ताव के बारे में प्रश्न पूछते समय मैं सभा से केवल पहले भाग के बारे में पूछूंगा जिसमें सभा के संकल्प का समावेश है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : जब मैंने पिछले सत्र में यह संकल्प अथवा प्रस्ताव पेश किया था तो मैंने बताया था कि मैं अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968

में कुछ स्पष्ट त्रुटियों तथा दोषों को दूर करने सम्बन्धी विचारों से प्रेरित था। मामले पर विचार किया गया था और जब मैंने संशोधनों में निहित कुछ प्रमुख उपबन्धों की व्याख्या की थी तो सदस्यों ने विचार किया कि यह एक महत्वपूर्ण बात थी और इस वाद विवाद के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। इसलिये आज आपने मुझे समय देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पचासवां प्रतिवेदन

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन से जो सभा में 23 जुलाई, 1969 को पेश किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन से जो सभा में 23 जुलाई, 1969 को पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक 1969 (धारा 2,3 आदि का संशोधन)

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT BILL, 1969 (AMENDMENT OF SECTIONS 2, 3 ETC.)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the untouchability (offences) Act, 1955."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhn Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1969 (भाग दस अनुच्छेद 244क और 371ख का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1969 (AMENDMENT OF PART X, ARTICLES 244A AND 371B)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापकों द्वारा भाग लेना) विधेयक 1969

CENTRAL UNIVERSITIES (TEACHERS PARTICIPATION) BILL 1969

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to Constitute Teachers' Unions and to provide for their representation in Central Universities bodies."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अध्यापक संघ गठित करने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the bill.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 12 क और धारा 14 ग संशोधन जोड़ा गया)

(Insertion of new Section 12-A and Amendment Section 14)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the University Grants Commission Act 1956".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

तेलंगाना (मतसंग्रह) विधेयक
TELENGANA (OPINION POLL) BILL

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भविष्य में तेलंगाना के दर्जे के बारे में तेलंगाना के मत दाताओं की इच्छा जानने के लिए उनका मत संग्रह करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भविष्य में तेलंगाना के दर्जे के बारे में तेलंगाना के मतदाताओं की इच्छा जानने के लिये उनका मत संग्रह करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भर्ती विधेयक
CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES RECRUITMENT BILL

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the recruitment of persons in Central Government service and in public sector undertakings on the basis of certain priorities."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"केन्द्रीय सरकार की सेवा में तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कतिपय प्राथमिकताओं के आधार पर लोगों की भर्ती का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I introduce the Bill.

धूम्रपान से हानियां (विज्ञापन) विधेयक
SMOKING HAZARDS (ADVERTISEMENT) BILL

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a bill to provide for the advertisement of the hazards in smoking cigarettes".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिगरेट पीने से होने वाली हानियों के विज्ञापन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890 and provide for better railway travel in the country."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले तथा देश में बेहतर रेल यात्रा का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक के बारे में
REGARDING ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes : I do not want to introduce a bill further to amend the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

सीमा आयोग विधेयक, 1969
BOUNDARY COMMISSION BILL, 1969

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परस्पर राज्यों के बीच तथा संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा

विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

श्री जं० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं इस विधेयक के पुरस्थापन का विरोध करता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य महाजन आयोग की सिफारिशों को, जो कि सरकार के पास निर्णय के लिये पड़ी हैं, असफल करना है । सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है अतएव इसकी स्थिति अर्धन्यायिक मानी जानी चाहिए । माननीय सदस्य का उद्देश्य इस विधेयक द्वारा आयोग के कार्य को निष्फल करना है ।

चूंकि इसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रदेशों को बदलना है तो इस कार्य के लिये संविधान के अनुच्छद 3 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस मामले में सभा की कोई विधायी क्षमता नहीं है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिए जो कि नहीं ली गई है ।

इस विधेयक को सर्वप्रथम सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं में भेजना चाहिए, तब ही उसके बाद यह सभा उस पर वाद-विवाद करने में सक्षम है ।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि यह एक सद्भावनापूर्ण विधेयक नहीं है । महाराष्ट्र सरकार ने यह सहमति प्रकट की थी कि वे आयोग के निर्णय को स्वीकार करेंगे, उन्होंने इसे क्रियान्वित करने का वचन दिया था । परन्तु वे इसमें असफल रहे । आयोग का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष ढाई वर्ष से अनिर्णीत पड़ा है । गृह मंत्री ने इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है । चूंकि आयोग का प्रतिवेदन अनिर्णीत पड़ा है अतएव यह विधेयक अभी पेश नहीं हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि आपने विधेयक को भली-भांति नहीं पढ़ा है । इसमें केवल महाराष्ट्र-मैसूर सीमा के बारे में ही नहीं है । यह एक सामान्य विधेयक है, अतएव आपने जो कहा है कि इसके लिये राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिये वह गलत है । वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे समस्त वाद-विवाद दूर हो सकें ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : आपने कहा है कि वे एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य को हस्तांतरण करने के बारे में नहीं कह रहे हैं, वे तो इससे भी अधिक गल्त बात कह रहे हैं । अपने इस विधेयक के द्वारा वे संसद से सामान्य अधिकार छीन रहे हैं, जब कि एक छोटे भाग का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार के विधेयक को किस प्रकार पुरःस्थापित किया जा सकता है जिसमें सामान्य हस्तांतरण के बारे में कहा गया है, मेरे विचार में इसके बारे में महान्यायवादी से सलाह लेनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जब कहा था कि अनुच्छेद 3 लागू नहीं होता तो मेरा तात्पर्य इसी से था। अनुच्छेद 3 वास्तविक हस्तांतरण के समय ही लागू होगा।

श्री नाथपाई : मेरी समझ में नहीं आता कि श्री इमाम जैसे समझदार व्यक्ति ने किस प्रकार इस विधेयक का गलत अर्थ लगाया है। आखिर इस विधेयक में क्या है ? इस विधेयक में स्थायी सीमा आयोग बनाने के लिये कहा गया है जिसके द्वारा अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का हल किया जा सके। इसमें कहा गया है कि "राज्यों के बीच सीमा विवादों ने राष्ट्र की अखण्डता को खतरे में डाल दिया है। इन विवादों का राष्ट्र के हित में शीघ्र निपटान हो जाना चाहिए इस विधेयक का उद्देश्य यही है।"

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में कोई विशेष वाद-विवाद के बारे में नहीं कहा गया है। यह तो एक सामान्य विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परस्पर राज्यों के बीच तथा संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा-विवादों को सुलझाने के लिये एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नाथपाई : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969
(अनुच्छेद 359 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1969 (OMISSION OF ARTICLE 359)

श्री नाथ पाई : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

आयकर (संशोधन) विधेयक
(धारा 80 ग का संशोधन)

INCOME TAX (AMENDMENT) BILL—(AMENDMENT OF SEC. 80 C)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं आय-कर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य कलाकार, लेखक, आदि को आयकर को छूट देनी थी परन्तु तत्कालीन उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में विधेयक की सम्पूर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था । अतएव यह विधेयक अनावश्यक हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

व्यय विनियमन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक—जारी
REGULATION OF EXPENDITURE AND ERADICATION OF CORRUPTION BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : हुमायून कबीर 16 मई 1969 के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाये ।

"कि केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन के सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यय और अदायगी का विनियमन करने, व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने; आय-कर, बिक्री कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने, तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक को उस पर राय जानने के लिए 30 अगस्त 1969 तक परिचालित किया जाये ।"

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मैं आपकी अनुमति से अपने प्रस्ताव के लिए एक संशोधन रखना चाहता हूं । मैंने इस विधेयक पर राय जानने के लिए 30 अगस्त 1969 तक परिचालित करने के लिए प्रस्ताव किया था । चूंकि गत अधिवेशन में इस विधेयक का निपटान नहीं किया जा सका अतएव 30 अगस्त का समय बहुत कम हैं । अतएव '30 अगस्त 1969' के स्थान पर '1, दिसम्बर 1969' कर दिया जाये ।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

अगर यह विधेयक पारित हो गया तो इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है। हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में पाते हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि भ्रष्टाचार का कारण लेखाबाह्य धन है। यह पता नहीं है कि यह धन कितना है परन्तु कुछ लोगों के विचार में यह 50,000 रुपये है।

प्रोफेसर काल्दोर ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि देश में करापवंचन लगभग 400 करोड़ रुपये का होता है। देश में तस्करी करोड़ों रुपये की होती है जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को कम से कम 300 करोड़ रुपये की हानि होती है।

लेखाबाह्य की इस भारी राशि से राष्ट्रीय जीवन में विभिन्न रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं सर्वप्रथम इसका राजनीतिक प्रभाव बताऊंगा। 14 मई 1969 को श्री चह्वाण ने यह स्वीकार किया है कि हाल ही के चुनावों में विदेशी धन ने सक्रिय कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि कतिपय मामलों में इससे चुनाव में प्रभाव पड़ता है और अगर हम इस तथ्य की अवहेलना करते हैं तो इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे।

गत कुछ वर्षों से विधायकों द्वारा एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की प्रवृति बढ़ रही है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कभी-कभी यह दल-परिवर्तन राजनीतिक कारणों से होता है। परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसमें धन के प्रभाव का भी काफी भाग रहता है।

विदेशी धन और देश का धन विभिन्न रूपों में चुनाव पर प्रभाव डालते हैं। साम्यवादी दलों के सदस्य दूसरे दलों पर विदेशी धन लेने के आरोप लगाते हैं, और दूसरे दलों के सदस्य साम्यवादी दलों पर विदेशी धन को लेने का आरोप लगाते हैं। यह सब इस कारण सम्भव है क्योंकि देश में लेखाबाह्य धन है। गुन्नर मिरडल ने अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में लिखा है कि एशिया और अफ्रीका के देशों में राजनीतिक शासनों के पतन का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है।

यह भ्रष्टाचार प्रशासन पर भी अपना प्रभाव डालता है। यह निश्चित है कि हमारे बहुत से प्रशासकों के समक्ष यह प्रलोभन रहता है। पहले हमारे प्रशासकों का बड़ा सम्मान था। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों से वह मान-सम्मान समाप्त हो गया है। केन्द्रीय सतकर्ता आयोग ने 600 उच्च राजपत्रित अधिकारियों और काफी संख्या में अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले चलाए हैं। यह सब बातें सरकार के प्रति अनादर और प्रजातंत्र में अविश्वास पैदा कर देती हैं, अतएव देश में भ्रष्टाचार का प्रजातंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

देश में इस तरह के धन होने का भी एक तरह से कुप्रभाव पड़ता है। जो लोग काला

बाजार, तस्करी और जमा खोरी करते हैं, वे अपना धन बैंक में रखने के बजाय नोटों तथा कीमती जेवर-आभूषण के रूप में घर पर रखते हैं। इससे चोरी व डाका जनी को प्रोत्साहन मिलता है। देश में काला धन विद्यमान होने से हिंसा फैलती है। अगर एक बार डाकू उन लोगों का घर लूटते हैं जिनके पास लेखाबाह्य धन है तो वे उनको भी लूटना शुरू कर देते हैं जो धनवान नहीं हैं; इससे देश में अराजकता फैलती है। चाहे आप देश की अखण्डता व स्वतन्त्रता को लें या चाहे आप देश के आर्थिक जीवन को लें, लेखाबाह्य धन इसके लिए बहुत खतरनाक है।

मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किये हैं। श्री चह्वाण ने स्वयं कहा है कि इस बात का पूरा सबूत होते हुए भी कि देश में विदेशी धन का उपयोग हो रहा है, वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार देश में बड़ी मात्रा में तस्करी चल रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि वास्तव में गुजरात से लेकर कोचीन तक के तटीय इलाकों में तस्करी का कार्य चलता है। यहां से कीमती सामान आदि बाहर जाता है और बाहर से भी इस तरह का सामान आता है। यहां से चांदी विदेशों में जाती है और बाहर से सोना आता है।

मैं जानता हूं कि कानून लोगों को चरित्रवान नहीं बना सकता परन्तु मेरे विचार में यह प्रलोभनों के साधनों को दूर कर सकता है। अगर आप इन साधनों को हटा देंगे तो राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी।

मैंने इस विधेयक को जान बूझकर परिचालन के लिए भेजा है क्योंकि इसमें कई जटिलताएं हैं। इसके लिए हमें जनमत तैयार करना पड़ेगा। अगर सरकार इसी प्रकार का कोई विधेयक लाना चाहती है तो मैं अपना विधेयक उसके समर्थन में वापिस ले सकता हूं। मुझे प्रसन्नता होगी अगर सरकार इसी उद्देश्य का कोई विधेयक लाये।

विधेयक का खण्ड 3 आधारभूत है। इसमें एक तरह से विशेषित विमुद्रीकरण के बारे में कहा गया है। अगर हम खंड 3 और 4 को लागू करेंगे तो हम सब काले धन को बाहर निकाल सकेंगे। मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक लेखाबाह्य धन को अनुसूचित बैंक में खाता खोलकर जमा कर सकता है। इस अवधि को 90 दिन तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके बाद कोई जमा करता है तो उससे इसका कारण पूछा जा सकता है।

मैंने दूसरा परन्तुक ग्रामीण क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए रखा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से समृद्ध किसान जिनके पास नोटों के रूप में धन रहता है। यह आवश्यक नहीं कि वे चोर बाजारी करते हैं या जमाखोर हैं परन्तु उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं है। अत: उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिये। अब तक हम इस धन को बाहर निकलवाने में असमर्थ रहे हैं परन्तु इस खण्ड के माध्यम से यह धन बाहर आ जायेगा।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इस प्रकार धन छिपाया नहीं जा सकेगा। पहले किये हुए गलत कार्यों के लिये लोगों को दण्ड देने के बजाय यदि उन्हें दण्ड दिया जा सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि वे भविष्य में गलत कार्य न करे। यदि 120 दिन के बाद भी यह रुपया बैंकों में जमा नहीं किया जाता तो वे नोट केवल कागज के टुकड़े मात्र रह जायेंगे। यह ठीक है कि बाद में इस रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, परन्तु इस कार्यवाही से सरकारी खजाने को तत्काल लाभ होगा। मेरे विचार में 120 दिन को अवधि की धमकी से लोग नोटों को बाहर निकालने पर विवश हो जायेंगे। रुपये बाहर निकल आने पर उद्योग तथा व्यापार में उत्पादक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो सकता है।

जिस दिन सरकार 100 रुपयों के नोटों के आंशिक विमुद्रीकरण की अधिसूचना जारी करती है, उसी दिन यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि 500 अथवा इनसे अधिक रुपयों का भुगतान क्रासड चैक द्वारा किया जायेगा। यह खण्ड देश के सभी निवासियों पर लागू होता है। सरकार इस प्रकार के भुगतान का हिसाब रख सकती है और इस प्रकार लुकछिप कर किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। एक बार कानून पास हो जाने के बाद कोई भी इतने खतरे में नहीं पड़ना चाहेगा।

इस विधेयक में इस बात को भी व्यवस्था है 25, 50, 100 तथा 250 रुपये के अन्तर्देशीय यात्रा चैक की अवधि 90 दिन होनी चाहिये। इस अवधि के अन्दर भुगतान कर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की धनराशि को खर्च करने के बारे में किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं होगी। इस उपबन्ध से सरकार को इस बात की जानकारी रहेगी कि उस धनराशि को किस प्रकार खर्च किया गया है। अत: इस उपबन्ध से किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में कोई व्यापार कर रहा है उसे अपने आपको रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। न्यायपालिका के उच्चतम अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से हो। जनता के हितों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये न्यायपालिका को इस कार्य के लिये रखा गया है।

आज केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को ही खतरा नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरा है। यदि हम एक बार अपने राष्ट्रीय जीवन को चोर बाजारी, तस्करी तथा भ्रष्टाचार से मुक्त कर दें तो मेरे विचार में हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा। देश में जो साम्प्रदायिक दंगे, भाषा अथवा सीमा विवाद के नाम पर आन्दोलन होते हैं उनके लिये कोई न कोई संगठन धन देता है जिनके पास चोरबाजारी का धन होता है। अत: इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों

और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यय और अदायगी का विनियमन करने, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के समूचे व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने; आयकर, बिक्री कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये 30 अगस्त, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं।

श्री हुमायुन कबिर (बसिर हाट) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I agree with the object of the Bill. In my opinion corruption is the greatest enemy of our country. Had there been no corruption, our country would have been quite different than it is today. In fact corruption has gone deep into our life. There are two ways to root out corruption. One is long term method **viz.** by imparting moral teachings to our students in schools and colleges. But today education has no relation to character building. The other method to wipe out corruption is use of force. But it has been observed that only lower categories of staff is apprehended. The tendency of corruption is from top to bottom and not otherwise. If corrupt Ministers are brought to book, the corruption would be wiped out.

The black money is the root cause of inflation. I know that lakhs of rupees are sent to this country which ought to be received in foreign currency but facts are otherwise. Now the people have adopted new technique of using black money. They have diverted it to farming. They are converting their black money into white money like this and our income-tax laws are responsible for such irregularities. The income tax officials disbelieve the businessman and they inturn resort to illegal methods. Today every businessman is maintaining double set of account books.

There is large scale of smuggling in our country. One can purchase any amount of gold provided one is prepared to pay necessary commission. All these dealings take place with the connivance of Government officers. Even persons are being smuggled through India-Pakistan border into India. Pakistani nationals come to our country and create political crisis here. This Bill is very important and should be circulated for public opinion.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : In order to check inflation the best remedy is to demonetize 100 to 1000 rupee notes. This suggestion is very good and must be implemented.

I also support the suggestion of fixing a ceiling on expenditure. It is not known how people have collected large amount of black money. This would certainly be a step towards the achievement of socialism. The capitalists waste their money lavishly. That money can be utilised for the welfare of rural population.

I also agree with the views expressed for checking smuggling and black marketing. Again I agree that retail price of articles should be fixed after accounting 20-30 percent margin on the cost of articles at source. There should be reasonable margin of profit. It will check rise in prices.

Sales-tax should be imposed on the articles at source. Government should make a note of this suggestion.

The Judges of Supreme Court or High Court should be appointed on regional basis to supervise issue of licences so that licences are issued on equitable basis. It will enable other experts also to contribute towards development of industry in addition to Tatas and Birlas.

The suggestions of Shri Kabir should be materialised by the Government. It will definitely add to our prestige.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Unaccounted money is causing more corruption. There will not be any difficulty in demonetization. I have been emphasing on this step all along. It will help in eradication of corruption. The fact is moral has no place in our political life. The authorities do not take any stern action in cases of corruption for political reasons even if they are proved in the court of law. The present Government have forfeited their moral right to rule. Unless corruption is eradicated there will be no use of nationalisation of banks. The Government should consider seriously and adopt this Bill.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The corruption can be eradicated only if the present social structure of the society is changed. The leadership of the country should be in the hands of persons who are honest and hardworking. They should be men of integrity whom the masses can follow. Unless we strike at the root of corruption, we cannot eradicate it by simply enacting the laws. A person who has collected lakhs of rupees in some way or the other is given high place in the society. We should respect honesty, hardwork and sincerity and not the money. Therefore a radical change in the social structure of the society is most needed.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : माननीय सदस्य बुराई को दूर करने से पूर्व उसके कारणों पर ध्यान देना शायद भूल गये हैं। चोर बाजारी का कारण प्रत्येक वस्तु पर नियन्त्रण होना है। जब किसी वस्तु की कमी है तो उस पर नियन्त्रण लगाना अनुचित है। इस प्रकार के नियन्त्रण से लाइसेंसधारी को लाभ पहुंचता है। मेरा दल इस लाइसेंस-परमिट कोटा राज का विरोध करता है। यदि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है तो उसे नियन्त्रण समाप्त करने चाहिए।

मूल्यों में भारी अन्तर होने के कारण तस्करी को बढ़ावा मिला है। जो भी व्यक्ति रुपया कमाना चाहता है, वह तस्करी का काम करने लगता है। अत: इसको रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि वस्तुओं के मूल्य और करों में कमी की जाये।

दुकानों पर वस्तुओं के मूल्यों की सूची टांगने का तरीका उचित है लेकिन यह तरीका व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वस्तुओं के मूल्यों में दिन प्रति दिन परिवर्तन होता रहता है।

इस कार्य के लिये उच्च न्यायालय के तीन न्यायधीशों को न्याय पालिका का कार्य करने का भी सुझाव दिया गया है। यह बहुत खर्चीला तरीका होगा।

तस्करी को रोकने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। तस्करी को रोकने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि सरकार करों में कमी करे।

श्री क० नारायण राव : सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बहुत से उपाय किये हैं लेकिन फिर भी विभिन्न स्तरों पर अभी भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी पत्तन क्षेत्र में ऐसी विदेशी वस्तुओं को देखा जा सकता है जिनके वहां पहुंचने पर प्रतिबन्ध है। देश में दो प्रकार की मशीनरी कार्य कर रही है। एक मशीनरी तो माल जब्त करने के लिये और दूसरी मशीनरी अपराधों से सम्बन्धित है अर्थात् दीवानी अदालत है। माल को जब्त करने वाली मशीनरी उचित कार्य नहीं कर रही है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम सोने की तस्करी को रोकने में सफल नहीं हुआ है। यद्यपि इसको रोकने के लिये आवश्यक कानून बने है तथापि उनको तोड़कर तस्करी की जाती है। तस्करी मिल-जुल कर की जाती है। व्यापारी बीजकों में मूल्यों को घटाकर या बढ़ाकर दिखाने सम्बन्धी कदाचार करते हैं। भ्रष्टाचार के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से देश की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचती है। हमें देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

तस्करी को रोकने के लिये इस विधेयक पर उचित तरीके से विचार करना चाहिये। केवल कानून बनाने से ही कार्य नहीं चलेगा, इसके लिये जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। सरकार को तस्करी को रोकने के लिये यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka): I am sorry to say that nothing has been done to reduce Government expenditure so far. It is therefore, necessary the Ministry of expenditure should be divided into parts—Ministry of Income and Ministry of Expenditure. Government should try to reduce illegal and legal expenditure.

Medicines are indentd in our Health Department. But they never reach there. So the patients cannot get the medicines in time. There is no department to lookafter this sort of corruption. Expenditures on the purchase of spare parts are shown. But actually these spare parts are not purchased. Government should pay great attention to regulate and control the expenditure. Hon. Minister should open an Expenditure Department in his Ministry which should lookafter the legal and illegal expenditure of the Government.

A comprehensive Bill should have been introduced by the Government in this regard.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण वस्तुओं, विशेषकर उपभोक्ता की वस्तुओं की कमी होना है। मुद्रा स्फीति भी इसका एक कारण है।

यह अक्सर कहा जाता है कि लोगों के चरित्र में गिरावट आ रही है और इसके लिये उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानो चाहिये। यह स्वाभाविक ही है कि जब उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तो लोगों के चरित्र में गिरावट आ जाती है। जैसे-जैसे मूल्यों में स्थिरता आती जाती है, राष्ट्र के चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। जर्मनी में यदि मुद्रा स्फीति की यह दशा और अधिक समय तक रहती तो जर्मनी समाप्त हो गया होता।

यदि सरकार को भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो उसे सबसे पहले मुद्रा स्फीति को रोकना होगा और उपभोक्ताओं की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना होगा। केवल विधेयक से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को इसको रोकने के लिये ऐसी वित्तीय नीति अपनानी चाहिये जिससे मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जा सके।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : It is not the Government alone who is responsible for corrution. We too are responsible for it. Corruption cannot be abolished till there is disparity in incomes. Severe punishment should be given in corruption cases. In order to stop corruption individual character of the people should be raised. If the personal character of an individual is not high his national and social character connot be high. Today small businessmen are penalised whereas big businessmen enjoy.

Shri Achal Singh : Corruption is everywhere today. There is no morality left in our country. There is no provision for giving moral teachings to our children in Schools. It is a very important Bill and the opinion of the people should be taken on it. So that the flaws of the Bill be removed. The corruption can only be removed if all the people in this country become honest and raise their moral standard.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The efforts should be made to recover black money. It has been suggested that the payment upto Rs. 500/- should be made through cheques. Though it is proper yet it is not possible for the poor farmers and the labourers to open accounts in Banks. It is said that the corruption in India is less as compared to other countries. But it should totally be abolished. Because this country has a great and noble tradition. It is the country of Ram, Krishna, Kabir and Sheikh Chishti. I have drawn the attention of the Prime Minister to certain cases of corruption but do not know even today what has happened.

Secondly, Shri Biju Patnaik and Sardar Pratap Singh Kairon contributed enormously to the Public Welfare Funds. But the question is where did they get this money from.

Similarly a mention of overinvoicing was also made. The Public Sector where re-conditioned machinery worth crores of rupees is delivered indulges in the practice of over-invoicing and under-invoicing. The price of a re-conditioned component in Motiakhan is Rs. 10 whereas the price of a brand new component is Rs. 50/- in New Delhi and Kashmiri Gate.

In order to boost up production and development in the country the Government have been granting import licenses for raw-materials to give incentive to our exports. But what we see is there licenses are sold in the black market for crores of rupees and raw-materials are sold at exorbitant prices and generally three times higher prices. But the Government do not care to turn into the matter despite our repeated memoranda and eye-openers.

The objective of the Bill is to track down and unearth black money which could be utilised to finance the Fourth Five Year Plan to some extent. Such money if unearthed would to a great extent, help us meet the financial requirements of our plans. So the idea behind the Bill is commendable and it deserves strong support from all sections of the House.

श्री समर गुह (कन्टाई) : काला धन, जो भ्रष्ट पूंजीवादी के काले पर्दे के भीतर काम कर रहा है, प्रजातंत्रीय ढांचे में समाजवाद स्थापित करने के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक इस काले धन को उचित रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक चाहे हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें, बीमे का राष्ट्रीयकरण करें तथा सरकारी क्षेत्र में व्यापार तथा औद्योगिक फर्म स्थापित करें, हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना वास्तव में असंम्भव है। इसलिये, काले धन के कृत्य पर नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रो० कबीर ने जो नये विचार पेश किये हैं, उनके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मैं प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य से पूर्णत: सहमत हूं। यदि विधेयक पारित कियां जाता है, तो उनकी क्रियान्विति में कुछ व्याहारिक उलझनें आयेंगी इसलिये उनका यह सुझाव भी सराहनीय है कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ताकि उसे और अधिक अच्छे ढंग से ड्राफ्ट किया जाये जिससे व्यापारियों तथा लोगों को कोई कठिनाई न हो।

Shri George Fernendes (Bombay-South) : I rise to support the Bill. But I feel the Bill has some lacunae under clauses 3, a person can deposit currency notes of denomination of Rs. 100 and above within 30 days after it comes into force, and for which he shall not be cross-examined. The clause will thus provide a golden opportunity to those who have amassed enormous black money to convert that into white and enable them to escape from the clutches of laws. The Bill with this provision will therefore not serve the purpose we have in view.

According to that definition we shall not be able to call anybody as black marketer. The State Governments are running lotteries and races are held. In order to end corruption it is necessary to fix ceiling of expenditure. That cannot be done untill hotels like oberai continental charging Rs. 150/- per meal per day and convent schools in which Rs. 500/- per month per child is spent.

In para 10, Prof. Kabir desire that chemists, druggists and manufacturers of consumer goods to show retail prices on their containers. Not only private sector but also public sector are charging abnormal prices for these commodities. So long as a limit for private monthly expenditure is fixed @ Rs. 1500/- per month, the prices cannot be checked and the nationalisation cannot bear fruits. However we support this bill.

श्री प्र० चं० सेठी : इस समस्या के विविध पहलू हैं। इससे वित्त, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार मंत्रालय सम्बद्ध हैं। मैं प्रो० कबीर के विधेयक की प्रशंसा करता हूं। परन्तु इसे एक साथ नहीं लिया जा सकता। विमुद्राकरण विधेयक द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे सहसा ही लागू किया जा सकता है।

1946 के विमुद्राकरण में सभी नोट छोटे नोटों में बदल दिये गये और प्रयत्नों के पश्चात भी लाभ न हो पाया। काले धन को बैंक में, बिना किसी दण्ड के, जमा करने का अवसर सरकार नहीं देना चाहती, क्योंकि छिपाई हुई आय पर 200 प्रतिशत तक दण्ड लिया जा सकता है, जिसे सरकार छोड़ना नहीं चाहती।

विमुद्राकरण से मुद्रा में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में इस सुझाव का कि 500 रु० से अधिक राशियों का भुगतान रेखन चेक द्वारा किए जायें, हमारा अनुभव है 2500 रु० की राशि पर ऐसी शर्त लगाने पर, अनाज आदि के क्रय, विक्रय में असुविधा हुई है। जब तक बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता।

खाते में पर्याप्त धन न होते हुए भी चेक देना अपराध माना जावे, इस सुझाव के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कभी-कभी कहीं से धन आने की आशा में ऐसा किया जाता है। दूसरे जब धोखे से ऐसा किया जाता है तब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आगे कहा गया है कि आन्तरिक व्यवहार के लिए रिर्जव बैंक द्वारा यात्रा चेक जारी किए जाएं। इसके स्थान पर छोटी-छोटी राशि के ड्राफ्ट लिए जा सकते हैं दूसरे जब तक यात्रा चेकों से भुगतान अनिवार्य न किया जाए तब तक कोई लाभ नहीं और अनिवार्य करने से पूर्व इसका व्यापक विस्तार आवश्यक है। बढ़ी हुई कीमतों तथा वस्तुओं की मूल्य-सूचियां लगाने के सम्बन्ध में कार्रवाई श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय की गई थी, परन्तु यह सभी वस्तुओं के लिए सम्भव नहीं।

जहां तक नियंत्रणों का सम्बन्ध है हमें देखना होता है कि कौन सी वस्तुएं आवश्यकता से कम तैयार होती हैं ताकि नियंत्रण से व्यवस्था रखी जा सके। मूल्यांकन करना राज्य सरकारों का विषय है और इस पर कार्रवाई कर रहीं है।

विक्री-कर को प्रथम बिन्दु पर लेने के बारे में स्थिति यह है कि यह राज्यों का विषय है और इस दिशा में राज्य ही कार्यवाही कर सकते हैं। ग्यारहवें मद के बारे में राज्य ही कार्यवाही कर सकते हैं। लाइसेंसिंग पद्धति के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है।

छिपे हुए धन का अनुमान 50,000 करोड़ रुपए तथा कुछ व्यक्तियों ने 5,000 करोड़ रुपए बताया है। हमारे पास इसका कोई वास्तविक विवरण नहीं है। 1965-66 में 576.6 करोड़ रुपए, 1966-67 में 637.6 करोड़ रुपए था तथा 1969-70 में 686 करोड़ रुपए का अनुमान है। कर संग्रह के लिए भी प्रशासनिक सुधार लाए गये हैं, आय-कर संशोधन विधेयक रखा गया है। भारी जुर्मानों की व्यवस्था से आय-कर के छिपाए जाने में कमी आएगी।

व्यय पर कर लगाया गया था जो हटा लिया गया था क्योंकि इससे 1964-65 में 44 लाख रुपए तथा 1965-66 में 42 लाख रुपए हानि थी।

नगरीय अचल सम्पत्ति की सीमा निर्धारण पर सरकार विचार कर रही है।

Shri George Fernandes (Bombay South): I referred to ceiling on expenditure whereas you talk of taxes.

श्री प्र० चं० सेठी : सीमा का मतलब यह है कि अगर टैक्स बढ़ा दिया जाये और उसी से सीमा लगती है। मेरा निवेदन है कि नगरीय सम्पत्ति निर्धारण पर रखे गये सुझावों पर सरकार ध्यान देगी। हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि तस्करी सभी देशों में होती है। हमने उसे रोकने के लिये कुछ प्रयत्न किये हैं। तस्कर किये जाने वाला सामान 1966 में 6.61 करोड़ रुपए का, 1967 में 16.40 करोड़ रुपए का तथा 1968 में 19.39 करोड़ रुपए का पकड़ा गया है।

Shri George Fernandes : Shri N. M. Punjaji alone earned 100 crores of rupees from smuggling, out of which he has contributed 50 lakhs to Shri Sukharia.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य का ऐसा कहना ठीक नहीं।

Shri George Fernandes : He has given it towards Rajasthan Relief Fund.

श्री प्र० चं० सेठी : श्री नैन मल पंजाबी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान रिलीफ फंड में उन्होंने कुछ दिया है इसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रशासन सुधार आयोग का कहना है कि बीजक में कम बढ़ती दिखाने के कारण सरकार को 200 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

श्री प्र० चं० सेठी : पश्चिमी तट पर तस्करी रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमने अधिक उपकरण जुटाए हैं।

Shri George Fernandes : I intimated the details of smuggling by Mastan Bhai and Bavejer to Shri Morarji Desai about $1\frac{1}{2}$ months ago but they have been arrested only three days ago.

श्री ज्योतिर्मय बसु : बीजकों में कम बढ़ती दिखाने से मेरे अनुमान से 400-500 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि सदस्यों के पास इस बारे में पूरी जानकारी हो तो वे हमें दें, हम शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री क० नारायण राव : क्या सरकार को जानकारी है कि बाजारों में चीनी तथा अन्य देशीय वस्तुए बिक रही हैं ? क्या उससे किसी राजनीतिक दल को धन मिलता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : बीजक में कम बढ़ती दिखाने, कर बचाने के मामले जो भी सरकार की सूचना में लाएगा उसे 5 और 10% दिया जाएगा। सरकार इस ओर जागरूक है। इसलिए विधेयक को प्रचालित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मुझे मंत्री महोदय के वक्तव्य से आश्चर्य हुआ। केवल वे लोग ही इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं जिनका तस्करों, चोर बाजार करने वालों के साथ गठजोड़ है। इसके प्रचालित करने के प्रस्ताव के विरोध से सरकार पर उनका साथ देने का

आरोप लगता है। 1943 में जब विमुद्राकरण हुआ था तब ब्रिटिश सरकार ने नोटों के बदलने की तिथि घोषित की थी। अब सरकार घोषित कर सकती है कि 100 रुपये अथवा उससे बड़े नोटों का लेन-देन केवल बैंकों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इस विधेयक से भ्रष्टाचार रोकने में निश्चित रूप से सहायता मिलती।

श्री प्र० चं० सेठी : क्या कोई किसान मण्डी से चेक ले दे सकता है ?

श्री हुमायुन कबिर : निश्चय ऐसा हो सकता हैं। इस विधेयक में हमारा उद्देश्य छिपे धन को बाहर निकालना ही है। धन बाहर आने से भ्रष्टाचार कम हो सकेगा। रिश्वत देने और लेने वाले इसका विरोध कर सकते हैं। परन्तु सरकार के विरोध पर मुझे आश्चर्य है।

इस विधेयक का विरोध करने में सरकार ने स्वयं को उन लोगों की श्रेणी में मान लिया है जो वैधानिक उपायों से भ्रष्टाचार को रोकने के विरोधी हैं। एक माननीय सदस्य का कहना है कि विधि से लोग सदाचारी नहीं बन सकते। यदि यह ठीक है तो दण्ड संहिता से क्या लाभ होगा ? अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस मामले पर पुनः विचार करे।

मैं सरकार के विरुद्ध इस प्रस्ताव के परिचालन के विरोध में आरोप लगाता हूं कि सरकार ने बेईमानी और भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण रूप से आंखें बन्द करली है, जिसके कारण देश के व्यापार में ह्रास हो जायेगा। इस विधेयक से धन बाहर आ जायेगा और क्रासड चैकों से भी कुछ नियंत्रण और नियमबद्धता हो जायेगी। जहां पर लेखा जोखा उचित रूप से होता है वहां व्यर्थ और दिखावटी खर्चे स्वतः समाप्त हो जायेंगे। निक्षेपों में तुरन्त वृद्धि हो जायेगी। हमारे देश में करेंसी नोटों का बहुत कम प्रयोग होता है और इस सम्बन्ध में हम पाकिस्तान और लंका से भी पीछे हैं। अन्तर्देशीय यात्री चैकों के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को इसके प्रयोग के लिए वाधित नहीं किया जाता। मैंने सुझाव दिया है कि धातु के सिक्कों की मुद्रा अधिक बढ़ेगी, निक्षेपों में वृद्धि होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इससे चोर बाजारी तथा भ्रष्टाचार रुक जायेगा यदि सरकार इसको करना नहीं चाहती तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही कह दिया है कि माननीय सदस्य के सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप में विचार करेगी। जहां तक विधेयक में उपायों की व्यवस्था का प्रश्न है वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं। हम इनके विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु इन सब बातों को एक तराजू में तोलना असम्भव एवं कठिन है।

सभापति महोदय : मैं तब श्री हुमायून कबिर के अपने संशोधन प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं :

"कि केन्द्रीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्राणाधीन सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा वाह्य व्यय और अदायगी का विनियम करने, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के समूचे व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने; आयकर, बिक्री कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने, तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए 30 अगस्त, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 26 और विपक्ष में 82

Ayes 26 ; Noes 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री एम० नारायण रेड्डी : मेरा विधेयक व्यवहार संहिता के खण्ड 86 (ख) के संशोधन करने से सम्बन्धित है जिससे भारतीय राज्यों के भूतपूर्व राजाओं को संरक्षण मिलता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन पर दीवानी न्यायालयों में मुकदमा दायर नहीं होता तथा डिगरियां नहीं दी जाती। 1951 के विधेयक संख्या 2 के खण्ड 12 के संशोधन से खण्ड 87 जोड़ दिया गया था। यद्यपि इस खण्ड से अनिवार्य रूप में किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता परन्तु इससे हमारी भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को, जहां तक व्यवहार की कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, खण्ड 85 और 86 (1) तथा (3) के विनियोग की अनुमति तो मिल जाती है।

भूतपूर्व राजाओं को अपने राज्यों को भारतीय संघ में मिलाते समय दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित रूप देने के अभिप्राय से इस खण्ड को पुरःस्थापित किया गया था। परन्तु शिष्टाचारिता के अन्तर्गत दिए गए विश्वास से यह स्पष्ट नहीं होता कि इसका सम्बन्ध प्रतिरक्षता से है जहां तक कि व्यवहार सम्बन्धी कार्यवाहियों का सम्बन्ध हैं। तथा इस बात का भी स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है कि इनके विरुद्ध न्यायालयों में किसी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं किया

जा सकता जैसाकि साधारण व्यक्ति करते हैं । विशेषाधिकार अथवा प्रतिरक्षा बिदेशी राज्याध्यक्ष को दिए हुए थे । जिनकी व्यवस्था व्यवहार संहिता के अन्तर्गत पहले से ही थी और अब इनका विनियोग खण्ड 87 (ख) के माध्यम से भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों तक कर दिया गया है ।

यह विधेयक इस संशोधन से सम्बन्धित है कि इस खण्ड को हटाया जाये जिससे 22 वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात अब ये भूतपूर्व शासकों एवं राजाओं के साथ भी देश की साधारण जनता की तरह भी व्यवहार किया जाये तथा उन्हें भी साधारण जनता के स्तर पर लाया जाये जिससे उनके विरुद्ध साधारण व्यक्ति भी न्यायालय में मुकदमा दायर कर सके ।

इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक और असंगत स्थिति हैं कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के पश्चात् यदि उनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर भी दिया जाये और इसके फलस्वरूप डिगरी दी गई हो तो भारत सरकार की नवीन सहमति के बिना इस दी गई डिगरी निष्पन्न नहीं हो सकती । और यदि आप इस डिगरी को निष्पन्न करने के हेतु केन्द्रीय सरकार की सम्मति ले लें और यदि उस डिगरी के दावे की संतुष्ट के लिये वहां पर कोई सम्पत्ति नहीं होती तो साधारण नागरिक की भांति उन भूतपूर्व राजाओं को गिरफतार करने के लिये तीसरी बार फिर सरकार की सम्मति लेने की आवश्यकता पड़ेगी । यदि प्रतिवादी भूतपूर्व शासक के विरुद्ध डिगरी को सन्तोषजनक नहीं बताता है तो उसे सरकार की पुनः सम्मति के बिना गिरफतार नहीं किया जा सकता । असंगति की इस स्थिति पर सुचारू रूप में विचार नहीं किया गया था ।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन विधि मंत्री स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने इस संशोधित खण्ड पर वाद विवाद के दौरान अपने भाषण में सदन को यह आश्वासन दिया था कि व्यवहार संहिता के खण्ड 87 (ख) के अन्तर्गत इन भूतपूर्व राजाओं को जो संरक्षण दिए हैं वे अल्पकालीन उपाय है ताकि उन्हें नागरिकों तथा पड़ोसी राज्यों के वासियों के आपसी वैमनस्य से बचाया जा सके ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य आगामी अवसर पर जारी करें ।

---

*पश्चिम बंगाल में बुंद्रा में तेल छिद्रण

**RE : OIL DRILLING AT BONDRA IN WEST BENGAL

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे । श्री बसु बहुत संक्षेप में आधे घण्टे में अपना वक्तव्य दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तेल की मांग में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है । और मेरा अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक यह मांग बढ़कर 3 करोड़ टन हो जायेगी । तेल के व्यापार में

---

* आधे घन्टे की चर्चा ।

**Half an hour discussion.

विदेशी एकाधिकार वादियों का आज तक पूरा एकाधिकार था। सरकारी क्षेत्र की परियोजना ने इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की परन्तु विदेशी एकाधिकार वादी इस सम्बन्ध में अपनी पुरानी स्थिति को पाने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के निकट बुद्रा में इस तेल के क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया है। केनिंग पत्तन पर तेल विन्यास के सम्बन्ध में आयोग के वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों के द्वारा बुद्रा कूप न०। के छिद्रण की प्रगति के दौरान भौगोलिक एवं भूभौतिक आंकड़ों से अनुकूल एवं स्पष्ट संकेतों के मिलने के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एवं रूसी प्रविधिज्ञों को अत्यधिक उच्चदाब गैस मिली और अन्य ऐसे अनेक तत्व पाये गये। इस पर भी पता नहीं इस कूप का छिद्रण बन्द करके वे इसे क्यों छोड़ गये।

बुद्रा कलकत्ता के अतिनिकट एक बहुत बड़ी मण्डी है जहां प्रतिदिन तेल की बहुत अधिक खपत होती है। यदि यहां से तेल प्राप्त किया जाय तो उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों की दृष्टि इस पर आशा एवं अपेक्षा पूर्ण लगी हुई है। सरकार ने क्यों इस विचार को त्यागा है यह बहुत आश्चर्यजनक है।

केन्द्र की नीति एक राजनीतिक अखाड़ा है। वे पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और विदेशी एकाधिकारवादियों जो अपने हितों के लिए बहुत उत्सुक है, के प्रभाव में आए हुए हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्र ने इस परियोजना को परित्यक्त किया और पश्चिम बंगाल के निवासियों की पैट्रोल रसायन संश्लिष्ट स्थापित करने की उनकी आशा विफल हो गई। इस शासन में इस परियोजना के पुर:स्थापित होने की कोई आशा नहीं दीखती। और इसी कारण 250 श्रमिक बेरोजगार हो गए है और 221-82 लाख रुपये नष्ट प्राय: हो गये हैं।

कुछ प्रतिक्रियावादी और पदाधिकारी विदेशी धन के लिए देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करोड़ों रुपयों बहा कर आसाम में भी इसी धनलाभ के लिये, यह कार्य छोड़ दिया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा 30 अप्रैल 1965 को लिये गये निर्णय की अवहेलना करके उन्होंने क्यों इस विचार का परित्याग किया। आयोग ने 5 कुंओं के छिद्रण की सिफारिश की थी तो एक ही कूप छिद्रण करने के पश्चात इस परियोजना का परित्याग क्यों किया ? वह एक कूप भी पूरा 5000 मीटर की गहराई तक नहीं खोदा गया। मेरे विचार में केवल बंगाल की आर्थिक समृद्धि तथा विकास को नष्ट करने के लिये ही यह सब किया जा रहा है ? रूसी मुख्य सलाहकार श्री वी० ए० नागेव ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में भारत में सबसे अधिक गैस तेल मिलने की सम्भावना है। उन्होंने यह बुद्रा के कुएं न० 1 के छिद्रण तथा परिक्षण के पश्चात कहा है।

इसके पश्चात 9 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 627 का उत्तर देते हुए तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने इस सदन को बताया कि पता चला है कि वहां डीजल तेल मिलने की आशा है ताकि क्रूड अथवा कण्डैन्सेट तेल।

24 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 678 के उत्तर में डा० सेन ने उत्तर में बताया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की जून, 1968 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खुदाई की हुई मिट्टी में तेल पाये जाने के संकेत मिले हैं। और ये संकेत अनुकूल बताये गये थे। परन्तु इस एक कुंए के छिद्रण से यह पता लगाना कठिन है कि यहां तेल का भण्डार है और इसका पता और कूपों के छिद्रण से चलेगा।

परन्तु डा० सेन का कथन है कि वहां कुछ नहीं है।

अतः मेरा पश्चिमी बंगाल के निवासियों की ओर से डा० सेन से अनुरोध है कि वे इस परियोजना का परित्याग न करें और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मूल सिफारिशों को कार्यरूप देते हुए पांचों कूपों का छिद्रण करायें।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : इस मास की 11 तारीख को पूर्व निर्दिष्ट कलकत्ता में हुई बैठक में मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूविज्ञान के निदेशक को साथ लेकर वहां गया और बैठक में मैंने कूप छिद्रण कार्य को स्थगित करने के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह तकनीकी तथा आर्थिक मामलों के कारण था। इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों अथवा सरकार के प्रतिनिधियों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई थी। मुझे आश्चर्य है कि श्री बसु ने संसद में इस प्रश्न को पुनः क्यों उठाया है हो सकता है कि श्री बसु केन्द्र और राज्य के बीच तनाव बनाये रखना चाहते हैं।

21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री बसु ने तीन बातों का उल्लेख किया है कि (1) उत्तर पूर्ण नहीं है। (2) यह उपेक्षा पूर्ण है। (3) रूसी विशेषज्ञ की राय स्पष्ट नहीं है। यह अपर्याप्त है।

इस सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि यह सब झूठ है मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि ये सब आरोप गलत हैं। प्रश्न का प्रथम भाग इस प्रकार था :

"क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में केनिंग के निकट बुद्रा में लगभग 4000 मीटर गहराई तक एक कुएं का छिद्रण करके अचानक उसका काम बन्द कर दिया गया।"

इसका उत्तर इस प्रकार है :

4197.5 मीटर तक गहराई के बाद कुएं का छिद्रण इसलिए बन्द कर दिया गया था कि पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी छिद्रण यन्त्र इससे आगे जाना बन्द हो गया था।

प्रश्न का दूसरा भाग है ; कि :

"क्या इस कुएं में सबसे अधिक दबाव (3000 एटमासफीयर) वाली हवा पाई गई थी और कच्चा तेल भी निकाला गया था।"

इस प्रश्न का उत्तर नहीं में था। प्रश्न का तीसरा भाग था कि :

"यदि हां, तो आगे छिद्रण कार्य रोकने के क्या कारण थे।"

उत्तर था : कि छिद्रण यन्त्र रुक गया और हर सम्भव प्रयत्न करने पर भी आगे कार्य नहीं कर सका।

प्रश्न का चौथा भाग था :

"क्या उसी क्षेत्र में बुद्रा 3 नामक एक अन्य जगह छिद्रण के लिये चुनी गई थी और प्रारम्भिक कार्य के लिए लगभग 13 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन उसे बन्द कर दिया गया था और कुएं के छिद्रण के लिये उपकरणों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भेज दिया गया था।"

इसका उत्तर इस प्रकार है :

बुद्रा नामक एक अन्य जगह कुएं के छिद्रण के लिये ली गई थी और उस पर 4.036 करोड़ रुपये खर्च आए थे। (भूमि अधिग्रहण करके उसके मुआवजे के रूप में दिए गए धन के अतिरिक्त)। इसके पश्चात निर्णय किया गया कि उस स्थान पर कुएं का छिद्रण नहीं किया जाए।

"छिद्रण के लिए उपकरणों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में नहीं भेजा गया था। वे तो पश्चिम बंगाल में ही पड़े हैं। छिद्रण के लिए उपकरणों के कुछ एक सहायक पुर्जे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अन्य परियोजनाओं में भेजे जा रहे हैं, जहां कि उनकी कमी है।"

प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में कहा गया था कि बोड्रा वेल संख्या 1 के ड्रिलिंग के परिणामों को ध्यान में रखते हुए बोड्रा 3 की ड्रिलिंग न करने का निर्णय किया गया था। बोड्रा वेल संख्या 3 बोड्रा वेल संख्या 1 की अपेक्षा में छोटा था अतः बोड्रा वेल संख्या 1 के प्रतिकूल परिणामों को देखते हुये यह समझा गया कि उससे तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की आशा नहीं है।

भाग (च) के उत्तर में यह बताया गया था कि उस क्षेत्र में भूकम्प सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। यदि सर्वेक्षण से अनुकूल स्थित का पता लगा तो ड्रिलिंग कार्य को प्रारम्भ करने के बारे में विचार किया जायेगा।

क्या यह उत्तर अपूर्ण या टरकाने वाला था ?

इसके अतिरिक्त यह भी आपत्ति की गई है कि रूसी विशेषज्ञों की राय नहीं बताई गई। मैंने प्रश्न और उत्तर साथ साथ पढ़ दिये हैं। आप देखेंगे कि प्रश्न में रूसी विशेषज्ञों की राय के बारे में नहीं पूछा गया अतः उसका उत्तर भी न देना स्वाभाविक है।

ड्रिलिंग की एक अवस्था में कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिले थे कि उससे हाइड्रोकारबन मिलने की आशा है। इस बात की पर्याप्त चर्चा की गई किन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि उससे केवल धोखा हुआ है। सम्भवतः माननीय सदस्य उसी के आधार पर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि

ड्रिलिंग कार्य से पर्याप्त सफलता मिलने की आशा थी किन्तु सरकार उसे टालना चाहती है। वास्तव में ड्रिलिंग कार्य नितांत असफल रहा है।

माननीय सदस्य ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की 30 अप्रैल, 1965 की सभी सिफारिशों को पढ़कर नहीं सुनाया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक 5 कुएं और खोदे जा सकते हैं किन्तु इस कार्य को तब तक के लिये स्थगित कर देना चाहिये जब तक कि भूकम्प सर्वेक्षण के बारे में अतिरिक्त विवरण न मिल जाये। अतः हम पूरे क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण करा रहे हैं तथा इस क्षेत्र में अधिक से अधिक 4 कुओं का सर्वेक्षण से प्राप्त विवरण के मिलने के पश्चात ही ड्रिलिंग कराया जाएगा।

माननीय सदस्य ने सभी विशेषज्ञ की राय के बारे में भी उल्लेख किया है। रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि बोड्रा वेल संख्या 1 की ड्रिलिंग से निकले परिणामों के आधार पर बोड्रा वेल संख्या 3 की ड्रिलिंग का कार्य रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि भूकम्पीय सर्वेक्षण से कुछ अनुकूल आशाएं बंधो तो अगले कुएं की ड्रिलिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपयुक्त बड़े क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण कराना चाहिए और यदि वहां अनुकूल स्थिति पाई जाय तो तब ही ड्रिलिंग का कार्य हाथ में लेना चाहिए।

मैंने निवेदन किया था कि अन्य 5 कुओं का ड्रिलिंग करने पर लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय होंगे किन्तु हमारी वर्तमान सर्वेक्षण कार्य पद्धति से ड्रिलिंग के लिये उपयुक्त वास्तविक स्थान का पता लगाना संभव नहीं है। अतः रूसी विशेषज्ञ ने परामर्श दिया है कि इस कार्य के लिये कम्प्यूटर से चलने वाले भूकम्प की गतिविधि को बताने वाले जटिल यंत्र की आवश्यकता है तथा यह यंत्र अमरीका के पास उपलब्ध है। यदि हम इस संयंत्र को प्राप्त करना चाहें तो हमें 60 लाख रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी और इसका प्रबन्ध भी किया जा रहा है। संयंत्र प्राप्त होने तथा उसके द्वारा उपयुक्त सवक्षण हो जाने के पश्चात ही हम ड्रिलिंग का कार्य प्रारम्भ करेंगे क्योंकि बिना उपयुक्त स्थान का पता लगाये इधर उधर ड्रिलिंग करने पर व्यर्थ धन व्यय करने से क्या लाभ है। आयोग की सिफारिश उचित ही थी तथा हम उसका अनुसरण कर रहे हैं।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, it can not be denied that development of our oil industry has been hampered by the foreign capitalists. The Hon. Minister has mentioned that the Government will have to spend Rs. 60 crores on sophisticated computerised seismographs in free foreign exchange. May I know whether the Government are going to embark upon any concrete work regarding the exploration of kerosene oil from Bengal, Assam, and Nagaland regions which are quite rich in oil in order to avoid the import of crude oil and to save foreign exchange of Rs. 50 crores ?

I may say that the proper steps are not being taken by the Government to get the oil from the Bodra region. Sir, the oil obtained from the Assam region is sold to Assam oil company at the rate of Rs. 17 per ton while the same company sells oil at the rate of

Rs. 100 per ton and thus accumulates crores of rupees per annum as a profit. Burmah oil company and other foreign oil companies are being given much subserviance in this way. In this context may I know whether the Government have made any scheme regarding the exploration of oil in Assam, Bengal and Nagaland regions so that foreign exchange could be saved and the country could get sufficient oil from her own resources ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महोदय मैं जानना चाहता हूं कि सरकार एक अपूर्ण कुयें के आधार पर यह निर्णय कैसे कर सकती है कि इस क्षेत्र में और किसी भी स्थान पर ड्रिलिंग करना लाभदायक नहीं रहेगा और उसके लिये पहले अमरीका से 60 लाख रुपयों के मूल्य का यंत्र मंगाना आवश्यक है यदि मान लिया जाय कि पहले कुंए का ड्रिलिंग करते समय यंत्र के फंस जाने से आगे ड्रिलिंग करना असम्भव हो गया है तो केवल इसी आधार पर नये सिरे से सर्वेक्षण कराने की क्या आवश्यकता है और अमरीका से यंत्र मंगाये जाने तक समस्त योजना को स्थगित करने में कितना औचित्य है ? देश में 1972 तक अशोधित तेल की 200 लाख टन की कमी होगी । उन्होंने मुझे पत्र में कहा है कि उन्हीं स्थानों में ड्रिलिंग किया जा सकता है जहां तेल के निक्षेप का पाया जाना निश्चित हो जाय । किन्तु मेरी आपत्ति है कि काश्मीर आदि अन्य स्थानों में ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है और वहां भी निक्षेपों का पाया जाना निश्चित नहीं है । अतः चूंकि पोर्ट केनिंग क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य को इस आधार पर स्थगित किया जा रहा है कि वहां निक्षेपों का पाया जाना प्रमाणित नहीं है लोगों के मनों में शंका उत्पन्न होती है कि सम्भवतः सरकार विदेशी तेल कम्पनियों के हाथों बिकी हुई है या सरकार पर उनका प्रभाव है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय ! रूसी विशेषज्ञ की राय के अनुसार पश्चिमी बंगाल में तेल की बहुत मात्रा उपलब्ध है । यद्यपि डा० सेन के इस पद पर आने से पहले ही इस विषय में षडयंत्र हो चुका था किन्तु माननीय मंत्री को कड़ाई से काम लेना चाहिये । क्या यह सच नहीं है कि जब कुआं संख्या 1 को 4197 मीटर की गहरायी तक ड्रिल किया गया था तो उससे उच्चतम वायुमंडलीय दबाव की गैस निकली थी ? क्या यह भी सच है कि रासायनिक परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ था कि इस गैस में इसोपेन्टेन तथा एन-पेन्टेन प्रकार की हाइडो-कारबन विद्यमान हैं जिसमें ईधन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और यदि हां, तो यदि उस कुयें से तेल प्राप्त नहीं हो सका तो उनसे यह गैस क्यों नहीं प्राप्त की गई ? दूसरे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास जो उपकरण उपलब्ध हैं उनसे 5000 मीटर तक ड्रिलिंग किया जा सकता है अतः अतिरिक्त 800 मीटर तक ड्रिलिंग क्यों नहीं किया गया ? तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि ड्रिलिंग से जो संशोधित तेल प्राप्त हुआ था उसका रासायनिक परीक्षण करने के लिये उसके नमूने जाधवपुर विश्वविद्यालय तथा देहरादून भेजे गये थे । किन्तु तेल के प्रकार आदि के बारे में क्या विश्वविद्यालय तथा देहरादून के विशेषज्ञों में मत है और यदि है तो किस प्रकार का मतभेद है ?

क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इसी स्तर से पश्चिमी बंगाल के सीमा क्षेत्रों से तेल

निकालने का प्रयत्न किया है ? यदि पाकिस्तान ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है तो हम अपना ड्रिलिंग कार्य भी पूरा नहीं कर पायेंगे किन्तु पाकिस्तान पश्चिम बंगाल के सीमांत क्षेत्रों से तेल तथा प्राकृतिक गैस को निकाल लेगा ।

डा० सेन वैज्ञानिक हैं अतः वह जानते हैं कि तेल निक्षेपों की गहरायी सभी स्थानों पर समान नहीं होती अतः यदि कुआं संख्या 1 को जितनी गहराई तक ड्रिल किया है यह आवश्यक नहीं कि अन्य स्थानों पर भी उतनी ही गहरायी तक ड्रिल करना पड़ेगा ।

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बारे में स्वयं देहरादून गया था । मैंने वहां निदेशक-भूभौतिकी से दो घंटे विचार विमर्श किया और उसके पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनका निर्णय सच था । उसके पश्चात मैं पश्चिम बंगाल के मंत्रियों से भी मिला तथा निदेशकों ने और मैंने उन्हें सारी तकनीकी बातें बताई । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर किसी भी अन्य देश का कोई दबाव नहीं है । इसके अतिरिक्त हमने यह भी निश्चित किया है कि हम गुजरात तथा असम के क्षेत्रों से तेल निकालने पर पूरा धन व्यय करेंगे क्योंकि वहां तेल के निक्षेपों का पाया जाना निश्चित है तथा प्रमाणित है । यह कहना भी सच नहीं है कि असम क्षेत्र में केवल एक कम्पनी तेल निकालने का कार्य कर रही है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भी एक बड़े क्षेत्र से तेल निकालने का कार्य कर रहा है तथा आइल इन्डिया भी तेल निकाल रही है क्योंकि उसके साथ दीर्घ अवधि तक चलने वाला करार किया हुआ है ।

त्रिपुरा राज्य में भी पर्याप्त मात्रा में तेल पाये जाने का पता लगा है अतः हम वहां भी भूकम्पीय सवक्षण करा रहे हैं । रूसी विशेषज्ञ की सहायता से बम्बई में भी तेल का पता लगाया जा रहा है ।

हमने पूरे देश को इस सम्बन्ध में दो भागों में बांट दिया है, एक भाग तो वह है जहां तेल के निक्षेपों का पाया जाना प्रमाणित हो चुका है । दूसरा भाग वह है जहां तेल के निक्षेपों का पता चला है किन्तु अभी वहां भूकम्पीय सर्वेक्षण करके निश्चित स्थान पता लगाना शेष है । अभी हम उन स्थानों पर बल दे रहे हैं जहां तेल निक्षेपों का निश्चित स्थान पता है क्योंकि वहां से तेल निकाल कर शीघ्र ही विदेशी मुद्रा के व्यय से बचा जा सकता है । शेष स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

रूसी विशेषज्ञों का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में तेल पर्याप्त मात्रा में है । किन्तु उनका कहना यह भी है इस कार्य को उठाने से पहले कुछ भूकम्पीय सर्वेक्षणों की आवश्यकता है । प्रोफेसर समर गुह ने कई प्रश्न उठाये हैं । मेरा निवेदन है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय में ऐसे उपकरण ही नहीं हैं जिनसे यह ज्ञात हो सके कि तेल में आवश्यक तत्व विद्यमान हैं कि नहीं । इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि यदि कोई रसायन शास्त्र में

विशेषज्ञ सदस्य हों तो वे इस बारे में खोज कर सकते हैं तथा सरकार उनको सभी प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। माननीय सदस्य जाधवपुर विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला या ओ० एन० जी० सी० की प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं।

जहां तक गैस पाये जाने की आशा का सम्बन्ध है मैं निवेदन कर चुका हूं कि प्राकृतिक गैस पाये जाने का संकेत अवश्य मिले थे। ऐसे संकेत भी मिले थे कि वहां अशोधित तेल भी मिलेगा तथा इन्हीं संकेतों के सहारे वहां पर आगे ड्रिलिंग किया जाता रहा। यह भी सम्भावना बनी हुई थी कि ये संकेत झूठे भी हो सकते हैं। वहां पर दबाव भी मिला तथा पानी भी पाया गया। किन्तु जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कुछ तंकनीकी कठिनाइयों के कारण हमें यह कार्य छोड़ देना पड़ा।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 जुलाई, 1969/6 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 28, 1969/ Sravana 6, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 31-10-69—600.